अध्याय II

राज्य शासन के वित्त

2.1 प्रस्तावना

यह अध्याय राज्य के वित्त लेखें के आधार पर पिछले वर्ष के सापेक्ष प्रमुख राजकोषीय संकेतकों में महत्वपूर्ण परिवर्तन का विश्लेषण करता है, वर्ष 2019–20 से वर्ष 2023–24 तक पाँच वर्ष की अवधि के दौरान समस्त प्रवृत्ति, राज्य के ऋण स्थिरता और प्रमुख लोक लेखे लेन–देनों का राज्य वित्त का एक व्यापक परिप्रेक्ष्य प्रदान करता है।

वर्ष 2022–23 के सापेक्ष में वर्ष 2023–24 के दौरान मुख्य राजकोषीय संकेतकों में प्रमुख परिवर्तन

तालिका 2.1 पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2023–24 के दौरान राज्य के मुख्य राजकोषीय संकेतकों में प्रमुख परिवर्तन का एक विहंगम दृश्य प्रस्तुत करती है।

तालिक 2.1: वर्ष 2022–23 की तुलना में वर्ष 2023–24 में मुख्य राजकोषीय संकेतकों में परिवर्तन

राजस्व प्राप्तियाँ	➢ राज्य के राजस्व प्राप्तियों मे 10.26 प्रतिशत की वृद्धि हुई ⬆ ➢ राज्य के स्वयं के कर राजस्व में 17.10 प्रतिशत की वृद्धि हुई ⬆ ➢ करेत्तर राजस्व में 0.66 प्रतिशत की कमी हुई ⬇ ➢ केन्द्रीय कर एवं शुल्क में राज्यांश में 18.92 प्रतिशत की वृद्धि हुई ⬆ ➢ भारत सरकार से सहायता अनुदान में 15.64 प्रतिशत की कमी हुई ⬇
राजस्व व्यय	➢ राजस्व व्यय मे 34.54 प्रतिशत की वृद्धि हुई ⬆ ➢ सामान्य सेवाओं पर राजस्व व्यय में 14.96 प्रतिशत की वृद्धि हुई ⬆ ➢ सामाजिक सेवाओं पर राजस्व व्यय में 23.87 प्रतिशत की वृद्धि हुई ⬆ ➢ आर्थिक सेवाओ पर राजस्व व्यय में 62.01 प्रतिशत की वृद्धि हुई ⬆ ➢ सहायता अनुदान और योगदान पर व्यय में 13.57 प्रतिशत की वृद्धि हुई ⬆
पूँजीगत प्राप्तियाँ	➢ पूँजीगत प्राप्तियों में 10.54 प्रतिशत की कमी हुई ⬇
पूँजीगत व्यय	➢ पूँजीगत व्यय मे 15.76 प्रतिशत की वृद्धि हुई ⬆ ➢ सामान्य सेवाओ पर पूँजीगत व्यय में 17.17 प्रतिशत की वृद्धि हुई ⬆ ➢ सामाजिक सेवाओं पर पूँजीगत व्यय में 41.80 प्रतिशत की वृद्धि हुई ⬆ ➢ आर्थिक सेवाओ पर पूँजीगत व्यय में 1.54 प्रतिशत की कमी हुई ⬇
ऋणों तथा अग्रिमों	➢ ऋण तथा अग्रिमो के संवितरणों में 262.38 प्रतिशत की वृद्धि हुई ⬆ ➢ ऋण तथा अग्रिमो की वसूलियों में 78.76 प्रतिशत की कमी हुई ⬇
लोक ऋण	➢ लोक ऋण प्राप्तियों में 408.05 प्रतिशत की वृद्धि हुई ⬆ ➢ लोक ऋण अदायगी में 151.16 प्रतिशत की वृद्धि हुई ⬆
लोक लेखा	➢ लोक लेखा प्राप्तियों में 27.47 प्रतिशत की वृद्धि हुई ⬆ ➢ लोक लेखा संवितरणों में 26.97 प्रतिशत की वृद्धि हुई ⬆
रोकड़ शेष	➢ रोकड़ शेष और रोकड़ शेष के निवेश में 71.44 प्रतिशत की वृद्धि हुई ⬆

उपरोक्त प्रत्येक संकेतक का विश्लेषण अनुवर्ती कंडिकाओं मे किया गया है ।

2.2 निधियों के स्रोत और उपयोग

तालिका 2.2 में वर्ष 2023–24 के दौरान राज्य की निधि के स्रोतों और उपयोग की तुलना वर्ष 2022–23 के साथ की गई, जबकि **चार्ट 2.1** और **2.2** वर्ष 2023–24 के दौरान समेकित निधि से प्राप्तियों और व्यय का विवरण प्रतिशत रूप में देते है।

तालिका 2.2: वर्ष 2022–23 और 2023–24 के दौरान निधियों के स्रोतों और उपयोग का विवरण

(₹ करोड़ में)

	विवरण	2022–23	2023–24	वृद्धि (+)/कमी (–)
स्रोत	प्रारंभिक रोकड़ शेष[1]	9,921.62	8,047.97	(–)1,873.65
	राजस्व प्राप्तियाँ	93,877.14	103,508.20	9,631.06
	विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ	5.60	5.01	(–)0.59
	ऋणों तथा अग्रिमों की वसूलियाँ	117.52	24.96	(–)92.56
	अंतर्राज्यीय परिशोधन	(–)0.28	0.65	0.93
	लोक ऋण प्राप्तियाँ (निवल)	1,038.02	29,936.76	28,898.74
	लोक लेखा प्राप्तियाँ (निवल)	1,779.54	2,759.01	979.47
	आकस्मिकता निधि	0.00	63.49	63.49
	योग	**1,06,739.16**	**1,44,346.05**	**37,606.89**
उपयोग	राजस्व व्यय	85,285.03	114,740.96	29,455.93
	पूँजीगत व्यय	13,320.30	15,418.93	2,098.63
	ऋण एवं अग्रिमों का संवितरण	85.96	311.50	225.54
	अंतर्राज्यीय परिशोधन	(–)0.10	0.46	0.56
	आकस्मिकता निधि	0.00	76.96	76.96
	अंतिम रोकड़ शेष	8,047.97	13,797.24	5,749.27
	योग	**1,06,739.16**	**1,44,346.05**	**37,606.89**

स्रोत : वित्त लेखे 2022–23 एवं 2023–24

चार्ट 2.1: संसाधनों का स्रोत (प्रतिशत)

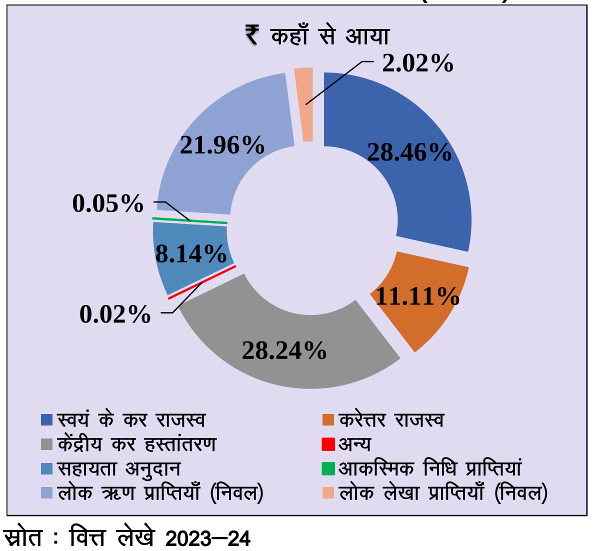

चार्ट 2.2: संसाधनों का उपयोग (प्रतिशत)

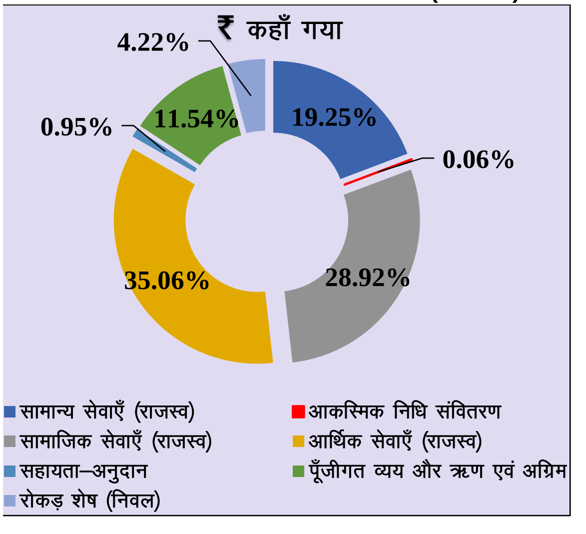

स्रोत : वित्त लेखे 2023–24

नोटः ऋण एवं अग्रिमों की वसूली, पूँजीगत प्राप्तियाँ, अंतर्राज्यीय परिशोधन (निवल) अन्य में शामिल है।

[1] प्रारंभिक/अंतिम रोकड़ शेष में रोकड़ शेष, रोकड़ शेष और निर्धारित निधि का निवेश शामिल हैं।

2.3 राज्य के संसाधन

1. राजस्व लेखे प्राप्तियों में कर राजस्व, करेत्तर राजस्व और संघों के करों एवं शुल्कों में राज्य का हिस्सा एवं भारत सरकार से सहायता अनुदान सम्मिलित है।

2. पूँजीगत लेखे प्राप्तियों में विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ जैसे विनिवेश से प्राप्त आय, ऋणों एवं अग्रिमों की वसूली, आंतरिक स्रोतों से ऋण प्राप्तियाँ (बाजार ऋण, वित्तीय संस्थानों/वाणिज्यिक बैकों से उधार) और भारत सरकार से प्राप्त ऋण और अग्रिम। राजस्व और पूँजीगत प्राप्तियाँ दोनों राज्य की समेकित निधि का हिस्सा है।

3. निवल लोक लेखे प्राप्तियाँ : कुछ लेन–देन जैसे लघु बचत, भविष्य निधि, आरक्षित निधि, जमा, उचंत, प्रेषण इत्यादि के संबंध में प्राप्तियाँ और संवितरण होते हैं जो समेकित निधि का हिस्सा नहीं होती। यह संविधान के अनुच्छेद 266(2) के तहत स्थापित लोक लेखे में रखी जाती है और राज्य विधायिका द्वारा मतदान के अधीन नहीं होता है। यहां शासन बैंकर के समान कार्य करती है। संवितरण के बाद निधि की शेष राशि शासन के उपयोग हेतु उपलब्ध होती है।

2.3.1 राज्य की प्राप्तियाँ

चार्ट 2.3 समग्र प्राप्तियों की संरचना को प्रस्तुत करता है। राजस्व और पूँजीगत प्राप्तियाँ के अलावा, लोक लेखें में उपलब्ध धन (इससे किये गये निवल संवितरण) भी शासन द्वारा वित्त घाटे को पूरा करने के लिए का उपयोग किया जाता है।

चार्ट 2.3: वर्ष 2023–24 के दौरान राज्य के संसाधनों की संरचना

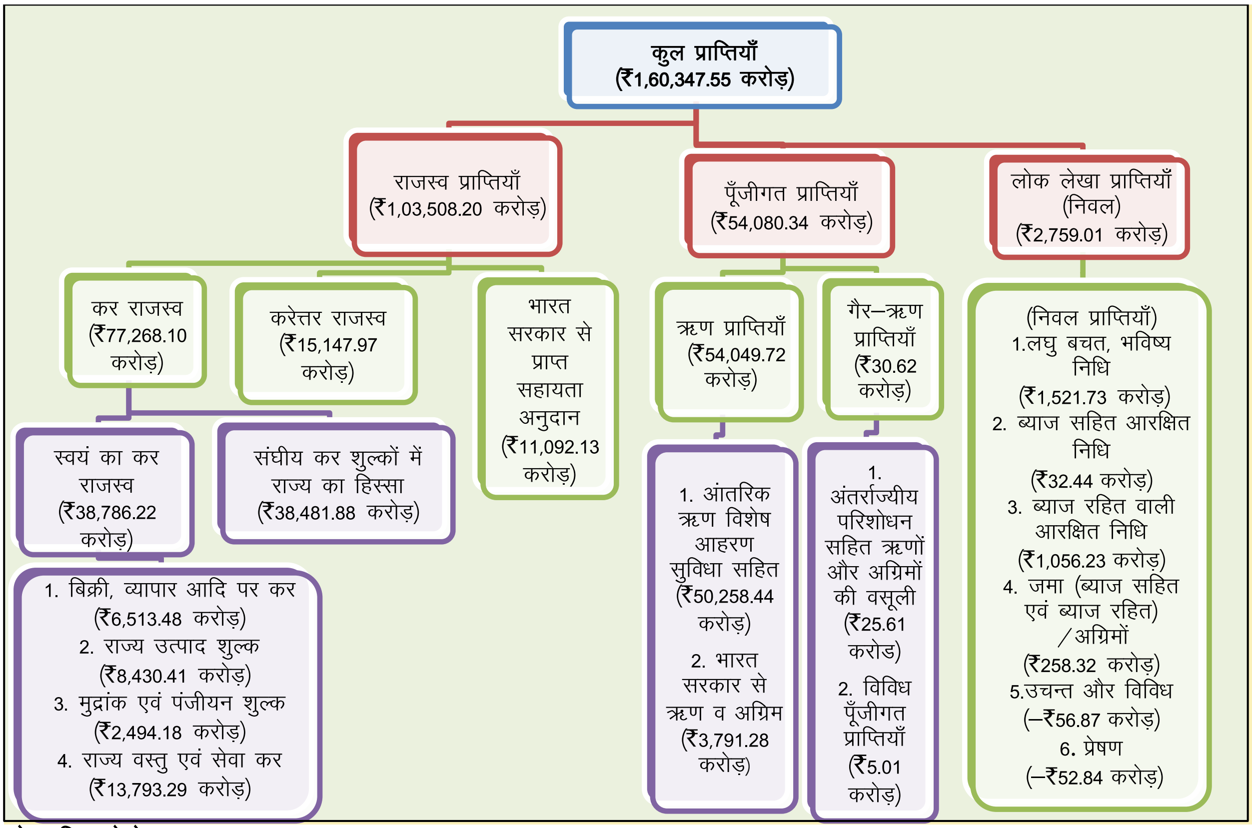

स्रोतः वित्त लेखे 2023–24

2.3.2 राजस्व प्राप्तियाँ

राजस्व प्राप्तियों में राज्य के स्वयं के कर और करेत्तर राजस्व, केन्द्रीय कर हस्तांतरण और भारत सरकार से सहायता अनुदान शामिल है।

2.3.2.1 राजस्व प्राप्तियाँ के प्रवृत्ति और वृद्धि

तालिका 2.3 पाँच वर्ष की अवधि वर्ष 2019–24 के दौरान सकल राज्य घरेलू उत्पाद के विरूद्ध राजस्व प्राप्तियाँ की प्रवृत्तियाँ एवं वृद्धि के साथ–साथ राजस्व उत्प्लावकता को **तालिका 2.3** में दर्शाया गया है।

तालिका 2.3: राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्तियाँ

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	2019–20	2020–21	2021–22	2022–23	2023–24
1	**राजस्व प्राप्तियाँ**	**63,868.70**	**63,176.18**	**79,652.03**	**93,877.14**	**1,03,508.20**
2	राजस्व प्राप्तियों की वृद्धि दर (प्रतिशत)	*(–)1.88*	*(–)1.08*	*26.08*	*17.86*	*10.26*
3	**कर राजस्व**	**42,323.69**	**43,226.74**	**55,654.52**	**65,480.57**	**77,268.10**
4	*स्वयं के कर राजस्व*	*22,117.85*	*22,889.20*	*27,083.73*	*33,122.31*	*38,786.22*
5	*केन्द्रीय कर एवं शुल्क में राज्यांश*	*20,205.84*	*20,337.54*	*28,570.79*	*32,358.26*	*38,481.88*
6	**करेत्तर राजस्व**	**7,933.77**	**7,136.95**	**13,851.21**	**15,248.24**	**15,147.97**
7	**भारत सरकार से सहायता अनुदान**	**13,611.24**	**12,812.49**	**10,146.30**	**13,148.33**	**11,092.13**
8	भारत सरकार से सहायता अनुदान की वृद्धि दर (प्रतिशत)	*8.84*	*(–)5.87*	*(–)20.81*	*29.59*	*(–)15.64*
9	*स्वयं के कर राजस्व* की वृद्धि दर (प्रतिशत)	*3.22*	*3.49*	*18.33*	*22.30*	*17.10*
10	स्वयं के राजस्व (स्वयं के कर एवं करेत्तर राजस्व) (4) + (6)	30,051.62	30,026.15	40,934.94	48,370.55	53,934.19
11	स्वयं के राजस्व की वृद्धि दर (प्रतिशत)	*3.16*	*(–)0.08*	*36.33*	*18.16*	*11.50*
12	**सकल राज्य घरेलू उत्पाद**	**3,44,672**	**3,52,328**	**4,10,525**	**4,64,399**	**5,05,887**
13	सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर (प्रतिशत)	*5.37*	*2.22*	*16.52*	*13.12*	*8.93*
14	राजस्व प्राप्तियाँ/सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रतिशत)	*18.53*	*17.93*	*19.40*	*20.21*	*20.46*
उत्प्लावकता अनुपात[2]						
15	सकल राज्य घरेलू उत्पाद के संदर्भ में राज्य के स्वयं के कर राजस्व उत्प्लावकता	*0.60*	*1.57*	*1.11*	*1.70*	*1.91*

स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे, सकल राज्य घरेलू उत्पाद के आकड़ेः आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय, छत्तीसगढ़ राज्य

तालिका 2.3 से पता चलता है कि राजस्व प्राप्तियाँ वर्ष 2019–20 में ₹63,868.70 करोड़ से ₹39,639.50 करोड़ बढ़कर 2023–24 के दौरान ₹1,03,508.20 करोड़ हो गईं। वर्ष 2023–24 के दौरान, पिछले वर्ष की तुलना में राजस्व प्राप्तियों में ₹9,631.06 करोड़ (10.26 प्रतिशत) की वृद्धि हुई, जिसका मुख्य कारण स्वयं के कर राजस्व की प्राप्तियों में ₹5,663.91 करोड़ (17.10 प्रतिशत) की वृद्धि और केन्द्रीय कर एवं शुल्क में राज्यांश में ₹6,123.62 करोड़ (18.92 प्रतिशत) की वृद्धि है।

वर्ष 2019–20 के दौरान, राजस्व प्राप्तियों का लगभग 47 प्रतिशत राज्य के अपने संसाधनों से आया, जबकि केंद्रीय कर हस्तांतरण और सहायता अनुदान ने मिलकर 53 प्रतिशत का योगदान दिया। वर्ष 2023–24 में, राजस्व प्राप्तियों का लगभग 52 प्रतिशत राज्य के अपने संसाधनों से आया, जबकि केंद्रीय कर हस्तांतरण और सहायता अनुदान ने मिलकर 48 प्रतिशत का योगदान दिया।

[2] उत्पलावकता अनुपात किसी राजकोषीय चर के मूल चर में दिये गये परिवर्तन के सापेक्ष प्रतिक्रियात्मकता के लोच अथवा कोटि को दर्शाता है।

राज्यों की राजस्व प्राप्तियों में स्वयं के कर राजस्व का हिस्सा, जो 2019–20 में 34.63 प्रतिशत था, पिछले वर्षों की तुलना में तेजी से बढ़कर 2022–23 में 35.28 प्रतिशत और 2023–24 में 37.47 प्रतिशत हो गया है।

पिछले कुछ वर्षों में भारत सरकार से सहायता अनुदान में उतार–चढ़ाव आया है। वर्ष 2019–20 से 2023–24 की अवधि के दौरान भारत सरकार से सहायता अनुदान में 18.51 प्रतिशत की कमी आई। वर्ष 2022–23 की तुलना में वर्ष 2023–24 में इसमें ₹2,056.20 करोड़ (15.64 प्रतिशत) की कमी आई।

स्वयं का कर राजस्व उत्प्लावकता अर्थव्यवस्था (यानी सकल राज्य घरेलू उत्पाद) की वृद्धि के प्रति कर राजस्व की प्रतिक्रिया को मापता है। जैसा कि **तालिका 2.3** से देखा जा सकता है, स्वयं का कर राजस्व उत्प्लावकता वर्ष 2019–20 में 0.60 से सतत बढ़कर वर्ष 2023–24 में 1.91 हो गया है, जो बताता है कि राज्य में करों के संग्रह की वृद्धि इसकी आर्थिक वृद्धि के सापेक्ष बेहतर हुई है।

सकल राज्य घरेलू उत्पाद के सापेक्ष राजस्व प्राप्तियों के प्रवृत्तियाँ और राजस्व प्राप्तियों की संरचना क्रमशः **चार्ट 2.4 और 2.5** में दी गई है।

चार्ट 2.4: राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)

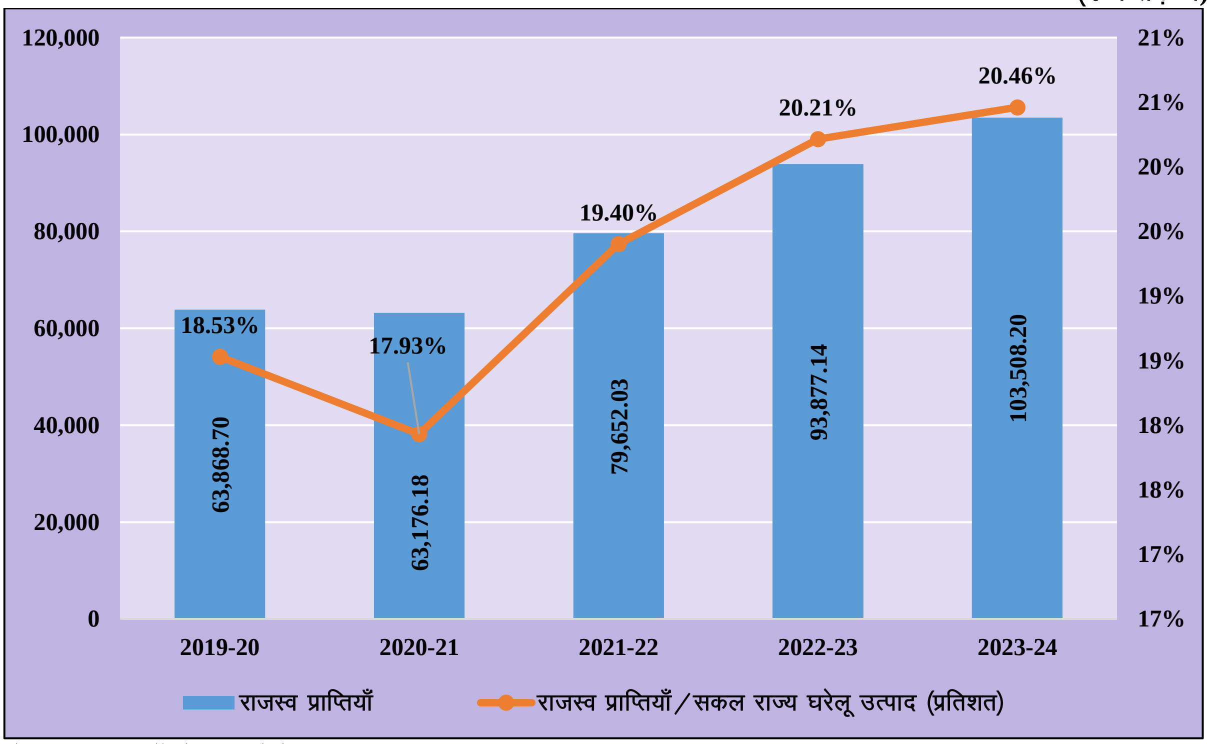

स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

चार्ट 2.5: राजस्व प्राप्तियों के घटकों की प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)

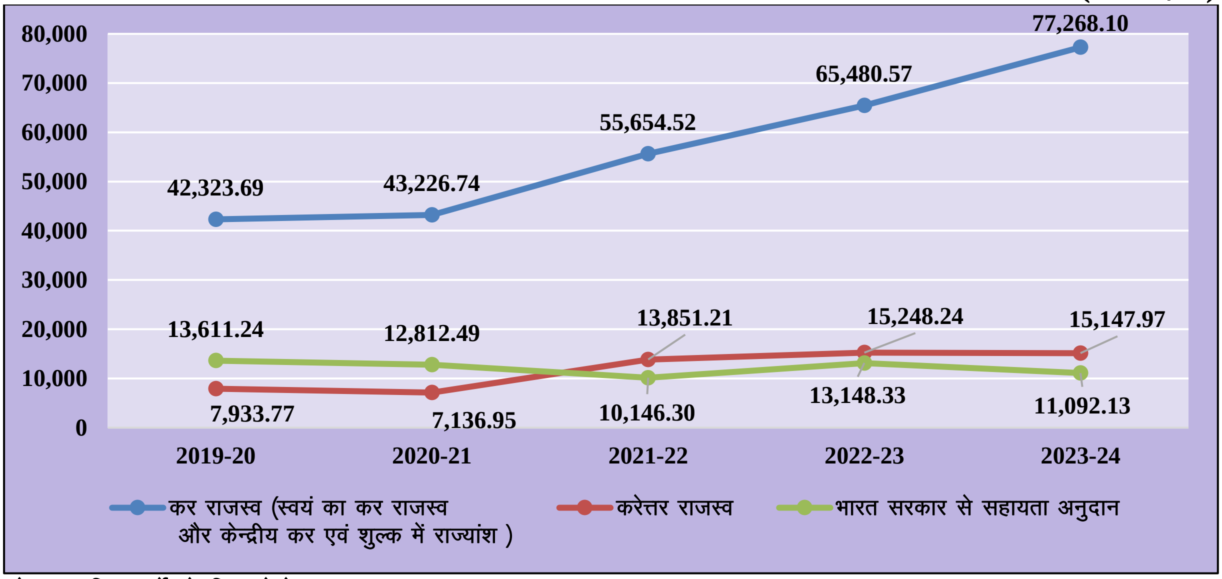

स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

2.3.2.2 राज्य के स्वयं के संसाधन

केंद्रीय करों में राज्य की हिस्सेदारी वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर निर्धारित की जाती है। सहायता अनुदान केंद्रीय कर प्राप्तियों के संग्रह की मात्रा और योजनाओं के लिए प्रत्याशित केंद्रीय सहायता द्वारा निर्धारित किया जाता है। अतिरिक्त संसाधन जुटाने में राज्य के प्रदर्शन का मूल्यांकन उसके अपने संसाधनों के आधार पर किया जाना चाहिए, जिसमें उसके अपने कर और करेत्तर स्रोतों से राजस्व शामिल है।

वर्ष 2019–20 से 2023–24 के लिए स्वयं कर एवं करेत्तर राजस्व प्राप्तियाँ **तालिका 2.4** में दी गई हैं।

तालिका 2.4: वर्ष 2019–24 के दौरान राज्य के स्वंय के कर राजस्व/करेत्तर राजस्व का विकास

(₹करोड़ में)

क. सं.	विवरण	2019–20	2020–21	2021–22	2022–23	2023–24
1	स्वयं के कर राजस्व	22,117.85	22,889.20	27,083.73	33,122.31	38,786.22
2	वृद्धि दर (प्रतिशत)	*3.22*	*3.49*	*18.33*	*22.30*	*17.10*
3	करेत्तर राजस्व	7,933.77	7,136.95	13,851.21	15,248.24	15,147.97
4	वृद्धि दर (प्रतिशत)	*3.00*	*(–)10.04*	*94.08*	*10.09*	*(–)0.66*

स्रोत : संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

- पिछले कुछ वर्षों में स्वयं कर राजस्व में लगातार वृद्धि हुई है, जिसमें 2020–21 से 2021–22 तक 18.33 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि और फिर 2021–22 से 2022–23 तक (22.30 प्रतिशत) की वृद्धि हुई है। 2022–23 से 2023–24 तक (17.10 प्रतिशत) वृद्धि दर थोड़ी धीमी हुई है, लेकिन अभी भी मजबूत बनी हुई है।
- पिछले कुछ वर्षों में करेत्तर राजस्व में उतार–चढ़ाव की प्रवृत्ति रही है, जिसमें 2020–21 से 2021–22 तक 94.08 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। करेत्तर राजस्व वृद्धि दर 2021–22 से 2022–23 तक काफी धीमी (10.09 प्रतिशत) हो गई है और 2022–23 से 2023–24 तक नकारात्मक (–0.66 प्रतिशत) भी हो गई है।

(अ) स्वयं के कर राजस्व

राज्य के स्वयं के कर राजस्व में राज्य जीएसटी, राज्य उत्पाद शुल्क, वाहनों पर कर, मुद्रांक शुल्क और पंजीकरण शुल्क, भूमि राजस्व, माल और यात्रियों पर कर आदि शामिल हैं। पांच साल की अवधि 2019–24 के दौरान राज्य शासन के स्वयं के कर राजस्व की वृद्धि **चार्ट 2.6** में दी गई है।

चार्ट 2.6: वर्ष 2019–24 के दौरान स्वयं के कर राजस्व का वृद्धि दर

(₹ करोड़ में)

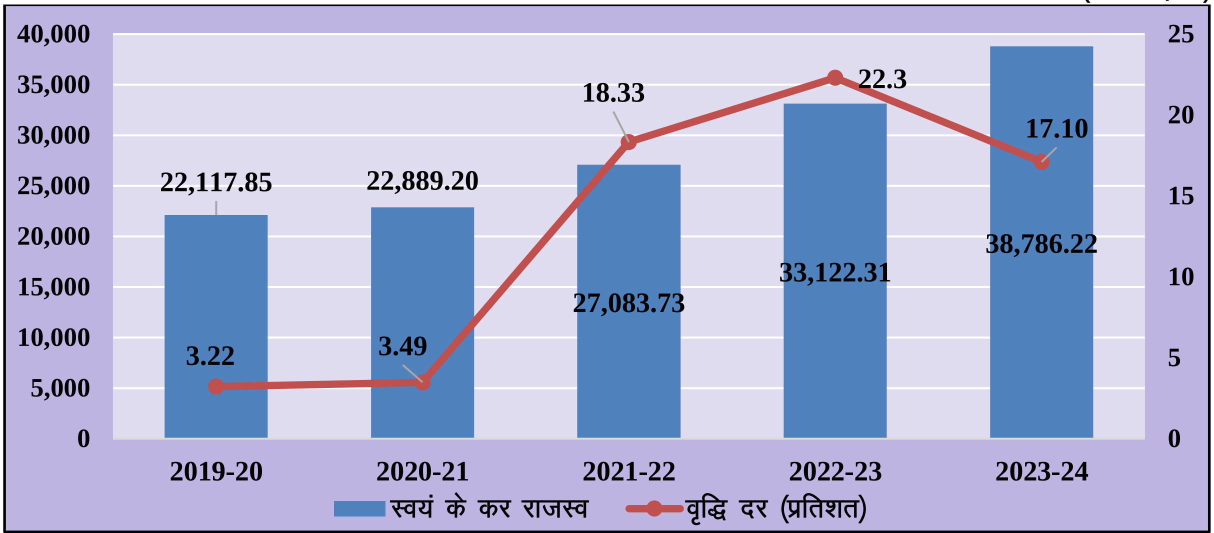

स्रोत : संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

वर्ष 2019–24 तक पाँच वर्षों के दौरान स्वयं के कर राजस्व प्राप्तियों का घटक–वार विवरण **तालिका 2.5** में दर्शाया गया है।

तालिका 2.5: वर्ष 2019–24 के दौरान घटक–वार स्वयं के कर राजस्व

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	शीर्ष	2019–20	2020–21	2021–22	2022–23	2023–24	2022–23 की तुलना में 2023–24 में % वृद्धि (+) / कमी (–)
1	बिक्री, व्यापार आदि पर कर	3,931.37	4,236.04	5,341.10	6,450.03	6,513.48	0.98
2	राज्य वस्तु एवं सेवा कर	7,894.82	7,925.01	9,483.48	11,298.14	13,793.29	22.08
3	राज्य उत्पाद शुल्क	4,952.36	4,635.80	5,106.61	6,782.70	8,430.41	24.29
4	विद्युत कर तथा शुल्क	1,837.00	2,341.41	2,836.05	3,676.97	4,584.76	24.69
5	वाहनों पर कर	1,274.85	1,148.07	1,372.51	1,756.62	2,048.20	16.60
6	मुद्रांक तथा पंजीकरण शुल्क	1,634.63	1,584.94	1,945.36	2,228.64	2,494.18	11.91
7	भू–राजस्व	551.50	937.71	949.94	868.56	847.80	(–)2.39
8	माल एवं यात्रियों पर कर	40.51	79.83	47.90	59.60	73.28	22.95
9	अन्य कर[3]	0.81	0.39	0.78	1.05	0.82	(–)21.90
	योग	**22,117.85**	**22,889.20**	**27,083.73**	**33,122.31**	**38,786.22**	**17.10**

स्रोत : संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

- राज्य का स्वयं का कर राजस्व 2019–20 में ₹22,117.85 करोड़ से ₹16,668.37 करोड़ (75.36 प्रतिशत) बढ़कर 2023–24 में ₹38,786.22 करोड़ हो गया। चालू वर्ष के दौरान, स्वयं कर

[3] अन्य करों में होटल प्राप्ति कर और आय और व्यय पर अन्य कर शामिल हैं।

राजस्व में ₹5,663.91 करोड़ (17.10 प्रतिशत) की वृद्धि हुई, जिसका मुख्य कारण राज्य वस्तु एवं सेवा कर (₹2,495.15 करोड़), राज्य उत्पाद शुल्क (₹1,647.71 करोड़) और बिजली पर कर और शुल्क (₹907.79 करोड़) के तहत प्राप्तियों में वृद्धि है।

- राज्य वस्तु एवं सेवा कर (एसजीएसटी) में वृद्धि मुख्य रूप से एसजीएसटी और आईजीएसटी (₹1,043.37 करोड़) के इनपुट टैक्स क्रेडिट क्रॉस उपयोग के तहत प्राप्ति में वृद्धि और आईजीएसटी के विभाजन–एसजीएसटी में कर घटक के हस्तांतरण (₹1,336.23 करोड़) के कारण थी। राज्य उत्पाद शुल्क में वृद्धि उत्पाद शुल्क विभाग द्वारा अवैध शराब की बिक्री पर नियंत्रण, शराब की दुकानों की संरचना में बदलाव और छत्तीसगढ़ राज्य विपणन निगम लिमिटेड द्वारा शराब दुकानों का कुशल प्रबंधन के कारण हुई थी। इसके अलावा, विद्युत पर करों और शुल्कों में वृद्धि मुख्य रूप से उद्योगों से लंबित वसूली की संग्रहण और सभी श्रेणियों में विद्युत दरों में वृद्धि के कारण हुई।
- वर्ष 2023–24 में ₹38,786.22 करोड़ के कुल स्वयं के कर राजस्व में से, राज्य वस्तु एवं सेवा कर का योगदान 36 प्रतिशत था, इसके बाद राज्य उत्पाद शुल्क का 22 प्रतिशत और बिक्री, व्यापार आदि पर कर का योगदान 17 प्रतिशत था। वर्ष 2023–24 के दौरान अनुमानित एसजीएसटी ₹14,027.63 करोड़ था जिसके मुकाबले वास्तविक संग्रह ₹13,793.29 करोड़ था जो अनुमान से 1.67 प्रतिशत कम था।

(ब) करेत्तर राजस्व

करेत्तर राजस्व में ब्याज प्राप्तियाँ, लाभांश और लाभ, खनन प्राप्तियाँ, विभागीय प्राप्तियाँ आदि शामिल हैं। वर्ष 2019–24 के दौरान एकत्र किए गए करेत्तर राजस्व का घटक–वार विवरण इस प्रकार है

तालिका 2.6: घटक वार करेत्तर राजस्व

(₹ करोड़ में)

क. सं.	राजस्व शीर्ष	2019–20	2020–21	2021–22	2022–23	2023–24	वर्ष 2022–23 की तुलना में 2023–24 में % वृद्धि (+)/ कमी (–)
1	**ब्याज प्राप्तियाँ**	**232.41**	**89.77**	**137.96**	**200.75**	**175.16**	**(–)12.75**
2	**लाभांश और लाभ**	**2.39**	**2.29**	**3.64**	**6.20**	**3.84**	**(–)38.06**
3	**अन्य करेत्तर प्राप्तियाँ**	**7,698.97**	**7,044.89**	**13,709.61**	**15,041.29**	**14,968.97**	**(–)0.48**
i	*अलौह खनन और धातुकर्म उद्योग*	*6,195.73*	*5,538.49*	*12,305.39*	*12,941.33*	*12,795.34*	*(–)1.13*
ii	*वानिकी तथा वन्य जीव*	*249.37*	*277.09*	*346.90*	*856.04*	*811.28*	*(–)5.23*
iii	*वृहद् सिंचाई*	*437.04*	*445.91*	*418.17*	*412.88*	*448.80*	*8.70*
iv	*लघु सिंचाई*	*287.54*	*232.72*	*140.60*	*311.86*	*342.10*	*9.70*
v	*अन्य*	*529.29*	*550.68*	*498.55*	*519.18*	*571.45*	*10.07*
योग		**7,933.77**	**7,136.95**	**13,851.21**	**15,248.24**	**15,147.97**	**(–)0.66**

स्रोत : संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

- कुल करेत्तर राजस्व प्राप्तियाँ 2019–20 में ₹7,933.77 करोड़ से बढ़कर ₹7,214.20 करोड़ (90.93 प्रतिशत) बढ़कर 2023–24 में ₹15,147.97 करोड़ हो गईं। पिछले वर्ष की तुलना में 2023–24 के दौरान करेत्तर राजस्व में ₹100.27 करोड़ (0.66 प्रतिशत) की कमी आई, जिसका मुख्य कारण अलौह खनन और धातुकर्म उद्योगों के तहत प्राप्तियों में ₹145.99 करोड़ की कमी थी।

➢ अलौह खनन और धातुकर्म उद्योगों में कमी मुख्य रूप से लौह अयस्क के औसत बाजार मूल्य में गिरावट और गौण खनिज (रेत) की खदानों पर पर्यावरण मंजूरी न मिलने के कारण थी।

(स) राजस्व के बकाया, विभाग द्वारा पकड़ी गई कर चोरी, रिफंड मामलों आदि का विश्लेषण

राजस्व के बकाया का विश्लेषण

राजस्व का बकाया शासन को देय राजस्व की देरी से वसूली का संकेत देता है। 31 मार्च 2024 तक राज्य उत्पाद शुल्क, वाहनों पर कर, जीएसटी और बिक्री, व्यापार आदि पर करों पर राजस्व का बकाया ₹10,279.39 करोड़ था, जिसमें से ₹2,727.65 करोड़ रुपये पांच वर्षों से अधिक समय से बकाया था, जैसा कि **तालिका 2.7** में बताया गया है।

तालिका 2.7: राजस्व का बकाया

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	राजस्व शीर्ष	31 मार्च 2024 तक कुल बकाया	31 मार्च 2024 तक पांच वर्ष से अधिक समय से बकाया	टिप्पणियाँ
1	राज्य उत्पाद शुल्क	56.39	56.39	इसमें आबकारी शुल्क अंतर, मनोरंजन कर बकाया, लाइसेंस शुल्क, खिसरा और पपिस्ट्रा (पोस्त बीज) लाइसेंस शुल्क बकाया की राशि शामिल है। वसूली की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
2	वाहनों पर कर	354.21	287.33	वाहन स्वामियों द्वारा वाहन कर समय पर जमा नहीं किया गया है। वसूली हेतु समय–समय पर प्रवर्तन बलों के चेक पोस्टों/उड़नदस्तों द्वारा कार्यवाही की गई है। पंजीकृत पते पर वाहन स्वामी के न मिलने तथा वाहन के निर्धारित मार्ग पर न चलने के कारण वाहन का पता नहीं चल पा रहा है तथा बकाया राशि की वसूली नहीं हो पा रही है।
3	जीएसटी	6,196.37	18.78	विभाग ने बताया कि वसूली की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। कुछ मामलों में पुनरीक्षण न्यायालय में अपील लंबित है। कुछ मामलों में मालिक की मृत्यु की स्थिति में बकाया राशि लंबित है। इसके अलावा कुछ व्यापारियों के बैंक खाते सीज कर दिए गए हैं, तथा कुछ व्यापारियों की राशि समायोजित कर ली गई है।
4	बिक्री, व्यापार आदि पर कर	3,672.42	2,365.15	विभाग द्वारा कारण नहीं बताया गया।
	योग	**10,279.39**	**2,727.65**	

स्रोतः विभागों द्वारा उपलब्ध करायी गयी जानकारी

सितंबर 2024 में लेखापरीक्षा द्वारा अनुरोध किए जाने के बावजूद विद्युत कर तथा शुल्क, स्टांप और पंजीकरण शुल्क, खनिज संसाधन और वन विभागों के द्वारा राजस्व का बकाया प्रदान नहीं किया गया है।

विभागों द्वारा कर चोरी के पकड़े गए मामले

विभागों द्वारा पकड़े गए कर चोरी के मामले, अंतिम रूप दिए गए मामले और उठाई गई अतिरिक्त कर की मांग राज्य सरकार के राजस्व संग्रहण प्रयासों के महत्वपूर्ण संकेतक हैं।

निम्नलिखित विभागों द्वारा पकड़े गए कर चोरी के मामले, अंतिम रूप दिए गए मामले और उठाए गए अतिरिक्त कर की मांग, जैसा कि इन विभागों द्वारा रिपोर्ट किया गया है, **तालिका 2.8** में दी गई है। उत्पाद शुल्क विभाग ने कर चोरी के शून्य मामले प्रस्तुत किये हैं।

तालिका 2.8: कर चोरी के मामले

क्र. सं.	राजस्व शीर्ष	1 अप्रैल 2023 तक लंबित राजस्व मामलों	2023–24 के दौरान पता लगाए गए मामले	योग	कुल मामलों की संख्या जिनमें मूल्यांकन / जांच पूरी हो गई और शास्ति आदि के साथ अतिरिक्त मांग उठाई गई		31 मार्च 2024 तक निपटान हेतु लंबित मामलों की संख्या
					मामलों की संख्या	मांग की राशि (₹ करोड़ में)	
1	वाहनों पर कर	877	152	1,029	1,029	7.30	0
2	जीएसटी	34	48	82	12	5.13	70
3	बिक्री, व्यापार आदि पर कर	3	0	3	3	320.19	0
योग		**914**	**200**	**1,114**	**1,044**	**332.62**	**70**

स्रोतः विभागों द्वारा उपलब्ध करायी गयी जानकारी

जैसा कि देखा जा सकता है, मार्च 2024 के अंत में कुल मामलों में से 6.28 प्रतिशत मामले अंतिम रूप देने के लिए लंबित थे। अन्य विभागों जैसे ऊर्जा, वाणिज्यिक कर (पंजीकरण), खनिज संसाधन, वन आदि ने सितंबर 2024 में लेखापरीक्षा द्वारा अनुरोध किए जाने के बावजूद कर/राजस्व की चोरी के संबंध में विवरण प्रस्तुत नहीं किया।

रिफंड मामलों का लंबित होना

रिफंड मामलों के निपटारे में तत्परता विभागों के प्रदर्शन का एक महत्वपूर्ण संकेतक है। वर्ष की शुरुआत में लंबित रिफंड मामलों की संख्या, वर्ष के दौरान प्राप्त दावे, वर्ष के दौरान स्वीकृत रिफंड और वर्ष के अंत में लंबित मामलों की संख्या, जैसा कि विभागों द्वारा रिपोर्ट किया गया है, **तालिका 2.9** में दी गई है।

तालिका 2.9: रिफंड मामले

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	राज्य उत्पाद शुल्क		वाहनों पर कर		जीएसटी		बिक्री, व्यापार आदि पर कर	
		मामलों की संख्या	राशि	मामलों की संख्या	राशि	मामलों की संख्या	राशि	मामलों की संख्या	राशि
1	वर्ष की शुरुआत में बकाया दावे (1 अप्रैल 2023)	22	0.81	1	0.06	500	193.75	942	9.82
2	वर्ष के दौरान प्राप्त दावे (2023–24)	5	0.33	15	0.64	1956	895.37	1,349	47.41
3	वर्ष के दौरान किए गए रिफ़ंड (2023–24)	12	0.71	0	0.00	1,425	627.47	1,256	46.24
4	वर्ष के दौरान अस्वीकृत रिफ़ंड (2023–24)	0	0.00	15	0.64	503	250.41	8	0.11
5	वर्ष के अंत में बकाया शेष राशि (31 मार्च 2024)	15	0.43	1	0.06	528	211.24	1,027	10.88

स्रोतः विभागों द्वारा उपलब्ध करायी गयी जानकारी

ऊर्जा (बिजली पर कर और शुल्क), वाणिज्यिक कर (पंजीकरण), खनिज संसाधन और वन विभागों ने मार्च 2024 के अंत में लंबित रिफंड मामलों का विवरण प्रस्तुत नहीं किया।

2.3.2.3 केंद्र से निधियों का हस्तांतरण

केंद्र सरकार से निधि का हस्तांतरण वित्त आयोग की सिफारिशों पर निर्भर है। राज्य को वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित केंद्रीय करों और सहायता अनुदान (जीआईए) में अपने हिस्से के अलावा, केंद्र प्रायोजित योजनाओं (सीएसएस)/अन्य अनुदानों के तहत जीआईए प्राप्त होता है। दस वर्ष की अवधि 2014–24 के दौरान इस संबंध में प्रवृत्ति **चार्ट 2.7** में दर्शाया गया हैं।

चार्ट 2.7: केंद्र से हस्तांतरण की प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)

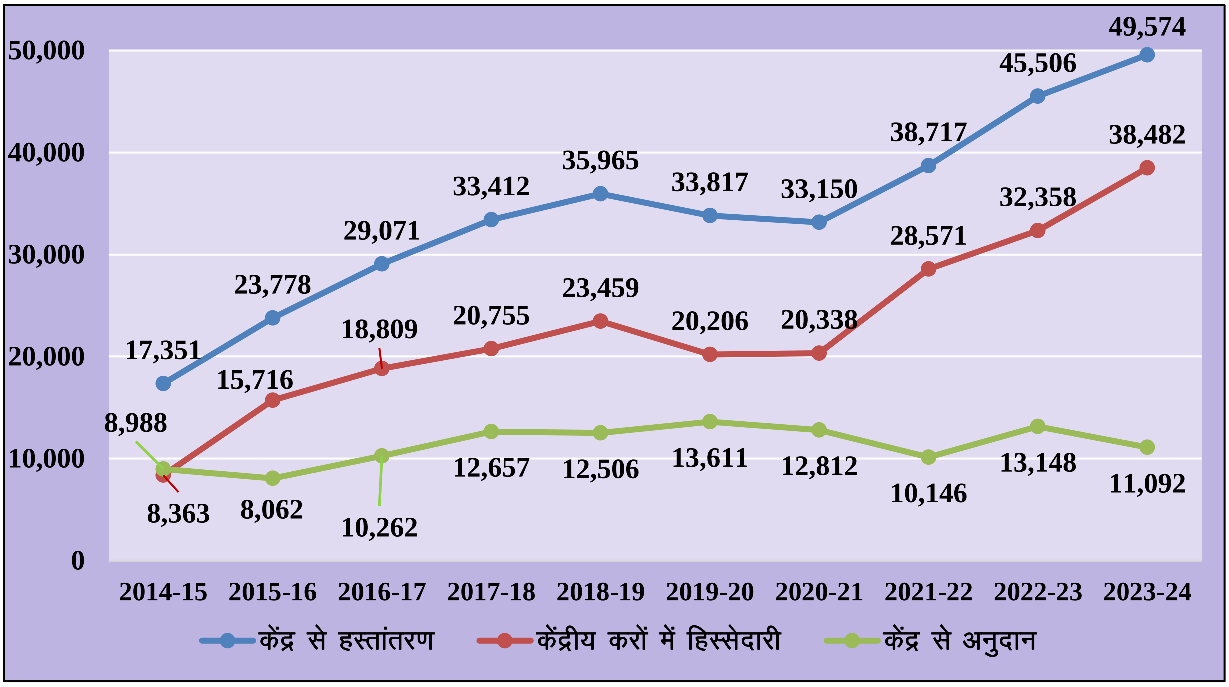

स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

केंद्र से धन का हस्तांतरण 2015–16 के बाद से बढ़ गया है, क्योंकि केंद्रीय करों में राज्य की हिस्सेदारी चौदहवें वित्त आयोग के अनुसार 32 प्रतिशत से बढ़कर 42 प्रतिशत हो गई है, जो कि पंद्रहवें वित्त आयोग रिपोर्ट के अनुसार 2020–21 से घटकर 41 प्रतिशत हो गई है। चालू वर्ष के दौरान, केंद्र से स्थानांतरण 2022–23 में ₹45,506 करोड़ से ₹4,068 करोड़ बढ़कर 2023–24 में ₹49,574 करोड़ हो गया।

(अ) केन्द्रीय कर हस्तान्तरण

वर्ष 2019–24 के दौरान केन्द्रीय करों और शुल्कों में छतीसगढ़ राज्य के हिस्से का विवरण **तालिका 2.10** में दिया गया है।

तालिका 2.10: केन्द्रीय कर हस्तान्तरण

(₹ करोड़ में)

क. सं.	शीर्ष	2019–20	2020–21	2021–22	2022–23	2023–24
1	केन्द्रीय वस्तु एवं सेवा कर	5,733.71	6,068.90	8,628.50	9,142.17	11,678.76
2	एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	निगम कर	6,889.42	6,117.65	7,699.82	10,851.70	11,550.56
4	निगम कर से भिन्न आय पर कर	5,398.34	6,269.51	8,887.95	10,589.64	13,339.34
5	सीमा शुल्क	1,280.78	1,097.20	2,017.68	1,271.87	1,348.55
6	संघ उत्पाद शुल्क	890.49	686.04	1,009.06	399.02	510.32
7	सेवा कर	0.00	84.52	296.68	50.61	7.18
8	अन्य कर	13.10	13.72	31.10	53.25	47.17
9	**केन्द्रीय कर हस्तांतरण**	**20,205.84**	**20,337.54**	**28,570.79**	**32,358.26**	**38,481.88**
10	पिछले वर्ष की तुलना में वृद्वि का प्रतिशत	(–)13.87	0.65	40.48	13.26	18.92
11	**राजस्व प्राप्तियों में केन्द्रीय कर हस्तांतरण का प्रतिशत**	**31.64**	**32.19**	**35.87**	**34.47**	**37.18**

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

पांच साल की अवधि वर्ष 2019–24 में, केंद्रीय कर हस्तांतरण वर्ष 2019–20 में ₹20,205.84 करोड़ से ₹18,276.04 करोड़ (90.45 प्रतिशत) बढ़कर वर्ष 2023–24 में ₹38,481.88 करोड़ हो गया। केंद्रीय कर हस्तांतरण की वृद्धि दर में 2019–24 के दौरान (–)13.87 प्रतिशत से 40.48 प्रतिशत उतार–चढ़ाव का प्रवृत्ति देखा गया। पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2023–24 में केंद्रीय कर हस्तांतरण में ₹6,123.62 करोड़ (18.92 प्रतिशत) की वृद्धि मुख्य रूप से केंद्रीय वस्तु और सेवा कर (₹2,536.59 करोड़) और निगम कर से भिन्न आय पर कर (₹2,749.70 करोड़) के तहत राज्य को सौंपी गई शुद्ध आय में वृद्धि के कारण हुई।

(ब) भारत सरकार से सहायता अनुदान

वर्ष 2019–24 के दौरान राज्य शासन को भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान का विवरण नीचे **तालिका 2.11** में दिया गया है।

तालिका 2.11: भारत सरकार से सहायता अनुदान

(₹ करोड़ में)

क. सं.	विवरण	2019–20	2020–21	2021–22	2022–23	2023–24
1	केन्द्र प्रवर्तित योजना के लिये अनुदान	7,808.24	6,975.55	6,170.60	8,712.52	8,217.62
2	वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान	2,044.75	2,289.50	2,379.80	1,772.80	1,770.90
3	अन्य हस्तांतरण/राज्यों को अनुदान	3,758.25	3,547.44	1,595.90	2,663.01	1,103.61
योग		**13,611.24**	**12,812.49**	**10,146.30**	**13,148.33**	**11,092.13**
4	पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि/कमी का प्रतिशत	8.84	(–)5.87	(–)20.81	29.59	(–)15.64
5	राजस्व प्राप्तियाँ	63,868.70	63,176.18	79,652.03	93,877.14	1,03,508.20
6	राज्य के राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में कुल सहायता अनुदान	21.31	20.28	12.74	14.01	10.72

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

वर्ष 2023–24 के दौरान राज्य शासन की राजस्व प्राप्तियों में सहायता अनुदान का हिस्सा 11 प्रतिशत था। इसके अलावा, राजस्व प्राप्तियों में सहायता अनुदान का योगदान 2019–20 में 21 प्रतिशत से घटकर 2023–24 में 11 प्रतिशत हो गया। राज्य को केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लिए अनुदान

(₹8,217.62 करोड़) वर्ष के दौरान कुल अनुदान का 74 प्रतिशत था। राज्य को वित्त आयोग अनुदान (₹1,770.90 करोड़) स्थानीय निकायों और राज्य आपदा प्रतिक्रिया शमन निधि के लिए प्रदान किया गया था और वर्ष के दौरान कुल अनुदान का 16 प्रतिशत निर्धारित था।

वर्ष 2023–24 के दौरान भारत सरकार से सहायता अनुदान में पिछले वर्ष की तुलना में ₹2,056.20 करोड़ (15.64 प्रतिशत) की कमी आई, जिसका मुख्य कारण राज्य को अन्य हस्तांतरण/अनुदान के तहत वस्तु और सेवा कर के कार्यान्वयन से उत्पन्न राजस्व हानि के क्षतिपूर्ति की प्राप्ति में कमी है।

एकल नोडल एजेंसी:

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने पत्र संख्या (13) पीएफएमएस/एफसीडी/2020 दिनांक 23 मार्च 2021 के माध्यम से केंद्र प्रायोजित योजना (सीएसएस) के तहत निधि जारी करने और राज्य नोडल एजेंसी (एसएनए) के माध्यम से जारी निधि के उपयोग की निगरानी के लिए प्रक्रिया अधिसूचित की थी। प्रत्येक सीएसएस के लिए, एसएनए को राज्य सरकार द्वारा सरकारी व्यवसाय संचालित करने के लिए अधिकृत अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक में अपने बैंक खाते के साथ स्थापित किया जाना है।

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र दिनांक 16 फरवरी 2023 के अनुसार, राज्य सरकार केंद्रीय हिस्सेदारी की प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर केंद्रीय हिस्सेदारी के साथ–साथ राज्य हिस्सेदारी को एसएनए खाते में स्थानांतरित कर देगी। एसएनए खाते में केंद्रीय हिस्सेदारी के हस्तांतरण में 30 दिनों से अधिक की देरी पर राज्य शासन द्वारा 01.04.2023 से सात प्रतिशत वार्षिक दर से दिनों की संख्या पर ब्याज का भुगतान करना होगा।

31 मार्च 2024 तक, राज्य शासन ने ₹8,514.85 करोड़ का केंद्रीय हिस्सा और ₹8,609.09 करोड़ का राज्य हिस्सा एसएनए को हस्तांतरित कर दिया। महालेखाकार कार्यालय को एसएनए से वास्तविक व्यय के विस्तृत व्हाउचर और सहायक दस्तावेज प्राप्त नहीं हुए थे। पीएफएमएस पोर्टल की एसएनए रिपोर्ट के अनुसार, 31 मार्च 2024 तक एसएनए के बैंक खातों में ₹7,196.82 करोड़ रुपये बिना खर्च किए पड़े हैं।

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के ओएम दिनांक 30.06.2021 के अनुसार, केंद्र प्रायोजित योजना में केंद्र के हिस्से की अव्ययित राशि पर अर्जित ब्याज भारत के समेकित निधि में जमा किया जाना चाहिए। वर्ष 2023–24 के दौरान, केंद्र प्रायोजित योजना के केंद्र के हिस्से की अव्ययित शेष राशि पर अर्जित ब्याज की ₹1.53 करोड़ की राशि को राज्य शासन/एसएनए द्वारा भारत के समेकित निधि में जमा करने के बजाय राज्य के समेकित निधि में जमा किया गया था। इसके परिणामस्वरूप राजस्व अधिशेष ₹1.53 करोड़ अधिक बताया गया। इसके अलावा, वर्ष 2022–23 के दौरान जमा की गई केंद्रीय हिस्सेदारी पर ब्याज की राशि ₹22.80 करोड़ में से, 2023–24 में केवल ₹5.45 करोड़ भारत सरकार के पेयजल और स्वच्छता विभाग को हस्तांतरित किए गए थे। परिणामस्वरूप, 31 मार्च 2024 को राज्य शासन का रोकड़ शेष ₹18.88 करोड़ (2022–23 का ₹17.35 करोड़ और 2023–24 का ₹1.53 करोड़) अधिक बताया गया।

(क) पंद्रहवें वित्त आयोग अनुदान

भारत सरकार स्थानीय निकायों के लिए पंद्रहवें वित्त आयोग और राज्यों को राज्य आपदा जोखिम प्रबंधन कोष (एसडीआरएमएफ) के तहत अनुदान प्रदान करती है। वर्ष 2023–24 के दौरान भारत सरकार द्वारा राज्य को इस संबंध में प्रदान किये गये अनुदान का विवरण **तालिका 2.12** में दिया गया है।

तालिका 2.12: पंद्रहवें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार भारत सरकार द्वारा 2023–24 के दौरान जारी सहायता अनुदान

(₹ करोड़ में)

क. सं.	हस्तांतरण	पंद्रहवें वित्त आयोग की अनुशंसा	भारत सरकार द्वारा 2023–24 में जारी अनुदान
स्थानीय निकाय			
1	**पंचायती राज संस्थाओं को अनुदान**	**1,125.00**	**1,125.00**
(अ)	मूल/संयुक्त अनुदान (40%)	450.00	450.00
(ब)	निष्पादन/बंधित अनुदान (60%)	675.00	675.00
2	**शहरी स्थानीय निकायों को अनुदान**	**580.00**	**373.50**
(अ)	*मिलियन प्लस* शहरों के लिये अनुदान	178.00	107.50#
(ब)	*नॉन मिलियन प्लस* शहरों के लिये अनुदान	402.00	266.00#
3	**स्थानीय निकायों को स्वास्थ्य अनुदान**	**356.00**	**0.00**
4	**स्थानीय निकायों का योग**	**2,061.00**	**1,498.50**
5	**राज्य आपदा जोखिम प्रबंधन निधि (एसडीआरएमएफ)**	476.00	272.40
(अ)	एसडीआरएफ (80%)	380.80	181.60#
(ब)	एसडीएमएफ (20%)	95.20	90.80#
6	**कुल योग**	**2,537.00**	**1,770.90**

स्रोतः वित्त लेखे 2023–24 तथा पंद्रहवें वित्त आयोग प्रतिवेदन

 # वर्ष 2022–23 से संबंधित अनुदान भारत सरकार द्वारा वर्ष 2023–24 में जारी किये गये।

- मार्च 2024 तक, राज्य शासन को 2023–24 के दौरान पंद्रहवें वित्त आयोग की सिफारिश के विरुद्ध पंचायती राज संस्थाओं को संपूर्ण अनुदान (मूल अनुदान ₹450.00 करोड़ और बंधित अनुदान ₹675.00 करोड़) प्राप्त हुआ।
- वर्ष 2023–24 के लिए शहरी स्थानीय निकाय को ₹580.00 करोड़ के अनुदान के लिए पंद्रहवें वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार भारत सरकार से कोई धनराशि प्राप्त नहीं हुई। वर्ष 2022–23 हेतु ₹373.50 करोड़ का अनुदान वर्ष 2023–24 के दौरान प्राप्त हुआ। 2023–24 के दौरान पंद्रहवें वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार ₹356.00 करोड़ के स्वास्थ्य अनुदान के लिए भारत सरकार से कोई धनराशि प्राप्त नहीं हुई।
- चालू वर्ष 2023–24 के दौरान पंद्रहवें वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार ₹476.00 करोड़ के एसडीआरएमएफ अनुदान के लिए भारत सरकार से कोई अनुदान प्राप्त नहीं हुआ। राज्य शासन को वर्ष 2023–24 के दौरान भारत सरकार से वर्ष 2022–23 के लिए एसडीआरएमएफ की दूसरी किस्त ₹181.60 करोड़ प्राप्त हुई। राज्य शासन को वर्ष 2023–24 के दौरान भारत सरकार से वर्ष 2022–23 के लिए ₹90.80 करोड़ की एसडीआरएमएफ की पहली और दूसरी किस्त भी प्राप्त हुई।

2.3.3 पूँजीगत अनुभाग के तहत प्राप्तियाँ

पूंजी अनुभाग के अंतर्गत प्राप्तियों में विविध पूंजी प्राप्तियां शामिल होती हैं जैसे विनिवेश से आय, ऋण और अग्रिम की वसूली, आंतरिक स्रोतों से ऋण प्राप्तियाँ (बाजार ऋण, वित्तीय संस्थानों/वाणिज्यिक बैंकों से उधार) और भारत सरकार से ऋण और अग्रिम।

निम्नलिखित तालिका वर्ष 2019–20 से 2023–24 के लिए पूँजीगत अनुभाग में प्राप्तियों की वृद्धि और संरचना के प्रवृति को दर्शाती है।

तालिका 2.13: पूँजीगत अनुभाग के तहत प्राप्तियों की संरचना एवं वृद्धि की प्रवृतियाँ

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	पूँजीगत अनुभाग के तहत राज्य की प्राप्तियों के स्रोत	2019–20	2020–21	2021–22	2022–23	2023–24
1	विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ	4.70	4.85	4.89	5.60	5.01
2	ऋण तथा अग्रिमों की वसूली	256.78	104.80	88.06	117.52	24.96
3	अंतर्राज्यीय परिशोधन	0.13	(–)0.67	(–)0.04	(–)0.28	0.65
4	**गैर–ऋण पूँजीगत प्राप्तियाँ (अ)**	**261.61**	**108.98**	**92.91**	**122.84**	**30.62**
5	आंतरिक ऋण प्राप्तियाँ	19,308.36	17,961.37	9,321.77	6,938.61	50,258.44
6	वृद्धि दर (प्रतिशत)	*39.75*	*(–)6.98*	*(–)48.10*	*(–)25.57*	*624.33*
7	केन्द्र सरकार से प्राप्त ऋण एवं अग्रिम	279.17	3,620.31	5,776.51	3,700.13	3,791.28
8	वृद्धि दर (प्रतिशत)	*(–)49.56*	*1,196.81*	*59.56*	*(–)35.95*	*2.46*
9	**लोक ऋण प्राप्तियाँ (ब)**	**19,587.53**	**21,581.68**	**15,098.28**	**10,638.74**	**54,049.72**
10	**पूँजीगत अनुभाग के अंतर्गत प्राप्तियाँ (अ+ब)**	**19,849.14**	**21,690.66**	**15,191.19**	**10,761.58**	**54,080.34**
11	गैर–ऋण पूँजीगत प्राप्तियों की वृद्धि दर (प्रतिशत)	*55.59*	*(–)58.34*	*(–)14.75*	*32.21*	*(–)75.07*
12	पूँजीगत प्राप्तियों अनुभाग के अंतर्गत लोक ऋण की वृद्धि दर (प्रतिशत)	*36.31*	*10.18*	*(–)30.04*	*(–)29.54*	*408.05*
13	वर्तमान मूल्यों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर (प्रतिशत)	*5.37*	*2.22*	*16.52*	*13.12*	*8.93*
14	पूँजीगत अनुभाग के अंतर्गत प्राप्तियों की वृद्धि दर (प्रतिशत)	*36.53*	*9.28*	*(–)29.96*	*(–)29.16*	*402.53*

स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

पिछले पांच वर्षों में पूँजीगत अनुभाग प्राप्तियों में ऋण का हिस्सा सबसे बड़ा रहा, इसके बाद ऋणों और अग्रिमों की वसूली और विविध पूंजी प्राप्तियाँ रहीं, जो मिलकर राज्यों की पूँजीगत प्राप्तियों में एक प्रतिशत से भी कम रहीं।

राज्य की पूँजीगत अनुभाग प्राप्तियाँ वर्ष 2019–20 में ₹19,849.14 करोड़ से ₹34,231.20 करोड़ (172.46 प्रतिशत) बढ़कर वर्ष 2023–24 में ₹54,080.34 करोड़ हो गईं। वर्ष 2023–24 के दौरान, पूँजीगत अनुभाग प्राप्तियों में पिछले वर्ष की तुलना में ₹43,318.76 करोड़ (402.53 प्रतिशत) की वृद्धि हुई, जिसका मुख्य कारण आंतरिक ऋण में ₹43,319.83 करोड़ (624.33 प्रतिशत) की तेज वृद्धि थी। पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2023–24 में ऋण और अग्रिम में ₹92.56 करोड़ (78.76 प्रतिशत) की कमी आई।

2.3.4 संसाधन जुटाने में राज्य का प्रदर्शन

संसाधन जुटाने में राज्य के प्रदर्शन का मूल्यांकन उसके अपने संसाधनों के आधार पर किया जाता है, जिसमें स्वयं–कर और करेत्तर स्रोत शामिल हैं। पंद्रहवें वित्त आयोग के आकलन और बजट अनुमान की तुलना में 2023–24 के लिए राज्य का वास्तविक स्वयं का कर और करेत्तर राजस्व **तालिका 2.14** में दिया गया है।

तालिका 2.14: कर और करेत्तर प्राप्तियाँ के सापेक्ष अनुमान

(₹ करोड़ में)

क. सं.	विवरण	पंद्रहवें वित्त आयोग के अनुमान	बजट अनुमान	वास्तविक	वास्तविक के सापेक्ष प्रतिशत परिवर्तन	
					पंद्रहवें वित्त आयोग के अनुमान	बजट अनुमान
1	स्वयं के कर राजस्व	29,195.00	38,000.00	38,786.22	32.85	2.07
2	करेत्तर राजस्व	10,536.00	18,200.00	15,147.97	43.77	(–)16.77
योग		**39,731.00**	**56,200.00**	**53,934.19**	**35.75**	**(–)4.03**

स्रोतः वित्त लेखे, बजट बुक तथा वित्त आयोग प्रतिवेदन

राज्य शासन ने अपना कर राजस्व जुटाने में पंद्रहवें वित्त आयोग और बजट अनुमानों की अपेक्षाओं को क्रमशः 32.85 प्रतिशत और 2.07 प्रतिशत से अधिक कर दिया। हालाँकि, यह अपने ही बजट अनुमान में निर्धारित करेत्तर राजस्व लक्ष्य को पूरा नहीं कर सका और 16.77 प्रतिशत कम रहा। बजट अनुमान के अनुसार स्वयं के कर राजस्व (₹786.22 करोड़) में वृद्धि मुख्य रूप से बजट में किए गए अनुमानों की तुलना में राज्य उत्पाद शुल्क में ₹1,730.42 करोड़ की वृद्धि के कारण हुई। इसी प्रकार, बजट अनुमान की तुलना में करेत्तर राजस्व में ₹3,052.03 करोड़ रुपये की कमी मुख्य रूप से अलौह खनन और धातुकर्म उद्योग के अंतर्गत ₹2,704.66 करोड़ रुपये तथा प्रमुख सिंचाई के अंतर्गत बजट अनुमान की तुलना में ₹373.57 करोड़ रुपये कम प्राप्तियों के कारण हुई।

2.4 संसाधनो का उपयोग

राज्य सरकार को राजकोषीय उत्तरदायित्व कानूनों के ढांचे के भीतर व्यय करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है, साथ ही यह सुनिश्चित करना है कि राज्य की चल रही राजकोषीय सुधार और समेकन प्रक्रिया पूँजीगत बुनियादी ढांचे और सामाजिक क्षेत्र के विकास के लिए निर्देशित व्यय की कीमत पर नहीं है।

2.4.1 व्यय की वृद्धि एवं संरचना

वर्ष 2019–20 से 2023–24 के दौरान सकल राज्य घरेलू उत्पाद में कुल व्यय, इसकी संरचना और सापेक्ष हिस्सेदारी **तालिका 2.15** में दर्शाया गया है।

तालिका 2.15: कुल व्यय और इसकी संरचना

(₹ करोड़ में)

क. सं.	मापदंड	2019–20	2020–21	2021–22	2022–23	2023–24 (बजट अनुमान)	2023–24 (वास्तविक)
1	**कुल व्यय**	**82,099.86**	**79,107.54**	**85,838.04**	**98,691.19**	**1,21,500.25**	**1,30,471.85**
2	राजस्व व्यय	73,477.31	70,032.84	75,010.01	85,285.03	1,02,500.70	1,14,740.96
3	पूँजीगत व्यय	8,566.39	9,024.19	10,504.22	13,320.30	18,660.20	15,418.93
4	ऋण एवं अग्रिम[4]	56.16	50.51	323.81	85.86	339.35	311.96
5	**सकल राज्य घरेलू उत्पाद प्रचलित मूल्य पर**	**3,44,672**	**3,52,328**	**4,10,525**	**4,64,399**	**5,09,043**	**5,05,887**
6	**सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत में**						
7	कुल व्यय/सकल राज्य घरेलू उत्पाद	*23.82*	*22.45*	*20.91*	*21.25*	*23.87*	*25.79*

[4] अंतर्राज्यीय परिशोधन सहित ऋण और अग्रिम

8	राजस्व व्यय/सकल राज्य घरेलू उत्पाद	21.32	19.88	18.27	18.36	20.14	22.68
9	पूँजीगत व्यय/सकल राज्य घरेलू उत्पाद	2.49	2.56	2.56	2.87	3.67	3.05
10	ऋण एवं अग्रिम/सकल राज्य घरेलू उत्पाद	0.02	0.01	0.08	0.02	0.07	0.06

स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

तालिका 2.15 से पता चलता है कि राज्य का कुल व्यय वर्ष 2019–20 में ₹82,099.86 करोड़ से ₹48,371.99 करोड़ (58.92 प्रतिशत) बढ़कर वर्ष 2023–24 में ₹130,471.85 करोड़ हो गया। हालाँकि, सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में कुल व्यय में उतार–चढ़ाव की प्रवृत्ति है, जिसमें वर्ष 2019–20 से 2021–22 तक कमी और वर्ष 2022–23 से 2023–24 तक वृद्धि हुई है।

चालू वर्ष के दौरान, पिछले वर्ष की तुलना में कुल व्यय में ₹31,780.66 करोड़ (32.20 प्रतिशत) की वृद्धि हुई, जिसका मुख्य कारण राजस्व व्यय में ₹29,455.93 करोड़ (34.54 प्रतिशत) की वृद्धि थी। राजस्व व्यय बजटीय अनुमान से 12 प्रतिशत अधिक हो गया।

वर्ष 2023–24 के दौरान, पूँजीगत और ऋण एवं अग्रिम पर वास्तविक व्यय बजट अनुमान से कम था। पूँजीगत व्यय का बजट अनुमान से कम होना यह दर्शाता है कि पूँजीगत परियोजनाओं में योजनानुसार निवेश नहीं किया गया।

इसके अलावा, सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में राजस्व व्यय में वर्ष 2019–20 से 2021–22 तक गिरावट देखी गई है और उसके बाद यह 2022–23 से 2023–24 तक वृद्धि हुई है। सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में पूँजीगत व्यय वर्ष 2022–23 (2.87 प्रतिशत) से 2023–24 (3.05 प्रतिशत) की मामूली वृद्धि के साथ अपेक्षाकृत स्थिर रहा।

चार्ट 2.8 कुल व्यय में घटकों की हिस्सेदारी की प्रवृत्ति को दर्शाता है।

चार्ट 2.8: कुल व्यय: इसके घटकों के हिस्से में प्रवृत्ति

(प्रतिशत में)

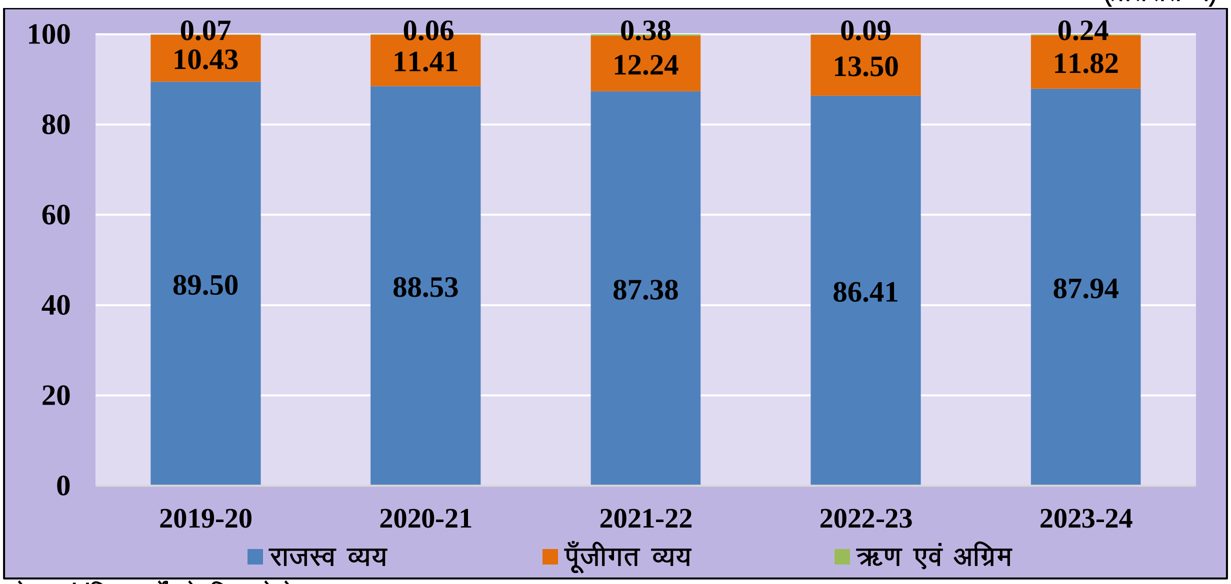

स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

चार्ट 2.8 से पता चलता है कि 2019–24 के दौरान राजस्व व्यय कुल व्यय का प्रमुख हिस्सा (86.41 प्रतिशत से 89.50 प्रतिशत) था। दूसरी ओर, पूँजीगत व्यय कुल व्यय का 10.43 प्रतिशत से 13.50 प्रतिशत

के बीच था।

गतिविधियों के संदर्भ में, **परिशिष्ट 2.1** में दिखाए गए कुल व्यय में ब्याज भुगतान, सामाजिक सेवाओं, आर्थिक सेवाओं और अन्य सहित सामान्य सेवाओं पर व्यय शामिल है। इन घटकों पर सापेक्ष व्यय **तालिका 2.16** में दिखाया गया है।

तालिका 2.16: व्यय के विभिन्न क्षेत्रों का हिस्सा

(₹ करोड़ में)

क. सं.	मापदंड	2019–20	2020–21	2021–22	2022–23	2023–24
1	सामान्य सेवायें	19,289.82	20,095.21	21,727.03	23,579.86	27,124.25
2	सामाजिक सेवायें	28,610.12	28,001.32	31,382.55	36,842.83	46,702.08
3	आर्थिक सेवायें	33,079.55	29,885.69	31,615.95	37,126.03	55,347.49
4	अन्य (स्थानीय निकायों को अनुदान और अंतर्राज्यीय परिशोधन)	1,120.37	1,125.32	1,112.51	1,142.47	1,298.03
कुल व्यय		**82,099.86**	**79,107.54**	**85,838.04**	**98,691.19**	**1,30,471.85**

स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

- सामान्य सेवाओं पर व्यय 2022–23 में ₹23,579.86 करोड़ से ₹3,544.39 करोड़ (15.03 प्रतिशत) बढ़कर 2023–24 में ₹27,124.25 करोड़ हो गया, जिसका मुख्य कारण पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों पर व्यय में ₹1,450.36 करोड़, पुलिस पर ₹564.53 करोड और ब्याज भुगतान ₹416.26 करोड़ की वृद्धि है।
- चालू वर्ष के दौरान, पिछले वर्ष की तुलना में सामाजिक सेवाओं में व्यय में ₹9,859.25 करोड़ (26.76 प्रतिशत) की वृद्धि हुई, जिसका मुख्य कारण सामान्य शिक्षा में ₹2,954.40 करोड़, सामाजिक सुरक्षा और कल्याण में ₹2,350.76 करोड़ और आवास में ₹2,105.87 करोड़ की वृद्धि है।
- पिछले वर्ष की तुलना में आर्थिक सेवाओं में व्यय में ₹18,221.46 करोड़ (49.08 प्रतिशत) की वृद्धि हुई, जिसका मुख्य कारण फसल पालन पर राजस्व व्यय में ₹15,528.69 करोड़ और बिजली पर ₹1,228.18 करोड़ की वृद्धि है।

चार्ट 2.9: गतिविधियों द्वारा कुल व्यय

(प्रतिशत में)

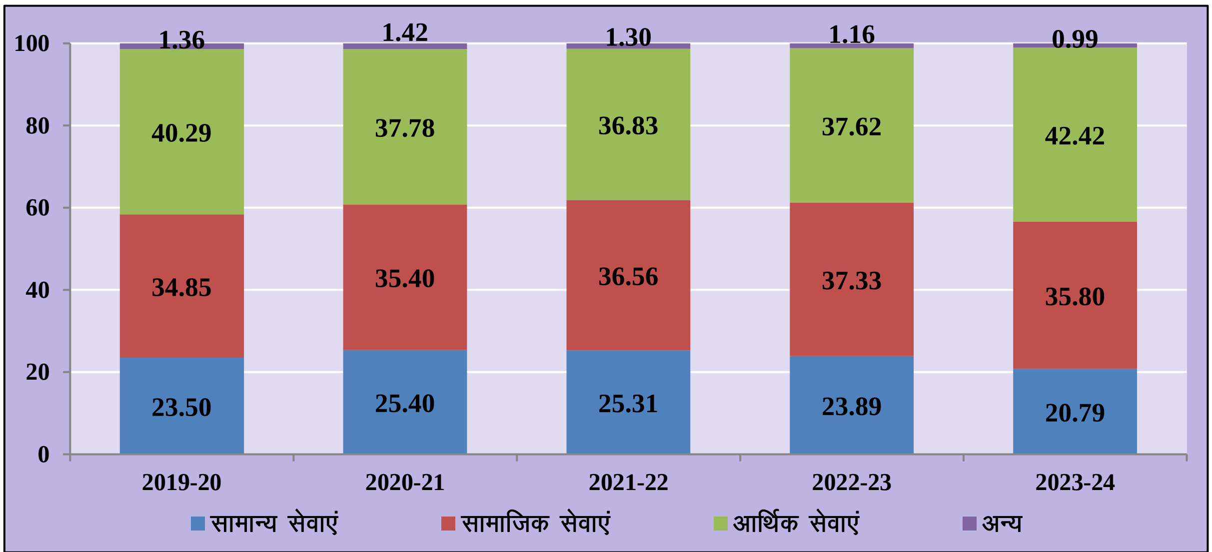

स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

जैसा कि **चार्ट 2.9 से** देखा जा सकता है, कुल व्यय में सामाजिक सेवा व्यय की हिस्सेदारी में वृद्धि देखी गई है यानी वर्ष 2019–20 में 34.85 प्रतिशत से वर्ष 2022–23 में 37.33 प्रतिशत हो गई है, लेकिन वर्ष 2023–24 में थोड़ा कम होकर 35.79 प्रतिशत हो गई है। कुल व्यय में सामान्य सेवाओं की हिस्सेदारी वर्ष 2020–21 में 25.40 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2023–24 में 20.79 प्रतिशत हो गई। इसके अलावा, कुल व्यय में आर्थिक सेवाओं की हिस्सेदारी 2019–20 से 2021–22 के दौरान घटी और फिर वर्ष 2021–22 (36.83 प्रतिशत) में बढ़कर 2023–24 (42.42 प्रतिशत) हो गई। वर्ष 2023–24 के दौरान कुल व्यय में सामाजिक और आर्थिक सेवाओं का हिस्सा 78.21 प्रतिशत था। **चार्ट 2.10** 2023–24 के दौरान व्यय की संरचना को दर्शाता है।

चार्ट 2.10: 2023–24 के दौरान कुल व्यय की संरचना

(प्रतिशत में)

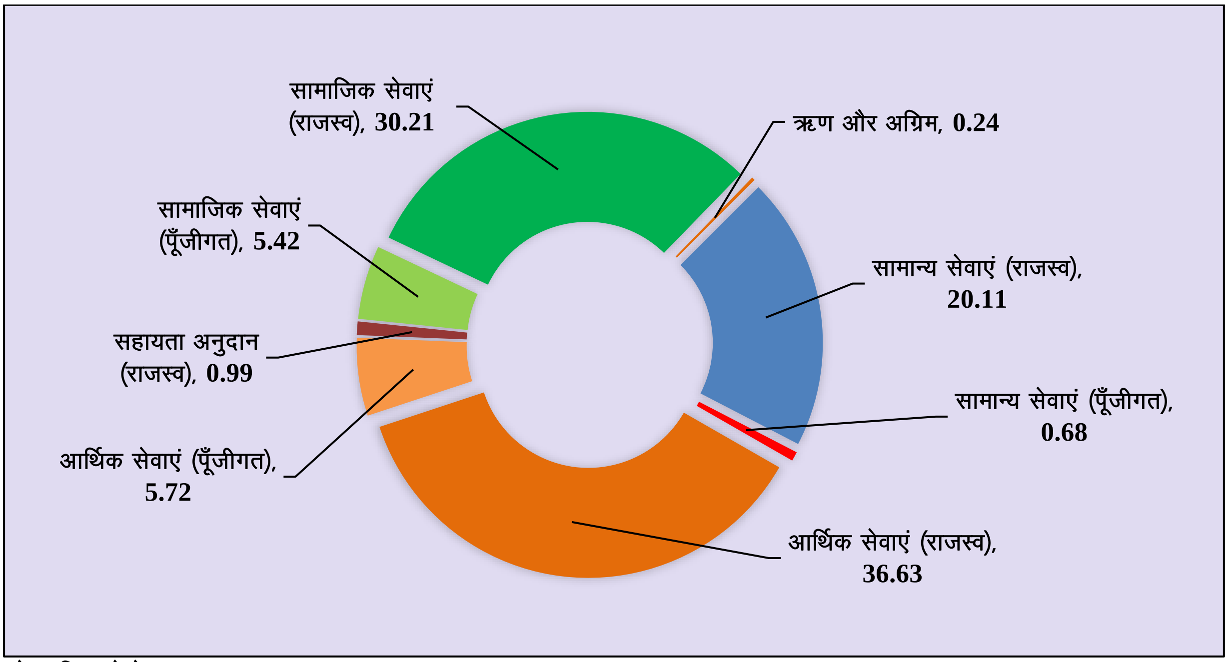

स्रोतः वित्त लेखे 2023–24

चार्ट 2.10 प्रस्तुत करता है कि वर्ष 2023–24 के दौरान, आर्थिक सेवाओं के तहत राजस्व व्यय कुल व्यय का 36.63 प्रतिशत सबसे अधिक था, इसके बाद सामाजिक सेवाओं में 30.21 प्रतिशत और सामान्य सेवाओं में 20.11 प्रतिशत था। सामान्य सेवाओं पर पूँजीगत व्यय 0.67 प्रतिशत, सामाजिक सेवाओं पर 5.42 प्रतिशत, आर्थिक सेवाओं पर 5.72 प्रतिशत और वितरित ऋण और अग्रिम कुल व्यय का 0.24 प्रतिशत था।

2.4.2 राजस्व व्यय

राजस्व व्यय सेवाओं के वर्तमान स्तर को बनाए रखने और पिछले दायित्वों के भुगतान के लिए किया जाता है। इस प्रकार, इससे राज्य के बुनियादी ढांचे और सेवा नेटवर्क में कोई बढ़ोतरी नहीं होगी। कुल राजस्व व्यय, इसकी वृद्धि दर और कुल व्यय का अनुपात **तालिका 2.17** में दिखाया गया है।

तालिका 2.17: राजस्व व्यय–मूल मापदण्ड

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	मापदंड	2019–20	2020–21	2021–22	2022–23	2023–24
1	**कुल व्यय**	**82,099.86**	**79,107.54**	**85,838.04**	**98,691.19**	**1,30,471.85**
2	**राजस्व व्यय**	**73,477.31**	**70,032.84**	**75,010.01**	**85,285.03**	**1,14,740.96**
3	राजस्व व्यय की वृद्धि दर (प्रतिशत)	*14.08*	*(–)4.69*	*7.11*	*13.70*	*34.54*
4	राजस्व व्यय का कुल व्यय से प्रतिशत	*89.50*	*88.53*	*87.39*	*86.42*	*87.94*
5	राजस्व व्यय/सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रतिशत)	*21.32*	*19.88*	*18.27*	*18.36*	*22.68*
6	**राजस्व प्राप्तियाँ**	**63,868.70**	**63,176.18**	**79,652.03**	**93,877.14**	**1,03,508.20**
7	राजस्व प्राप्तियों की वृद्धि दर (प्रतिशत)	*(–)1.88*	*(–)1.08*	*26.08*	*17.86*	*10.26*
8	राजस्व व्यय की राजस्व प्राप्तियों से प्रतिशत	*115.04*	*110.85*	*94.17*	*90.85*	*110.85*
9	सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर (प्रतिशत)	*5.37*	*2.22*	*16.52*	*13.12*	*8.93*

स्रोत संबंधित वर्षों के वित्त खाते

पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2023–24 में राजस्व व्यय में ₹29,455.93 करोड़ (34.54 प्रतिशत) की वृद्धि मुख्य रूप से फसल पालन (₹15,551.65 करोड़), सामाजिक सुरक्षा और कल्याण (₹2,251.39 करोड़) और सामान्य शिक्षा (₹2,098.85 करोड़) के तहत व्यय में वृद्धि के कारण हुई ।

राजस्व व्यय की प्रवृत्ति, बजट अनुमान और सकल राज्य घरेलू उत्पाद के संबंध में **चार्ट 2.11** में दर्शाया गया है।

चार्ट 2.11: बजट अनुमान और सकल राज्य घरेलू उत्पाद के संबंध में राजस्व व्यय

(₹ करोड़ में)

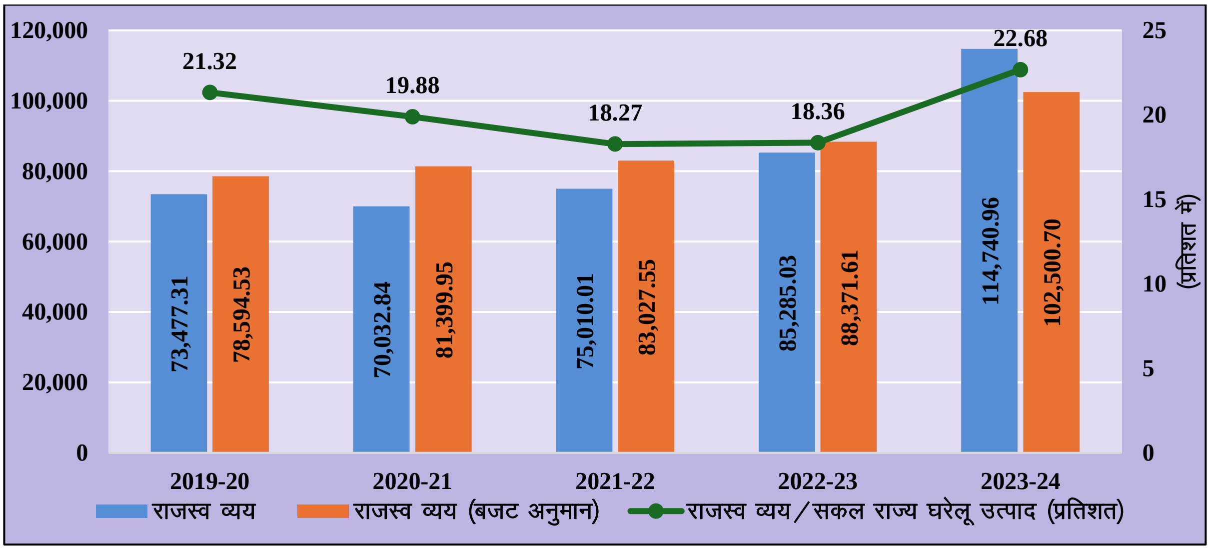

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

जैसा कि उपरोक्त चार्ट से देखा जा सकता है, राजस्व व्यय वर्ष 2019–20 से 2022–23 तक बजट अनुमान के भीतर था, लेकिन वर्ष 2023–24 में, यह बजट अनुमान से ₹12,240.26 करोड़ अधिक हो गया। जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में राजस्व व्यय वर्ष 2021–22 में 18.27 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2023–24 में 22.68 प्रतिशत हो गया है।

राजस्व व्यय का क्षेत्रवार वितरण **चार्ट 2.12** में दिया गया है।

चार्ट 2.12: वर्ष 2023–24 के दौरान राजस्व व्यय का क्षेत्रवार वितरण

(प्रतिशत में)

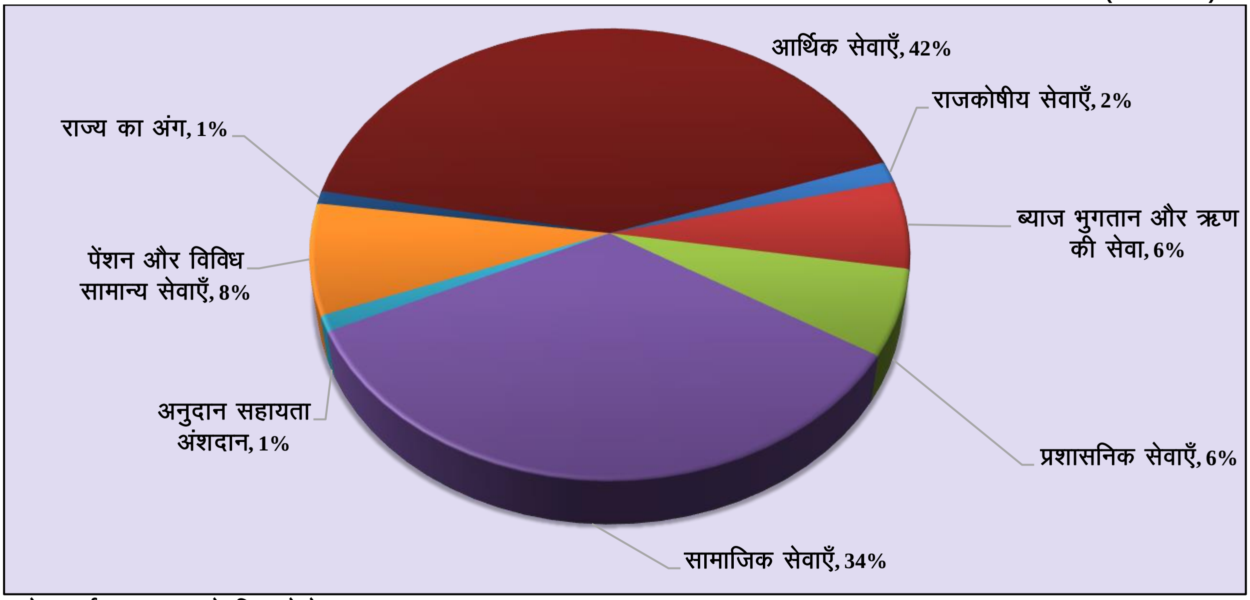

स्रोतः वर्ष 2023–24 के वित्त लेखे

2.4.2.1 राजस्व व्यय में प्रमुख परिवर्तन

राजस्व व्यय वर्ष 2022–23 में ₹85,285.03 करोड़ से ₹29,455.93 करोड़ (34.54 प्रतिशत) बढ़कर वर्ष 2023–24 में ₹1,14,740.96 करोड़ हो गया। **तालिका 2.18** में पिछले वर्ष की तुलना में चालू वर्ष के दौरान राज्य के राजस्व व्यय के संबंध में विभिन्न लेखा शीर्षों के तहत महत्वपूर्ण बदलावों का विवरण दिया गया है।

तालिका 2.18: राजस्व व्यय में महत्वपूर्ण विविधता का विवरण

(₹ करोड़ में)

क. सं.	लेखे के मुख्य शीर्ष	2022–23	2023–24	वृद्धि (+)/कमी (–)
1	2401–फसल कृषि कर्म	8,985.04	24,536.69	15,551.65
2	2235–सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	2,024.64	4,276.03	2,251.39
3	2202–सामान्य शिक्षा	17,369.52	19,468.37	2,098.85
4	2216–आवास	1,246.65	3,386.05	2,139.40
5	2071–पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ	7,661.46	9,111.82	1,450.36
6	2801–विद्युत	5,262.19	6,490.37	1,228.18
7	2217–शहरी विकास	2,639.98	2,011.80	(–)628.18
8	2408–खाद्य भंडारण एवं भण्डागार	5,911.58	5,621.76	(–)289.82

स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

- 2401– फसल कृषि कर्म के तहत व्यय में ₹15,551.65 करोड़ की वृद्धि मुख्य रूप से फसल क्षेत्र कवरेज, उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि, किसानों की आय में वृद्धि और फसलों की इनपुट लागत को कम करके और कृषि को एक लाभदायक व्यवसाय के रूप में बहाल करके उनकी सामाजिक–आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए नई योजना कृषक उन्नति योजना के तहत ₹13,320.58 करोड़ के व्यय के कारण हुई।

- 2235–सामाजिक सुरक्षा और कल्याण के तहत व्यय में ₹2,251.39 करोड़ की वृद्धि मुख्य रूप से नई योजना महतारी वंदन योजना (₹1,310.93 करोड़) की शुरूआत और मुख्यमंत्री पेंशन योजना के तहत व्यय में ₹166.98 करोड़, सामाजिक सुरक्षा पेंशन में ₹167.32 करोड़, सुखद सहारा योजना में ₹35.45 करोड़ की वृद्धि के कारण हुई।
- मुख्य शीर्ष 2202–सामान्य शिक्षा के तहत ₹2,098.85 करोड़ की वृद्धि मुख्य रूप से समग्र शिक्षा (₹271.59 करोड़), उत्कृष्ट विद्यालय संचालन (₹369.02 करोड़), उच्चतर माध्यमिक विद्यालय (₹655.99 करोड़), न्यूनतम सेवाओं के लिए सरकारी प्राथमिक विद्यालयों को अनुदान (₹148.21 करोड़) और पीएम श्री (उभरते भारत के लिए स्कूल) (₹32.90 करोड़) योजना जैसी केंद्रीय और राज्य योजनाओं से संबंधित व्यय में वृद्धि के कारण हुई। ।
- 2216–आवास के तहत व्यय में ₹2,139.40 करोड़ की वृद्धि मुख्य रूप से प्रधान मंत्री आवास योजना – ग्रामीण के तहत व्यय में ₹1,820.79 करोड़ की वृद्धि के कारण हुई।
- 2071–पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों के तहत व्यय में ₹1,450.36 करोड़ की वृद्धि मुख्य रूप से सेवानिवृत्ति और सेवानिवृत्ति भत्ते (₹944.84 करोड़), ग्रेच्युटी (₹116.32 करोड़) और परिवार पेंशन (₹165.99 करोड़) के तहत व्यय में वृद्धि के कारण हुई।
- 2801– विद्युत के तहत ₹1,228.18 करोड़ की वृद्धि मुख्य रूप से पांच हॉर्स पावर तक के कृषि पंपों को बिजली की मुफ्त आपूर्ति के लिए ₹1,069.58 करोड़ की सब्सिडी के कारण हुई।
- 2217–शहरी विकास के तहत ₹628.18 करोड़ की कमी मुख्य रूप से योजनाओं यानी अमृत मिशन के तहत व्यय में ₹301.80 करोड़ और रायपुर स्मार्ट सिटी के तहत ₹147.00 करोड़ की कमी के कारण हुई।
- 2408–खाद्य भंडार एवं भण्डारण के तहत ₹289.82 करोड़ की कमी मुख्य रूप से मुख्यमंत्री खाद्य सहायता योजना के तहत दी जाने वाली सब्सिडी में ₹313.37 करोड़ की कमी के कारण हुई।

2.4.2.2 प्रतिबद्ध एवं गैर–प्रतिबद्ध व्यय

राजस्व खाते पर राज्य शासन के व्यय को प्रतिबद्ध और गैर–प्रतिबद्ध व्यय के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। राजस्व खाते पर शासन के प्रतिबद्ध व्यय में मुख्य रूप से वेतन और मजदूरी, ब्याज भुगतान, और पेंशन पर व्यय शामिल है। प्रतिबद्ध व्यय के अलावा अन्य व्यय को गैर–प्रतिबद्ध व्यय में वर्गीकृत किया जा सकता है।

उपरोक्त के अलावा, अनम्य व्यय की कुछ मदें हैं जिन्हें आम तौर पर बदला या परिवर्तित नहीं जा सकता है या पूँजीगत व्यय आदि जैसे परिवर्तनीय लेनदेन के विपरीत, वार्षिक आधार पर वैधानिक रूप से आवश्यक हैं। उदाहरण के लिए, निम्नलिखित मदों को अनम्य व्यय के रूप में माना जा सकता है :

(i) स्थानीय निकायों को हस्तांतरण – वेतन और भत्ते के लिए स्थानीय निकायों को वैधानिक हस्तांतरण (पूँजीगत व्यय के लिए हस्तांतरण/स्थानांतरण)।

(ii) आरक्षित निधि में योगदान की वैधानिक आवश्यकताएं – समेकित सिंकिंग फंड (सीएसएफ), गारंटी मोचन निधि (जीआरएफ), राज्य आपदा न्यूनीकरण/प्रतिक्रिया निधि (एसडीएमएफ/एसडीआरएफ), आदि में योगदान।

(iii) आकस्मिकता निधि की वसूली – वर्ष के भीतर वसूल की गई राशि।

(iv) उपकर को आरक्षित निधि/अन्य निकाय में स्थानांतरित करना, जो वैधानिक रूप से आवश्यक है।

(v) प्राप्त केंद्रीय निधि के विरुद्ध सीएसएस का शेयर योगदान – राज्य के हिस्से की राशि एसएनए को हस्तांतरित की जाएगी।

प्रतिबद्ध व्यय में ऊपर की ओर की प्रवृत्ति शासन को विकास क्षेत्र के लिए कम लचीलेपन के साथ छोड़ देती है। प्रतिबद्ध और अनम्य व्यय और उसके घटकों की प्रवृत्ति का विश्लेषण **तालिका 2.19** में दर्शाया गया है।

तालिका 2.19: प्रतिबद्ध और अनम्य व्यय के घटक

(₹ करोड़ में)

क. सं.	विवरण	2019–20	2020–21	2021–22	2022–23	2023–24
1	**प्रतिबद्ध व्यय के घटक**					
i	वेतन एवं मजदूरी	22,437.40	22,142.50	24,210.12	26,523.92	29,094.95
ii	पेंशन पर व्यय	6,637.98	7,136.00	7,472.22	7,661.46	9,111.82
iii	ब्याज भुगतान	4,970.36	5,633.11	6,144.24	6,382.08	6,798.34
	योग	**34,045.74**	**34,911.61**	**37,826.58**	**40,567.46**	**45,005.11**
2	**अनम्य व्यय के घटक**					
i	स्थानीय निकायों को वैधानिक हस्तांतरण	1,120.32	1,125.31	1,112.76	1,142.57	1,297.57
ii	आरक्षित निधि में योगदान	637.00	748.32	1,118.86	1,110.81	1,696.20
iii	आकस्मिकता निधि की वसूली	13.87	13.39	2.00	106.06	63.49
iv	आरक्षित निधि/अन्य निकाय को उपकर का स्थानांतरण	478.95	308.80	345.70	370.80	733.79
v	प्राप्त केंद्रीय निधि के विरुद्ध सीएसएस का अंशदान	–	–	–	6,431.54	8,609.09
	योग	**2,250.14**	**2,195.82**	**2,579.32**	**9,161.78**	**12,400.14**
3	**कुल (प्रतिबद्ध + अनम्य)**	**36,295.88**	**37,107.43**	**40,405.90**	**49,729.24**	**57,405.25**
4	**राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में प्रतिबद्ध व्यय**					
i	वेतन एवं मजदूरी	35.13	35.05	30.39	28.25	28.11
ii	पेंशन पर व्यय	10.39	11.30	9.38	8.16	8.80
iii	ब्याज भुगतान	7.78	8.92	7.71	6.80	6.57
	योग	53.30	55.27	47.48	43.21	43.48
5	**राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में अनम्य व्यय**					
	योग	3.52	3.48	3.24	9.76	11.98
6	**राजस्व व्यय के प्रतिशत के रूप में प्रतिबद्ध व्यय**					
i	वेतन एवं मजदूरी	30.54	31.62	32.28	31.10	25.36
ii	पेंशन पर व्यय	9.03	10.19	9.96	8.98	7.94
iii	ब्याज भुगतान	6.76	8.04	8.19	7.48	5.92
	योग	46.33	49.85	50.43	47.56	39.22
7	**राजस्व व्यय के प्रतिशत के रूप में अनम्य व्यय**					
	योग	3.06	3.14	3.44	10.74	10.81
8	गैर–प्रतिबद्ध व्यय	39,431.57	35,121.23	37,183.43	44,717.57	69,735.85
9	राजस्व व्यय के प्रतिशत के रूप में	53.67	50.15	49.57	52.43	60.78
10	कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में	48.03	44.40	43.32	45.31	53.45

स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

प्रतिबद्ध व्यय राज्य को व्यय को प्राथमिकता देने और सामाजिक और आर्थिक बुनियादी ढांचे की बढ़ती जरूरतों को पूरा करने के लिए पूंजी निवेश को पूरा करने में प्रभावित करता है। राजस्व प्राप्तियों और राजस्व व्यय में प्रतिबद्ध व्यय का उच्च अनुपात इंगित करता है कि राज्य के पास नई योजनाओं के लिए अपने संसाधनों के आवंटन में सीमित लचीलापन है।

तालिका 2.19 से पता चलता है कि, प्रतिबद्ध व्यय में वृद्धि की प्रवृत्ति है और वर्ष 2019–20 में ₹34,045.74 करोड़ (राजस्व व्यय का 46.33 प्रतिशत) से बढ़कर वर्ष 2023–24 में ₹45,005.11 करोड़ (राजस्व व्यय का 39.22 प्रतिशत) हो गया है। चालू वर्ष के दौरान, पिछले वर्ष की तुलना में प्रतिबद्ध व्यय में ₹4,437.65 करोड़ की वृद्धि हुई, जिसका मुख्य कारण वेतन और मजदूरी पर ₹2,571.03 करोड़ और पेंशन पर ₹1,450.36 करोड़ की वृद्धि है।

(अ) वेतन और मजदूरी

वर्ष 2023–24 के दौरान वेतन और मजदूरी पर व्यय पिछले वर्ष (₹26,523.92 करोड़) की तुलना में 9.69 प्रतिशत (₹29,094.95 करोड़) बढ़ गया और राजस्व व्यय का 25.36 प्रतिशत हो गया।

(ब) ब्याज भुगतान

वर्ष 2019–24 के दौरान लोक ऋण में वृद्धि के कारण, वर्ष 2023–24 में ब्याज भुगतान (₹6,798.34 करोड़) वर्ष 2019–20 (₹4,970.36 करोड़) की तुलना में 36.78 प्रतिशत बढ़ गया। राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में, ब्याज भुगतान पर व्यय वर्ष 2019–20 में 7.78 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2023–24 में 6.57 प्रतिशत हो गया।

(स) पेंशन पर व्यय

वर्ष 2023–24 में पेंशन पर व्यय (₹9,111.82 करोड़ रुपये) पिछले वर्ष (₹7,661.46 करोड़ रुपये) की तुलना में 18.93 प्रतिशत बढ़ा, जो मुख्य रूप से पारिवार पेंशन और ग्रेच्युटी के साथ–साथ सेवानिवृत्ति और सेवानिवृत्ति लाभों के भुगतान के कारण हुआ। वर्ष 2023–24 में पेंशन पर व्यय कुल राजस्व प्राप्तियों का 8.80 प्रतिशत और राज्य के राजस्व व्यय का 7.94 प्रतिशत था।

(द) अनम्य व्यय

अनम्य व्यय के घटक जिनमें स्थानीय निकायों को वैधानिक हस्तांतरण और आरक्षित निधि में योगदान शामिल हैं, में वर्ष 2019–20 से 2023–24 तक उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई। पिछले वर्ष (₹9,161.78 करोड़) की तुलना में वर्ष 2023–24 के दौरान अनम्य व्यय (₹12,400.14 करोड़) में 35.35 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

वर्ष 2019–24 के दौरान राजस्व व्यय में प्रतिबद्ध और गैर–प्रतिबद्ध व्यय का प्रतिशत **चार्ट 2.13** में दिया गया है:

चार्ट 2.13: राजस्व व्यय में प्रतिबद्ध और गैर–प्रतिबद्ध व्यय का हिस्सा

(प्रतिशत में)

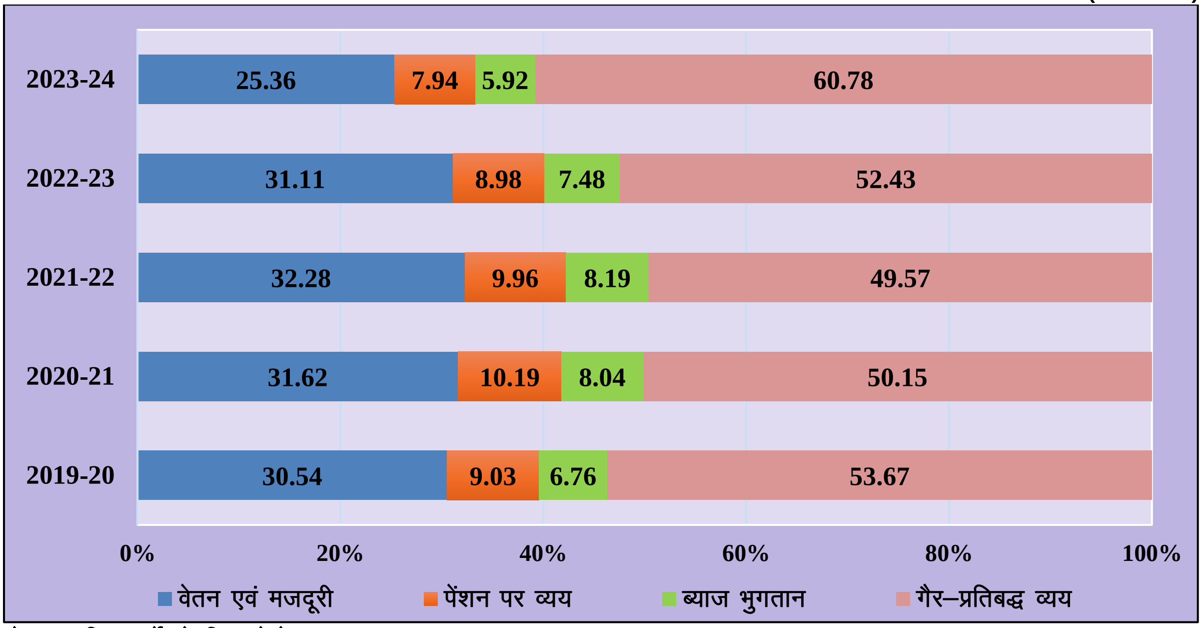

स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

जैसा कि ऊपर **चार्ट 2.13** से देखा जा सकता है, कुल राजस्व व्यय में प्रतिबद्ध व्यय का हिस्सा वर्ष 2019–20 में 46.33 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2023–24 में 39.22 प्रतिशत हो गया और गैर–प्रतिबद्ध व्यय का हिस्सा वर्ष 2019–20 में 53.67 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2023–24 में 60.78 प्रतिशत हो गया।

2.4.2.3 राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत अन–उन्मोचित दायित्व

वर्ष 2023–24 के दौरान पेंशन भुगतान पर व्यय ₹9,111.82 करोड़ रुपये था, जिसमें से ₹52.29 करोड़ रुपये 1 जनवरी 2005 को या उसके बाद भर्ती हुए कर्मचारियों पर लागू राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के लिए खर्च किए गए। छत्तीसगढ़ राज्य शासन ने पत्र क्रमांक 282 दिनांक 11.05.2022 के माध्यम से 01.11.2004 से पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) में वापसी के लिए अधिसूचना जारी की है। एनपीएस के तहत कवर किए गए कुल कर्मचारियों में से 2,90,598 कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन योजना और 10,349 ने नई पेंशन योजना का विकल्प चुना है।

राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस)

राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के तहत, जो एक परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना है, कर्मचारी मूल वेतन और महंगाई भत्ते का 10 प्रतिशत योगदान देता है, राज्य शासन मूल वेतन और महंगाई भत्ते का 14 प्रतिशत योगदान करती है (01.04.2022 से), और पूरी राशि नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल)/ट्रस्टी बैंक के माध्यम से नामित फंड मैनेजर को हस्तांतरित की जाती है।

1 अप्रैल 2023 को लोक लेखें – मुख्य शीर्ष 8342 अन्य जमा – (117) परिभाषित अंशदान पेंशन योजना के तहत प्रारंभिक शेष राशि ₹20.55 करोड़ थी। इस मद के तहत 2023–24 के दौरान प्राप्तियां ₹40.08 करोड़ थीं। ₹40.08 करोड़ (कर्मचारी योगदान और प्रतिनियुक्ति पर तैनात कर्मचारियों का कर्मचारी और नियोक्ता योगदान) की प्राप्ति के खिलाफ, ₹39.06 करोड़ ट्रस्टी बैंक को हस्तांतरित किए गए थे। 31 मार्च 2024 तक, लोक लेखें में ₹21.57 करोड़ (2022–23 तक ₹20.55 करोड़ और 2023–24 का ₹1.02) का शेष बचा था, ट्रस्टी बैंक में स्थानांतरण लंबित रहने के परिणामस्वरूप नकद शेष को बढ़ा–चढ़ाकर बताया

गया। ट्रस्टी बैंक को शेष निधि के लंबित हस्तांतरण के परिणामस्वरूप राज्य सरकार को ₹1.89 करोड़ की ब्याज देनदारी हुई। इसके अलावा, ₹1.89[5] करोड़ की ब्याज देनदारी का भुगतान न करने के परिणामस्वरूप राजस्व व्यय/घाटा कम बताया गया है।

वर्ष 2023–24 के दौरान, एनपीएस जो कि एक परिभाषित अंशदान पेंशन योजना है, में कुल योगदान ₹92.37 करोड़ था (कर्मचारी का योगदान ₹38.29 करोड़, सरकार का योगदान ₹52.29 करोड़, प्रतिनियुक्ति पर तैनात कर्मचारियों का कर्मचारी और नियोक्ता का योगदान ₹1.79 करोड़)। ₹52.29 करोड़ का सरकारी योगदान मुख्य शीर्ष 2071 से सीधे ट्रस्टी बैंक को हस्तांतरित किया गया था और इसमें ₹1.32 करोड़[6] की कमी थी। ₹1.32 करोड़ के कम हस्तांतरण के परिणामस्वरूप राजस्व व्यय/घाटा कम बताया गया और रोकड़ शेष अधिक बताया गया।

2.4.2.4 सब्सिडी

वर्ष 2023–24 के दौरान राज्य शासन ने सब्सिडी के रूप में ₹10,796.88 करोड़ का भुगतान किया। वर्ष 2019–20 से 2023–24 के दौरान राज्य शासन द्वारा प्रदान की गई सब्सिडी का विवरण **तालिका 2.20** में दिखाया गया है।

तालिका 2.20: वर्ष 2019–24 के दौरान सब्सिडी पर व्यय

विवरण	2019–20	2020–21	2021–22	2022–23	2023–24
सब्सिडी (₹ करोड़ में)	11,483.23	7,307.94	6,565.30	8,306.28	10,796.88
राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में सब्सिडी	17.98	11.57	8.24	8.85	10.43
राजस्व व्यय के प्रतिशत के रूप में सब्सिडी	15.63	10.44	8.75	9.74	9.41

स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

सब्सिडी पर व्यय वर्ष 2022–23 में ₹8,306.28 करोड़ से ₹2,490.60 करोड़ (29.98 प्रतिशत) बढ़कर वर्ष 2023–24 में ₹10,796.88 करोड़ हो गया, जिसका मुख्य कारण पांच हॉर्सपावर तक के कृषि पंपों को बिजली की मुफ्त आपूर्ति के लिए अनुदान के तहत सब्सिडी में वृद्धि है। वर्ष 2023–24 के दौरान सब्सिडी का बड़ा हिस्सा वाले विभाग **तालिका 2.21** में दर्शाए गए हैं।

तालिका 2.21: वर्ष 2023–24 के दौरान सब्सिडी के बड़े हिस्से वाले विभाग

क. सं.	विभाग का नाम	सब्सिडी (₹ करोड़ में)	कुल सब्सिडी का प्रतिशत	मुख्य उद्देश्य
1	ऊर्जा	6,033.02	55.88	मुख्य रूप से पांच हॉर्स पावर तक के कृषि पंपों को मुफ्त बिजली आपूर्ति के लिए अनुदान (₹4,323.00 करोड़) और घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को बिजली बिलों में राहत (₹1,196.74 करोड़) शामिल है।
2	खाद्य और नागरिक आपूर्ति	3,914.98	36.26	मुख्य रूप से खाद्यान्न की खरीद पर घाटे की पूर्ति के लिए राज्य सहकारी विपणन संघ को अनुदान (₹500 करोड़) और मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना (₹3,086.62 करोड़) के कारण।

स्रोतः वित्त लेखे 2023–24

[5] 1 अप्रैल 2023 की स्थिति में ₹20.55 करोड़ की शेष राशि पर ब्याज की गणना सरकार द्वारा अधिसूचित ब्याज दर के अनुसार/ 7.1% की दर से सामान्य भविष्य निधि को देय पर की गयी।
[6] आवश्यक शासकीय अंशदान = ((कर्मचारी का अंशदान ₹38.29/10% * 14%) = ₹53.61 करोड़

2.4.2.5 राज्य शासन द्वारा स्थानीय निकायों और अन्य संस्थानों को वित्तीय सहायता

राज्य शासन द्वारा स्थानीय निकायों और अन्य संस्थानों को पिछले पाँच वर्षों के दौरान अनुदान के माध्यम से वित्तीय सहायता की मात्रा **तालिका 2.22** में प्रस्तुत की गई है।

तालिका 2.22: स्थानीय निकायों आदि के लिए वित्तीय सहायता

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	संस्थानों को वित्तीय सहायता	2019–20	2020–21	2021–22	2022–23	2023–24
1	**(अ) स्थानीय निकाय**					
2	शहरी स्थानीय निकाय	3,138.94	3,554.17	3,904.13	4,296.67	4,412.18
3	पंचायती राज संस्थान	6,006.83	4,421.79	4,345.60	5,903.98	9,470.53
4	**योग (अ)**	**9,145.77**	**7,975.96**	**8,249.73**	**10,200.65**	**13,882.71**
5	**(ब) अन्य**					
6	शैक्षणिक संस्थान (सहायता प्राप्त विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय आदि)	273.67	204.97	254.57	262.59	1,056.21
7	विकास प्राधिकरण	235.06	229.93	393.08	661.14	517.28
8	सहकारी एवं अन्य संस्थान एवं गैर सरकारी संगठन	10,499.70	12,555.37	13,241.09	15,994.08	36,125.15
9	**योग (ब)**	**11,008.43**	**12,990.27**	**13,888.74**	**16,917.81**	**37,698.64**
10	**योग (अ+ब)**	**20,154.20**	**20,966.23**	**22,138.47**	**27,118.46**	**51,581.35**
11	वेतन के लिए सहायता अनुदान	673.48	140.35	192.34	253.37	226.95
12	पूँजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए सहायता अनुदान	1,960.40	1,821.78	1,940.38	2,632.10	2,851.14
13	अन्य के लिए सहायता अनुदान	17,520.32	19,004.10	20,005.75	24,232.99	48,503.26
14	**राजस्व व्यय**	**73,477.31**	**70,032.84**	**75,010.01**	**85,285.03**	**1,14,740.96**
15	राजस्व व्यय के प्रतिशत रूप में सहायता	*27.43*	*29.94*	*29.51*	*31.80*	*44.95*

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

वर्ष 2023–24 के दौरान, स्थानीय निकायों और अन्य संस्थानों को वित्तीय सहायता में पिछले वर्ष की तुलना में ₹24,462.89 करोड़ की वृद्धि हुई, जिसका मुख्य कारण पंचायती राज संस्थानों को प्रदान की गई सहायता में ₹3,566.55 करोड़ और सहकारी और अन्य संस्थानों और गैर सरकारी संगठनों को ₹20,131.07 करोड़ की वृद्धि थी। राज्य शासन द्वारा स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थाओं को राजस्व व्यय के प्रतिशत के रूप में वित्तीय सहायता 2019–20 में 27.43 प्रतिशत से बढ़कर 2023–24 में 44.95 प्रतिशत हो गयी है।

वर्ष 2023–24 के दौरान पूँजीगत संपत्ति के निर्माण और अन्य उद्देश्यों के लिए दी गई वित्तीय सहायता में पिछले वर्ष की तुलना में क्रमशः 8.32 प्रतिशत और 100.15 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इसके अलावा, पिछले पांच वर्षों में वेतन, पूँजीगत संपत्ति के निर्माण और अन्य उद्देश्यों के लिए वित्तीय सहायता का हिस्सा क्रमशः 1.25 प्रतिशत, 8.48 प्रतिशत और 90.27 प्रतिशत की औसत दर से दिया गया था।

2.4.3 पूँजीगत व्यय

पूँजीगत व्यय में मुख्य रूप से स्थायी अधोसंरचना जैसे भवन, सड़क, सेतु, आदि के निर्माण पर व्यय शामिल है। पाँच वर्ष की अवधि 2019–24 के दौरान बजट अनुमानों के विरुद्ध पूँजीगत व्यय का विवरण **चार्ट 2.14** में दिया गया है।

चार्ट 2.14: राज्य में पूँजीगत व्यय

(₹ करोड़ में)

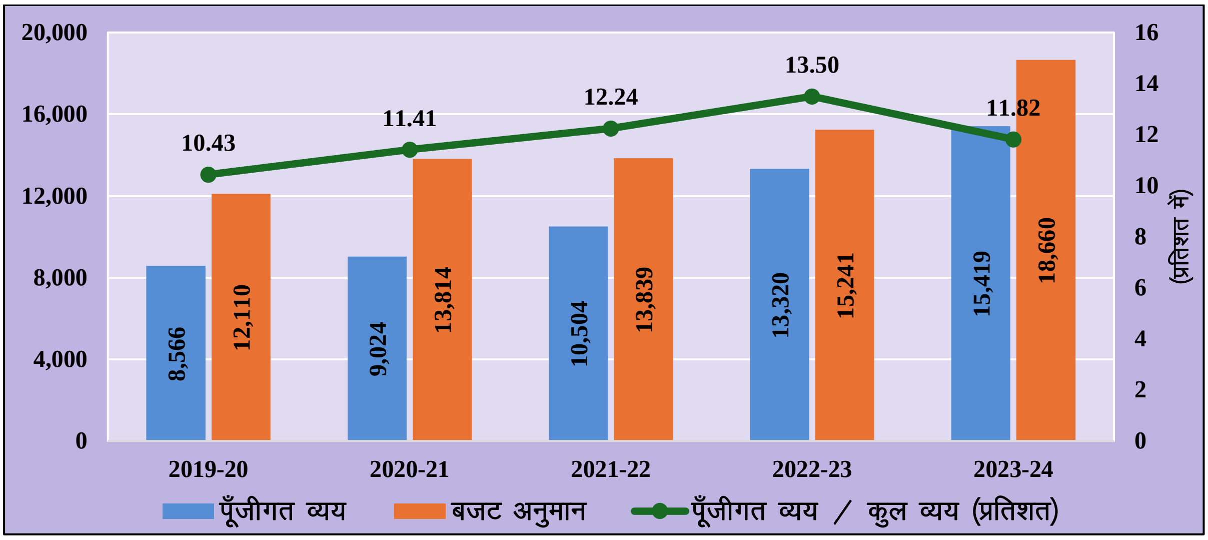

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

पिछले पांच वर्षों के दौरान पूँजीगत व्यय वर्ष 2019–20 में ₹8,566.39 करोड़ से ₹6,852.54 (79.99 प्रतिशत) बढ़कर वर्ष 2023–24 में ₹15,418.93 करोड़ हो गया। हालाँकि, पिछले पाँच वर्षों में पूँजीगत व्यय के लिए बजट का उपयोग 65 प्रतिशत से 87 प्रतिशत के बीच रहा।

कुल व्यय में पूँजीगत व्यय का हिस्सा 2019–20 में 10.43 प्रतिशत से वर्ष 2022–23 में 13.50 प्रतिशत के बीच रहा है। हालांकि, वर्ष 2023–24 में यह घटकर 11.82 फीसदी हो गई। वर्ष 2023–24 के दौरान, पिछले वर्ष की तुलना में पूँजीगत व्यय में 15.76 प्रतिशत (₹2,098.63 करोड़) की वृद्धि हुई, जिसका मुख्य कारण शहरी विकास (₹876.69 करोड़), शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति (₹855.55 करोड़) और जल आपूर्ति और स्वच्छता (₹585.82 करोड़) में व्यय में वृद्धि थी।

वर्ष 2023–24 के दौरान, कुल पूँजीगत व्यय (₹15,418.93 करोड़) का 22 प्रतिशत सड़कों और पुलों (₹3,467.00 करोड़) पर खर्च किया गया, इसके बाद जल आपूर्ति और स्वच्छता पर 20 प्रतिशत (₹3,107.05 करोड़) खर्च किया गया।

2.4.3.1 पूँजीगत व्यय में प्रमुख परिवर्तन

तालिका 2.23 पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2023–24 में पूँजीगत व्यय के विभिन्न लेखा शीर्षो में उल्लेखनीय वृद्धि या कमी के मामलो पर प्रकाश डालती है।

तालिका 2.23: वर्ष 2022–23 की तुलना में वर्ष 2023–24 के दौरान पूँजीगत व्यय

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	लेखे के मुख्य शीर्ष	2022–23	2023–24	वृद्धि (+)/कमी(–)
1	4217–शहरी विकास	593.76	1,470.45	876.69
2	4202–शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	505.35	1,360.90	855.55
3	4215–जल आपूर्ति और स्वच्छता	2,521.23	3,107.05	585.82
4	4801–विद्युत	130.80	623.43	492.63
5	5054–सड़क एवं पुल	4,299.30	3,467.00	(–)832.30
6	4225–एससी, एसटी और ओबीसी का कल्याण	491.78	331.69	(–)160.09

स्रोत: वित्त लेखे वर्ष 2022–23 एवं 2023–24

- मद 4217–शहरी विकास के तहत व्यय में वृद्धि मुख्य रूप से शहरी निकायों को प्रदान किए गए बुनियादी ढांचे के विकास अनुदान में ₹435.18 करोड़ की वृद्धि, नवा रायपुर अटल नगर स्मार्ट सिटी कॉर्पोरेशन के तहत व्यय में ₹269.50 करोड़ और नया रायपुर विकास प्राधिकरण के तहत ₹99.16 करोड़ की वृद्धि के कारण हुई।
- मद 4202– शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति के तहत व्यय में वृद्धि मुख्य रूप से सामान्य शिक्षा के तहत भवनों के रखरखाव के लिए लघु कार्यों और मरम्मत पर ₹921.15 करोड़ की वृद्धि के कारण हुई।
- मद 4215–जल आपूर्ति और स्वच्छता के तहत व्यय में वृद्धि मुख्य रूप से जल जीवन मिशन पर व्यय में ₹627.37 करोड़ की वृद्धि के कारण हुई।
- मद 4801– विद्युत के तहत व्यय में वृद्धि मुख्य रूप से कृषि पंपों के लिए गुणवत्तापूर्ण बिजली आपूर्ति प्रदान करने के लिए विद्युत लाइनों के विस्तार और ट्रांसफार्मर की स्थापना पर ₹484.61 करोड़ और दीन दयाल उपाध्याय ग्रामज्योति योजना पर ₹57.45 करोड़ की वृद्धि के कारण हुई।
- मद 5054–सड़क और पुल के तहत व्यय में कमी मुख्य रूप से प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना पर ₹957.30 करोड़ कम व्यय के कारण थी।
- एससी, एसटी और ओबीसी के 4225–कल्याण पर व्यय में कमी मुख्य रूप से विशेष केंद्रीय सहायता द्वारा वित्त पोषित स्थानीय विकास कार्यक्रम पर ₹158.77 करोड़ के कम व्यय के कारण हुई।

2.4.3.2 पूँजीगत व्यय की गुणवत्ता

यह अनुभाग 31 मार्च 2024 तक शासन द्वारा किए गए निवेशों और अन्य पूँजीगत व्यय का विश्लेषण प्रस्तुत करता है।

कंपनियों, निगमों और अन्य निकायों में निवेश की गुणवत्ता

कंपनियों, निगमों और सहकारी समितियों में किए गए निवेश और दिए गए ऋण जो घाटे में चल रहे हैं और जिनकी कुल संपत्ति पूरी तरह से नष्ट हो गई है, पूंजीगत व्यय की गुणवत्ता को प्रभावित करते हैं। पीएसयू में निवेश की गई शेयर पूंजी में निवेश पर रिटर्न और विभिन्न निकायों को दिए गए ऋणों के पुनर्भुगतान का इतिहास पूंजीगत व्यय की गुणवत्ता के महत्वपूर्ण निर्धारक हैं।

(अ) निवेश और प्रतिफल

वित्त लेखा 2023–24 के अनुसार, छत्तीसगढ़ शासन ने 31 मार्च 2024 तक राज्य में 10 वैधानिक निगमों, 28 सरकारी कंपनियों, 21 संयुक्त स्टॉक कंपनियों, दो ग्रामीण बैंकों और 1,460 सहकारी संस्थानों में ₹7,533.61 करोड़ का निवेश किया था। राज्य शासन ने 2023–24 के दौरान इन निवेशों पर ₹3.84 करोड़ का लाभांश अर्जित किया। 2019–20 से 2023–24 की पांच साल की अवधि में छत्तीसगढ़ शासन द्वारा निवेश का वर्षवार विवरण इस प्रकार है।

तालिका 2.24: निवेशों का विवरण तथा निवेशों पर प्रतिफल

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	निवेश/प्रतिफल/उधार की लागत वर्ष के अंत में	2019–20	2020–21	2021–22	2022–23	2023–24
1	सांविधिक निगम (ईकाइयों की संख्या)	87.88 (10)	88.34 (10)	89.69 (10)	89.89 (10)	90.29 (10)
2	सरकारी कंपनियों (ईकाइयों की संख्या)	6,683.34 (28)	6,683.34 (28)	6,733.34 (28)	6,733.34 (28)	6,733.34[7] (28)
3	संयुक्त स्टॉक कंपनियों (ईकाइयों की संख्या)	145.21 (22)	145.21 (22)	156.93 (22)	278.72 (21)	303.72 (21)
4	ग्रामीण बैंक (ईकाइयों की संख्या)	25.15 (02)	25.15(02)	25.15(02)	25.15 (02)	25.15 (02)
5	सहकारी संस्थाएं (ईकाइयों की संख्या)	324.21 (1460)	319.26 (1460)	315.08 (1460)	320.67 (1460)	331.51 (1460)
6	**कुल निवेश**	**7,265.79**	**7,261.30**	**7,320.19**	**7,447.77**	**7,533.61**
7	वर्ष के अन्त में निवेश	7,265.79	7,261.30	7,320.19	7,447.77	7,533.61
8	निवेश पर प्रतिफल	2.39	2.29	3.64	6.20	3.84
9	निवेश पर प्रतिफल (प्रतिशत में)	0.03	0.03	0.05	0.08	0.05
10	शासकीय उधार पर औसत ब्याज दर[8] (प्रतिशत में)	7.37	7.05	7.18	7.19	6.30
11	निवेश पर प्रतिफल एवं ब्याज दर के बीच अंतर (प्रतिशत में)	(–)7.34	(–)7.02	(–)7.13	(–)7.11	(–)6.25
12	किए गए निवेश पर प्रतिफल और शासकीय उधार की लागत के बीच अंतर	(–)533.31	(–)509.74	(–)521.93	(–)529.54	(–)470.85
कोष्ठक में दिए गए आंकड़े संस्थाओं की संख्या दर्शाते हैं						

स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

वर्ष 2023–24 के दौरान, पीएसयू और अन्य कंपनियों में शासन द्वारा किए गए निवेश पर प्रतिफल ₹3.84 करोड़ (0.05 प्रतिशत) था। हालाँकि, शासन ने इसी अवधि के दौरान अपनी उधारी पर औसतन 6.30 प्रतिशत की दर से ब्याज का भुगतान किया। जिन निवेशों में पर्याप्त वित्तीय रिटर्न नहीं है, वे एक अस्थिर वित्तीय स्थिति को जन्म देंगे।

(ब) राज्य शासन द्वारा ऋण और अग्रिम

सहकारी समितियों, निगमों और कंपनियों में निवेश के अलावा राज्य शासन ने कई संस्थानो/संगठनों को ऋण और अग्रिम भी प्रदान किए हैं। **तालिका 2.25** 31 मार्च 2024 के स्थिति में विगत पाँच वर्ष 2019–20 से वर्ष 2023–24 की अवधि के दौरान बकाया ऋणों और अग्रिमों के साथ–साथ ब्याज प्राप्तियों के विरूद्ध ब्याज भुगतान को प्रस्तुत करती है।

[7] इसमें छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम द्वारा जारी शेयर प्रमाण पत्र के 1.60 करोड़ रुपये शामिल हैं, जिन्हें राज्य सरकार के शेयर पूंजी निवेश के रूप में समायोजित किया गया है।

[8] औसत ब्याज दरः {ऑफ–बजट उधार पर ब्याज भुगतान को छोड़कर ब्याज भुगतान / (गैर–ब्याज–असर देनदारियों, 2020–24 से बैक–टू–बैक ऋण और राज्यों को जारी ब्याज मुक्त ऋण को छोड़कर पिछले और चालू वित्तीय वर्ष की औसत बकाया देनदारी)}

तालिका 2.25: वर्ष 2019–24 के दौरान ऋणों और अग्रिमों का वितरण एवं वसूली की मात्रा

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	वितरित एवं वसूली ऋणों और अग्रिमों की प्रमात्रा	2019–20	2020–21	2021–22	2022–23	2023–24
1	बकाया ऋणों का प्रारंभिक शेष	1,597.75	1,397.08	1,173.86[9]	1,409.86	1,378.31
2	वर्ष के दौरान दी गई अग्रिम	56.11	50.50	324.06	85.96	311.49
3	वर्ष के दौरान वसूली राशि	256.78	104.8	88.06	117.51	24.96
4	**बकाया ऋणों का अंतिम शेष**	**1,397.08**	**1,342.78**	**1,409.86**	**1,378.31**	**1,664.84**
5	निवल वृद्धि	(–)200.67	(–)54.30	236.00	(–)31.55	286.53
6	ब्याज प्राप्तियाँ	1.67	6.88	3.27	37.04	48.48
7	शासन द्वारा दिए गए ऋणों और अग्रिमों पर वापसी की दर (प्रतिशत में)	*0.11*	*0.50*	*0.24*	*2.66*	*3.19*
8	शासन के बकाया उधार पर भुगतान किये गये ब्याज की दर (प्रतिशत में)	*7.37*	*7.05*	*7.18*	*7.19*	*6.30*
9	ब्याज प्राप्तियाँ एवं ब्याज भुगतान के दरों में अंतर (प्रतिशत में)	*(–)7.26*	*(–)6.55*	*(–)6.94*	*(–)4.53*	*(–)3.11*

स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

वर्ष 2023–24 के दौरान, पिछले वर्ष के दौरान ₹85.96 करोड़ के मुकाबले ₹311.49 करोड़ की राशि ऋण के रूप में वितरित की गई थी। दिए गए ऋणों के विरुद्ध राज्य शासन को प्राप्त ब्याज ₹48.48 करोड़ था। मार्च 2024 के अंत में शासन का ₹1,664.84 करोड़ रुपये का ऋण और अग्रिम बकाया था, जिसमें से ₹364.44 करोड़ शहरी स्थानीय निकायों से संबंधित है, ₹163.01 करोड़ सरकारी कंपनियों से संबंधित है और ₹440.27 करोड़ सहकारी समितियों/निकायों से संबंधित है।

राज्य शासन द्वारा दिया गया कुल बकाया ऋण और अग्रिम वर्ष 2022–23 में ₹1,378.31 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2023–24 में ₹1,664.84 करोड़ हो गया। 2022–23 की तुलना में 2023–24 में ऋणों की वसूली में ₹92.55 करोड़ (78.76 प्रतिशत) की कमी आई और ब्याज प्राप्तियों में ₹11.44 करोड़ (30.89 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। वर्ष 2023–24 के दौरान प्राप्त ब्याज बकाया ऋण और अग्रिम का केवल 3.19 प्रतिशत था।

ऋण की अदायगी बकाया होने के बावजूद सहकारी चीनी मिलों को नए ऋण का वितरण

सहकारी चीनी मिलों को वित्तीय सहायता नियम 2014 के नियम 03 (02) में कहा गया है कि केवल उन्हीं चीनी मिलों को ऋण दिया जाना था जो सरकारी धन चुकाने की क्षमता रखते थे।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि ऋणों के पुनर्भुगतान बकाया होने के बावजूद, राज्य शासन द्वारा निम्नलिखित चार सहकारी चीनी मिलों को ₹50 करोड़ का नया ऋण दिया गया था जैसा कि **तालिका 2.26** में दिया गया है।

[9] पावर कंपनी के वित्त खाते और खाते के आंकड़ों के बीच ऋण शेष के मिलान के कारण राज्य सरकार के पत्र संख्या 523/आर–110/2020/13/2 दिनांक 23–02–2022 द्वारा ₹168.92 करोड़ कम किया गया। ₹168.92 करोड़ में वर्ष 2017–18 में राज्य सरकार की शेयर पूंजी के रूप में समायोजित ऋण का ₹136.78 करोड़ तथा छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा 2004–05 एवं 2005–06 के दौरान ब्याज के अतिरिक्त भुगतान का ₹32.14 करोड़ ऋण की अदायगी के रूप में समायोजित शामिल है।

तालिका 2.26: वर्ष 2023–24 के दौरान चीनी मिलों को दिए गए ऋण और अग्रिम का विवरण

(₹ करोड़ में)

क. सं.	नाम	पिछले बकाया ऋणों का वर्ष	मार्च 2024 तक कुल संचित घाटा	1 अप्रैल 2023 तक बकाया मूलधन की राशि	इस वर्ष के दौरान वितरित ऋणों की राशि	इस वर्ष के दौरान किया गया पुनर्भुगतान	31 मार्च 2024 तक कुल बकाया राशि	31 मार्च 2024 तक बकाया ब्याज
1	लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल चीनी मिल लिमिटेड	2016–17	224.54	115.00	13.00	8.00	120.00	49.68
2	भोरमदेव सहकारी चीनी मिल लिमिटेड	2012–13	108.83	76.00	13.00	2.00	87.00	41.12
3	महामाया सहकारी चीनी मिल लिमिटेड	2008–09	129.45	95.67	17.00	11.89	100.78	85.46
4	दंतेश्वरी मैया सहकारी चीनी मिल, लिमिटेड	2005–06	103.23	87.73	7.00	2.15	92.58	44.57
योग			**566.05**	**374.40**	**50.00**	**24.04**	**400.36**	**220.83**

स्रोतः वित्त लेखे 2023–24

उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि सभी चार चीनी मिलें लगातार घाटे में चल रही थीं, जो 31 मार्च 2024 तक ₹566.05 करोड़ थी। 31 मार्च 2024 तक उपरोक्त चीनी मिलों पर ब्याज सहित कुल बकाया ऋण ₹621.19 करोड़ था।

2.4.4 व्यय प्राथमिकताएं

मानव विकास के स्तर को बढ़ाने के लिए राज्यों को शिक्षा, स्वास्थ्य आदि जैसी प्रमुख सामाजिक सेवाओं पर अपने व्यय को बढ़ाने की आवश्यकता होती है। कम राजकोषीय प्राथमिकता (कुल व्यय के लिए एक श्रेणी के तहत व्यय का अनुपात) एक विशेष क्षेत्र से जुड़ी होती है यदि आवंटन संबंधित राष्ट्रीय औसत से कम है। कुल व्यय में इन घटकों का अनुपात जितना अधिक होगा, व्यय की गुणवत्ता उतनी बेहतर मानी जाती है।

वर्ष 2019–20 और वर्ष 2023–24 के दौरान विकास व्यय, सामाजिक सेवा व्यय और पूंजीगत व्यय के संबंध में राज्य शासन की वित्तीय प्राथमिकताएं नीचे **तालिका 2.27** में दर्शाया गया हैं।

तालिका 2.27: राज्य के शिक्षा, स्वास्थ्य एवं पूँजीगत व्यय की राजकोषीय प्राथमिकता

(प्रतिशत में)

क. सं.		टीई /स.रा.घ.उ.	एसएसई /टीई	ईएसई /टीई	डीई /टीई	सीई /टीई	शिक्षा /टीई	स्वास्थ्य /टीई
1	**औसत (अनुपात) 2019–20**							
2	सामान्य श्रेणी राज्य*	15.88	37.04	29.54	66.58	12.72	15.79	5.25
3	छत्तीसगढ़	23.82	34.85	40.29	75.14	10.43	19.73	5.69
4	**औसत (अनुपात) 2023–24**							
5	सामान्य श्रेणी राज्य*	15.66	37.92	30.01	67.93	15.38	14.36	5.71
6	छत्तीसगढ़	25.79	35.79	42.42	78.22	11.82	16.12	5.29
टीईः कुल व्यय, एसएसईः सामाजिक क्षेत्र पर व्यय, डीई–विकास व्यय, सीईः पूँजीगत व्यय, ईएसईः आर्थीक क्षेत्र व्यय, विकास व्यय के अंतर्गत विकासात्मक राजस्व व्यय, विकासात्मक पूँजीगत व्यय एवं वितरित विकासात्मक ऋण एवं अग्रिम सम्मिलित है। * पूर्वोतर एवं हिमालयी राज्यों के अलावा अन्य राज्य								

स्रोत : आर्थिक सलाहाकार से प्राप्त आंकड़े

- सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अनुपात में राज्य शासन का कुल व्यय वर्ष 2019–20 में 23.82 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2023–24 में 25.79 प्रतिशत हो गया।
- छत्तीसगढ़ के कुल व्यय में विकास, विशेषकर शिक्षा पर व्यय का अनुपात अन्य सामान्य श्रेणी के राज्यों के औसत से अधिक रहा है। स्वास्थ्य पर व्यय वर्ष 2019–20 में 5.69 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2023–24 में 5.29 प्रतिशत हो गया है और वर्ष 2023–24 में अन्य सामान्य श्रेणी के राज्यों के औसत से कम है।
- राज्य शासन द्वारा सामाजिक क्षेत्र के व्यय को दी गई आवंटन प्राथमिकता उसी अवधि के दौरान सामान्य श्रेणी के राज्यों के औसत से कम थी।
- कुल व्यय में पूंजीगत व्यय का अनुपात वर्ष 2019–20 में 10.43 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2023–24 में 11.82 प्रतिशत हो गया। हालाँकि, यह अनुपात इसी अवधि के दौरान सामान्य श्रेणी के राज्यों के औसत से कम था।

2.4.5 उद्देश्य शीर्ष–वार व्यय

वित्त लेखा केवल लघु शीर्ष स्तर तक के लेनदेन दर्शाते हैं। उद्देश्य शीर्ष वार व्यय, व्यय के उद्देश्य के बारे में जानकारी देता है। वर्ष 2023–24 के लिए कुल व्यय के संबंध में प्रतिशत वार उद्देश्य शीर्ष व्यय नीचे दिए गए **चार्ट 2.15** में दर्शाया गया है:

चार्ट 2.15: उद्देश्य शीर्ष वार व्यय

(प्रतिशत में)

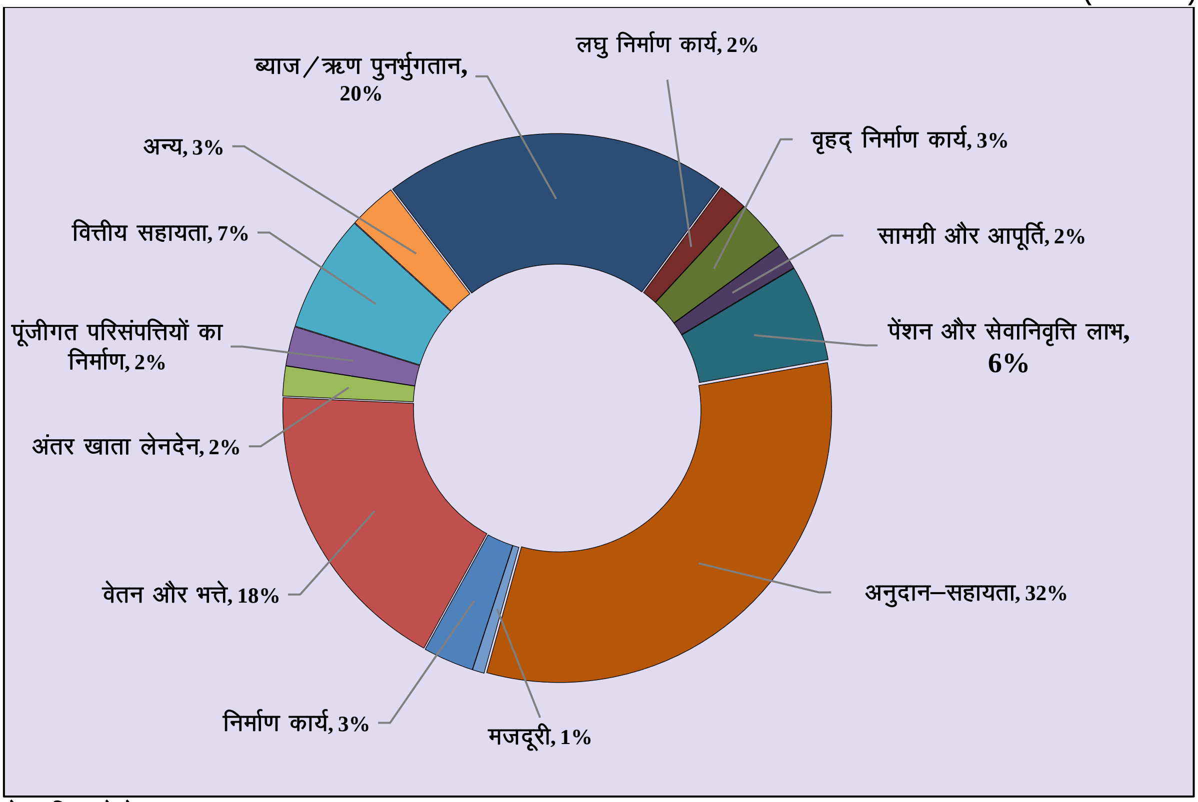

स्रोत: वित्त लेखे 2023–24

जैसा कि उपरोक्त चार्ट से देखा जा सकता है, वस्तु शीर्ष वेतन और भत्ते, सहायता अनुदान और ब्याज/ऋण पुनर्भुगतान के तहत व्यय राज्य के कुल व्यय ₹1,54,584.81 करोड़[10] का 70 प्रतिशत था। इसके अलावा, वित्तीय सहायता और पेंशन और सेवानिवृत्ति लाभ क्रमशः व्यय का सात प्रतिशत और छह प्रतिशत थे।

उद्देश्य शीर्ष स्तर पर वास्तविक मदों पर किए गए बजटीय आवंटन और व्यय की सीमा (₹1,000 करोड़ से ऊपर) की एक *ड्रिल डाउन व्यू* नीचे **तालिका 2.28** में दी गई है।

तालिका 2.28: बजट आंबटन के विरूद्ध उद्देश्य शीर्ष वार व्यय (जहाँ व्यय ₹1000 करोड़ और उससे अधिक है)

(₹ करोड़ में)

क. सं.	शीर्ष	मूल बजट अनुमान	व्यय	प्रतिशत उपयोग
1	14–सहायता अनुदान	35,238.10	49,566.05	140.66
2	35–ब्याज/ऋण का पुनर्भुगतान	15,039.60	31,643.69	210.40
3	01–वेतन एवं भत्ते	30,071.15	27,324.90	90.87
4	13–वित्तीय सहायता	9,936.90	10,796.88	108.65
5	12–पेंशन एवं सेवा निवृत्ति से लाभ	7,112.98	8,839.95	124.28
6	97–निर्माण कार्य	7,256.11	4,874.84	67.18
7	26–वृहद निर्माण कार्य	5,066.11	4,768.58	94.13
8	45–पूँजीगत परि–संपत्तियों का निर्माण	3,559.31	3,597.45	101.07
9	27–लघु निर्माण कार्य	3,124.96	2,630.25	84.17
10	25–सामग्री और पूर्तियाँ	2,609.72	2,342.00	89.74
11	02–मजदूरी	1,197.93	1,079.67	90.13
12	24– रखरखाव कार्य	1,227.98	1,080.98	88.03
योग		**1,21,440.85**	**1,48,545.24**	**122.32**

स्रोतः वित्त लेखे वर्ष 2023–24

जैसा कि उपरोक्त तालिका से देखा जा सकता है, 12 वस्तु शीर्षों के तहत ₹1,21,440.85 करोड़ के कुल बजटीय आवंटन में से, वर्ष 2023–24 के दौरान वास्तविक व्यय ₹1,48,545.24 करोड़ (122.32 प्रतिशत) था।

2.5 लोक लेखा

लघु बचत, भविष्य निधि, आरक्षित निधि, जमा, उचंत, प्रेषण आदि जैसे कुछ लेन–देन के संबंध में प्राप्तियाँ और संवितरण, जो समेकित निधि का हिस्सा नहीं बनते हैं, संविधान के अनुच्छेद 266(2) के तहत लोक लेखे में रखे जाते हैं और राज्य विधानमंडल द्वारा मतदान के अधीन नहीं हैं। शासन इनके संबंध में बैंकर के रूप में कार्य करती है। वर्ष के दौरान संवितरण के बाद शेष राशि विभिन्न उद्देश्यों हेतु उपयोग के लिए शासन के पास उपलब्ध रहती है।

2.5.1 निवल लोक लेखा शेष

लोक लेखे के तहत प्राप्तियों और संवितरण की स्थिति वित्त लेखों के विवरण 21 में प्रदर्शित की जाती है। संबंधित वर्षों के 31 मार्च तक राज्य के लोक लेखा में घटक–वार शुद्ध शेष नीचे **तालिका 2.29** में दर्शाए गए हैं।

[10] कुल व्यय (₹1,30,471.85 करोड़) + लोक ऋण का पुर्नभुगतान (₹24,112.96 करोड़)

तालिका 2.29: वर्ष के 31 मार्च तक लोक लेखा में घटक–वार निवल शेष

(₹ करोड़ में)

क. सं.	क्षेत्र	उप–क्षेत्र	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
1	**झ–अल्प बचत, भविष्य निधि, आदि**	राष्ट्रीय लघु बचत निधि, राज्य भविष्य निधि एवं अन्य लेखे	(–)7,617.67	(–)8,021.40	(–)8,020.50	(–)9,326.98	(–)10,848.71
2	**त्र–आरक्षित निधियाँ**	(क) ब्याज सहित आरक्षित निधियाँ	(–)1,101.77	(–)614.84	(–)769.36	(–)265.27	(–)697.48
		(ख) ब्याज रहित आरक्षित निधियाँ	(–)1,363.00	(–)1,384.75	(–)1,683.77	(–)2,006.47	(–)2,340.27
3	**ट–जमा तथा अग्रिम**	(क) ब्याज सहित जमा	(–)37.29	(–)33.16	(–)28.27	(–)8.30	(–)1.16
		(ख) ब्याज रहित जमा	(–)5,446.01	(–)5,951.96	(–)5,758.23	(–)6,138.62	(–)6,404.18
		(ग) अग्रिमों	(+)1.84	(+)1.84	(+)7.35	(+)7.00	(+)7.10
4	**ठ–उचंत तथा विविध**	(क) उचंत	(–)29.66	(–)20.08	(–)84.64	(–)180.88	(–)124.65
		(ख) अन्य लेखे	(+)5,199.46	(+)3,344.86	(+)3,299.78	(+)440.13	(+)5,888.62
		(ग) विदेशी सरकार के साथ लेखे	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(घ) विविध	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	**ड–प्रेषण**	(क) धनादेश तथा अन्य प्रेषण	(+)204.48	(+)240.97	(+)245.09	(+)197.03	(+)261.15
		(ख) अंतः–सरकार समायोजन लेखे	(+)73.82	(+)88.41	(+)91.13	(+)101.63	(+)90.35
योग			**(–)10,115.80**	**(–)12,350.11**	**(–)12,701.42**	**(–)17,180.73**	**(–)14,169.23**

स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

नोटः (–)क्रेडिट बैलेंस को दर्शाता है; (+) डेबिट बैलेंस को दर्शाता है

वर्ष 2023–24 में लोक लेखा में निवल क्रेडिट शेष में पिछले वर्ष की तुलना में ₹3,011.50 करोड़ की कमी आई, जिसका मुख्य कारण उचंत एवं विविध–अन्य खातों के डेबिट शेष में ₹5,448.49 करोड़ की वृद्धि होना था, जिसे राष्ट्रीय लघु बचत निधि, राज्य भविष्य निधि एवं अन्य खातों के क्रेडिट शेष में ₹1,521.73 करोड़, ब्याज वाली आरक्षित निधि में ₹432.21 करोड़ तथा ब्याज रहित आरक्षित निधि में ₹333.80 करोड़ की वृद्धि द्वारा संतुलित किया गया।

पिछले पांच साल की अवधि वर्ष 2019–24 में लोक लेखे में शेष राशि की संरचना में वार्षिक परिवर्तन **चार्ट 2.16** में दिए गए हैं:

चार्ट 2.16: लोक लेखा राशि की संरचना में वार्षिक परिवर्तन

(प्रतिशत में)

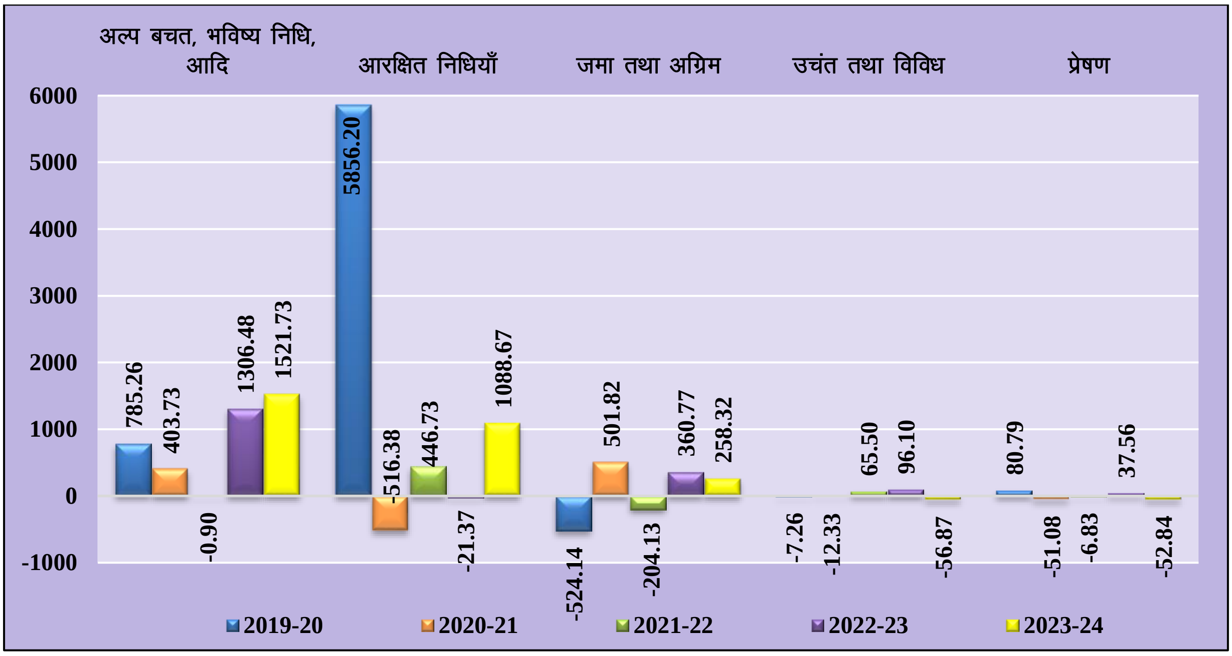

स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

ऊपर दिए गए चार्ट में दर्शाए गए वार्षिक परिवर्तनों में प्रमुख शीर्ष–8671 विभागीय शेष (–₹0.02 करोड़), 8673– नकद शेष निवेश खाता (₹5,447.88 करोड़) और आरक्षित निधि निवेश खाते (₹322.66 करोड़) में परिवर्तन शामिल नहीं हैं। वर्ष 2023–24 के दौरान लघु बचत, भविष्य निधि आदि (₹1,521.73 करोड़) और आरक्षित निधि (₹1,088.67 करोड़) में प्रमुख वार्षिक परिवर्तन देखा गया।

वर्ष 2019–20 के दौरान, आरक्षित निधियों में उच्च परिवर्तन राष्ट्रीय प्रतिपूरक वनीकरण जमा से भारत सरकार द्वारा हस्तांतरित प्रतिपूरक वनीकरण निधि (कैम्पा) के तहत ₹5,791.70 करोड़ की प्राप्ति और कैम्पा निधियों के निवेश पर ₹81.25 करोड़ के ब्याज के कारण था।

2.5.2 आरक्षित निधियाँ

राज्य शासन के लोक लेखा के तहत विशिष्ट और परिभाषित उद्देश्यों के लिए आरक्षित निधि बनाई जाती है। ये धनराशि राज्य की संचित निधि के अंशदान या अनुदान से पूरी की जाती है।

18 आरक्षित निधियाँ हैं (राज्य के गठन के बाद से 2000–2001 से राज्य में विशिष्ट उद्देश्यों के लिए 17 आरक्षित निधियाँ निर्धारित की गई हैं और एक आरक्षित निधि यानी गारंटी मोचन निधि 2022–23 के दौरान बनाई गई थी)। 31 मार्च 2024 तक, 18 में से 14 निधि सक्रिय थे और चार निधि[11] निष्क्रिय थे। 31 मार्च 2024 के अंत में इन निधियों में सकल शेष ₹10,694.70 करोड़ था, जिसमें से ₹7,656.95 करोड़ (71.60 प्रतिशत) भारत सरकार के प्रतिभूतियों और ट्रेजरी बिल (₹7,356.24 करोड़) और संयुक्त उद्यम कंपनियों की शेयर पूंजी में (₹300.71 करोड़) निवेश किया गया था।

[11] शैक्षिक उद्देश्यों के लिए विकास निधि (8229–101), कृषि उद्देश्यों के लिए विकास निधि (8229–103), ग्रामीण विकास निधि (8229–200–0023) और अन्य निधि (8235–200)

2.5.2.1 संचित निक्षेप निधि

बारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के बाद, राज्य ने बैंकों से ऋण, राष्ट्रीय लघु बचत निधि के कारण देनदारियों आदि सहित सभी ऋणों के परिशोधन के लिए एक संचित निक्षेप निधि (सीएसएफ) बनाया है। इसके अलावा, राज्य शासन (वित्त विभाग) द्वारा जारी दिशानिर्देश (जून 2006) के अनुसार, वर्ष की शुरुआत में बकाया देनदारियों (आंतरिक ऋण और लोक लेखा देनदारियों) का 0.50 प्रतिशत का न्यूनतम वार्षिक योगदान निधि में स्थानांतरित करना आवश्यक था। इसके अलावा, सरकार इस कोष में अपना योगदान भारतीय रिज़र्व बैंक से उधार लेकर नहीं देगी।

वर्ष 2023–24 के दौरान, छत्तीसगढ़ शासन ने 31 मार्च 2023 तक ₹86,500.48 करोड़ की बकाया देनदारियों (आंतरिक ऋण और लोक लेखा देनदारियों) का 0.5 प्रतिशत का प्रतिनिधित्व करते हुए ₹432.50 करोड़ की न्यूनतम आवश्यकता के मुकाबले ₹415.00 करोड़ को संचित निक्षेप निधि में स्थानांतरित किया। 31 मार्च 2024 तक, निधि में ₹3,701.94 करोड़ पड़े थे, और पूरी राशि भारत सरकार की प्रतिभूतियों में निवेश की गई थी।

2.5.2.2 राज्य आपदा जोखिम प्रबंधन निधि

पंद्रहवें वित्त आयोग ने आपदा प्रतिक्रिया के साथ–साथ आपदा न्यूनीकरण के लिए एक निधि के निर्माण की सिफारिश की है, जिसे संयुक्त रूप से राज्य आपदा जोखिम प्रबंधन निधि (एसडीआरएमएफ) कहा जाएगा। एसडीआरएमएफ के लिए अनुशंसित कुल राशि में से एसडीआरएफ का हिस्सा 80 प्रतिशत और एसडीएमएफ का हिस्सा 20 प्रतिशत होगा।

एसडीआरएमएफ पर लगाए गए व्यय का विवरण नीचे **तालिका 2.30** में दिया गया है:

तालिका 2.30: राज्य आपदा जोखिम प्रबंधन निधि पर प्रभारित किये गये व्यय का विवरण

(₹ करोड़ में)

क. सं.	शीर्ष	लेखों के लघु शीर्ष	वर्ष 2023–24 के दौरान व्यय
1	**2245–प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत**		
2	**01– सूखा**		
3	101	अनुग्राहिक राहत	0.07
4	282	लोक स्वास्थ्य	0.00
5	**02– बाढ़ चक्रवात आदि**		
6	101	अनुग्रहिक राहत	0.37
7	110	क्षतिग्रस्त जल प्रदाय एवं निकास व्यवस्था के मरम्मत एवं पुर्नस्थापना हेतु सहायता	0.27
8	111	शोकाकुल परिवार को अनुग्रह भुगतान	9.27
9	112	जनसंख्या का निष्क्रमण	1.01
10	113	मकानों के मरम्मत एवं निर्माण हेतु सहायता	7.97
11	114	कृषि सामग्री क्रय हेतु किसानों को सहायता	6.31
12	116	कृषकों को क्षतिग्रस्त टयूब वैल एवं पम्प स्रोत की मरम्मत हेतु सहायता	0.00
13	117	पशुधन के क्रय के लिए किसानों को सहायता	5.28
14	122	क्षतिग्रस्त सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण कार्यों की मरम्मत एवं पुनरुद्धार	0.00
15	**80–सामान्य**		
16	101	विनाश का सामना करने के प्रशिक्षण केन्द्र	0.16
17	102	विनाश वाले क्षेत्रों में प्राकृतिक विनाश, आकस्मिक योजनाओं का प्रबंधन	77.71
18	800	अन्य व्यय	105.30
19	**कुल राज्य आपदा राहत निधि के अंतर्गत व्यय**		**213.72**

20	**05– राज्य आपदा राहत निधि**		
21	901	**घटाएं**– राज्य आपदा राहत निधि से प्रतिपूर्ति राशि	**(–)204.44**

स्रोतः वित्त लेखे 2023–24

(अ) राज्य आपदा राहत निधि (एसडीआरएफ)

भारत सरकार ने 1 अप्रैल 2010 से पूर्ववर्ती आपदा राहत निधि को राज्य आपदा राहत निधि (एसडीआरएफ) से बदल दिया। एसडीआरएफ दिशानिर्देश, 2022 के अनुसार, केंद्र और राज्यों को 75:25 के अनुपात में निधि में योगदान करना आवश्यक है। योगदान को मुख्य शीर्ष 2245 के तहत बजट प्रावधान करके लोक लेखा में मुख्य शीर्ष–8121 में स्थानांतरित किया जाना है। एसडीआरएफ को दिए जाने वाले राहत कार्यों पर किए गए व्यय को मुख्य शीर्ष–2245 के तहत कटौती प्रविष्टि के रूप में दिखाया जाएगा।

वित्त लेखा वर्ष 2023–24 के अनुसार, 01 अप्रैल 2023 तक एसडीआरएफ का प्रारंभिक शेष ₹208.34 करोड़ था। वर्ष 2023–24 के दौरान, राज्य शासन को 2022–23 के केंद्र सरकार के हिस्से की दूसरी किस्त के रूप में ₹181.60 करोड़ प्राप्त हुए। हालाँकि, राज्य शासन ने 2023–24 में निधि में ₹484.00 करोड़ (वर्ष 2022–23 के लिए केंद्र का हिस्सा ₹363.20 करोड़ और राज्य का हिस्सा ₹120.80 करोड़) हस्तांतरित किया। राज्य शासन ने वर्ष 2023–24 के दौरान ₹2.03 करोड़ की राजकोषीय जमा राशि भी निधि में स्थानांतरित की। 2023–24 दौरान एसडीआरएफ से ₹204.44 करोड़ का व्यय किया गया। इस प्रकार, 31 मार्च 2024 तक, एसडीआरएफ में अंतिम शेष ₹489.93 करोड़ था।

एसडीआरएफ योगदान में विलंब

गृह मंत्रालय, एसडीआरएफ (2015 और 2022) पर भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार, भारत सरकार का हिस्सा प्राप्त होने पर तुरंत, राज्य शासन अपने मिलान वाले हिस्से के साथ राशि, यदि पहले से ही हस्तांतरित नहीं हुई है, तो इसकी प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर लोक लेखा शीर्ष में हस्तांतरित कर देगी। किसी भी देरी के लिए राज्य सरकार को देरी के दिनों की संख्या के लिए आरबीआई की बैंक दर पर ब्याज के साथ राशि जारी करने की आवश्यकता होगी।

वर्ष 2023–24 के दौरान, राज्य शासन ने 2022–23 के केंद्रीय हिस्से की पहली किस्त (31 मार्च 2023 को प्राप्त) को राज्य के समतुल्य हिस्से के साथ नौ दिनों की देरी से 25 अप्रैल 2023 को लोक लेखा मद में स्थानांतरित कर दिया और 2022–23 के केंद्रीय हिस्से की दूसरी किस्त (10 जुलाई 2023 को प्राप्त) को राज्य के समतुल्य हिस्से के साथ आठ दिवस विलंब से 03 अगस्त 2023 को लोक लेखा शीर्ष में स्थानांतरित कर दिया। दिशानिर्देशों के अनुसार 2023–24 के दौरान विलंबित हस्तांतरण के लिए राज्य शासन द्वारा ₹0.75 करोड़ (पहली किस्त – ₹0.39 करोड़ और दूसरी किस्त के लिए – ₹0.36 करोड़) का ब्याज देय था।

एसडीआरएफ से गैर–निवेश

भारत सरकार द्वारा जारी दिशा–निर्देशों (2022) के अनुसार, राज्य शासन एसडीआरएफ निधि को केंद्र सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियों एक या अधिक उपकरणों जैसे नीलाम किए गए ट्रेजरी बिल; अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के पास ब्याज अर्जित करने वाली जमाराशियाँ और जमाराशियों के प्रमाण पत्र में निवेश करेगी। राज्य सरकार आरबीआई के ओवरड्राफ्ट विनियमन दिशानिर्देशों के तहत ओवरड्राफ्ट पर लागू दर पर एसडीआरएफ में ब्याज का भुगतान करेगी। ब्याज अर्ध–वार्षिक आधार पर जमा किया जाएगा।

हालाँकि, 2023–24 के दौरान छत्तीसगढ़ शासन ने न तो दिशानिर्देशों में निर्दिष्ट किसी भी उपकरण में एसडीआरएफ में शेष राशि का निवेश किया था, और एसडीआरएफ दिशानिर्देशों का उल्लंघन करते हुए

निधि में पड़ी शेष राशि पर न ही अर्ध–वार्षिक ब्याज का भुगतान किया था। 31 मार्च 2024 तक ₹489.93 करोड़ की संपूर्ण शेष राशि एसडीआरएफ में बिना निवेश के पड़ी थी, जिसके परिणामस्वरूप ब्याज देनदारी बन गई।

अदत्त ब्याज (₹46.14 करोड़[12]) देनदारी के कारण 2023–24 के दौरान राजस्व व्यय/राजस्व घाटा उस सीमा तक कम बताया गया।

(ब) राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि (एसडीएमएफ)

राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि (एसडीएमएफ) का गठन एसडीआरएफ/एनडीआरएफ दिशानिर्देशों और राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित राज्य विशिष्ट स्थानीय आपदाओं के तहत आने वाली आपदाओं के संबंध में शमन परियोजनाओं के उद्देश्य से किया गया था। भारत सरकार और राज्य सरकार को क्रमशः 75:25 के अनुपात में निधि में योगदान करना आवश्यक है।

वित्त लेखा वर्ष 2023–24 के अनुसार, 01 अप्रैल 2023 तक एसडीएमएफ के पास ₹84.22 करोड़ का प्रारंभिक शेष था। वर्ष 2023–24 के दौरान, राज्य शासन को वर्ष 2022–23 के लिए केंद्र सरकार का ₹90.80 करोड़ का हिस्सा प्राप्त हुआ। हालाँकि, राज्य शासन ने वर्ष 2021–22 से संबंधित राशि ₹115.20 करोड़ (केंद्रीय हिस्सा ₹86.40 करोड़ और राज्य का हिस्सा ₹28.80 करोड़) 2023–24 में निधि में स्थानांतरित कर दिया। वर्ष 2023–24 के दौरान प्राप्त ₹90.80 करोड़ के केंद्रीय हिस्से के साथ–साथ ₹30.27 करोड़ के राज्य के हिस्से का हस्तांतरण न करने के परिणामस्वरूप राजस्व व्यय/राजस्व घाटा उस सीमा तक कम बताया गया। वर्ष 2023–24 के दौरान एसडीएमएफ से कोई व्यय नहीं किया गया। इस प्रकार, 31 मार्च 2024 को, एसडीएमएफ में अंतिम शेष ₹199.42 करोड़ था।

एसडीएमएफ दिशानिर्देशों (2022) के अनुसार, राज्य शासन को अपनी प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर योगदान जारी करना आवश्यक था और देरी के मामले में राज्य शासन द्वारा आरबीआई की बैंक दर पर ब्याज देय होगा। भारत सरकार से प्राप्त धनराशि और 2021–23 से राज्य के मिलान हिस्से के साथ एसडीएमएफ[13] को हस्तांतरण का विवरण नीचे **तालिका 2.31** में दिया गया है।

तालिका 2.31: एसडीएमएफ निधि में योगदान का विवरण

वर्ष	किस्त	केंद्रीय हिस्सा		राज्य का हिस्सा		एसडीएमएफ खाते में केंद्र और राज्य का हिस्सा स्थानांतरित करने में लगने वाले दिनों की संख्या	अनुग्रह दिन	स्थानांतरण में देरी (दिन)	देरी के लिए भुगतान किया जाने वाला ब्याज (करोड़ में)
		राशि (करोड़ में)	भारत सरकार से रिलीज की तारीख	राशि (करोड़ में)	राज्य वित्त विभाग से केंद्र और राज्य के हिस्से की रिलीज की तारीख				
2021–22	पहली एवं दूसरी किस्त	86.40	29.03.2022	28.80	19.05.2023	416	15	401	7.49
2022–23	पहली एवं दूसरी किस्त	90.80	04.07.2023	30.26	31.03.2024 तक स्थानांतरित नहीं किया गया	–	15	255*	5.72

स्रोतः छत्तीसगढ़ राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग से प्राप्त डेटा

* 31.03.2024 तक विलंब

[12] गैर–निवेश के लिए ₹45.39 करोड़ और अंशदान के हस्तांतरण में देरी के लिए ₹0.75 करोड़।

[13] पंद्रहवें वित्त आयोग के अनुसार, एसडीएमएफ फंड 2020–21 में बनाया गया था। हालाँकि, 2020–21 की अवधि के लिए नए एसडीएमएफ दिशानिर्देश को अंतिम रूप दिए जाने तक, भारत सरकार (एमओएच) (अप्रैल 2020) ने 30 जुलाई 2015 के एसडीआरएफ के मौजूदा दिशानिर्देश की वैधता को एक वर्ष की अवधि के लिए या नए दिशानिर्देश/मानदंड तैयार होने तक बढ़ाने का निर्णय लिया।

जैसा कि उपरोक्त तालिका से देखा जा सकता है, वर्ष 2021–22 से संबंधित राज्य के हिस्से के साथ केंद्रीय हिस्से के हस्तांतरण में 401 दिनों की देरी हुई। इसके अलावा, वर्ष 2022–23 से संबंधित धनराशि अभी भी लोक लेखा में स्थानांतरित नहीं की गई है। विलंब के लिए ₹13.21 करोड़ का ब्याज राज्य शासन द्वारा मार्च 2024 तक देय था।

एसडीएमएफ से गैर–निवेश

भारत सरकार द्वारा जारी दिशा–निर्देशों (2022) के अनुसार, राज्य शासनएसडीएमएफ निधि को केंद्र सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियों एक या अधिक उपकरणों जैसे नीलाम किए गए ट्रेजरी बिल; अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के पास ब्याज अर्जित करने वाली जमाराशियाँ और जमाराशियों के प्रमाण पत्र में निवेश करेगी। राज्य शासन एसडीएमएफ से निवेश न की गई राशि के लिए आरबीआई के ओवरड्राफ्ट विनियमन दिशानिर्देशों के तहत ओवरड्राफ्ट पर लागू दर पर एसडीएमएफ में ब्याज का भुगतान करेगी। ब्याज अर्ध–वार्षिक आधार पर जमा किया जाएगा।

हालाँकि, वर्ष 2023–24 के दौरान छत्तीसगढ़ शासन ने न तो दिशानिर्देशों में निर्दिष्ट किसी भी उपकरण में एसडीएमएफ में शेष राशि का निवेश किया था, औरएसडीएमएफ दिशानिर्देशों का उल्लंघन करते हुए निधि में पड़े बिना निवेशित शेष पर न ही अर्ध–वार्षिक ब्याज का भुगतान किया था। 31 मार्च 2024 तक ₹199.42 करोड़ की संपूर्ण शेष राशि एसडीएमएफ में बिना निवेश के पड़ी थी।

अदत्त ब्याज (₹28.53 करोड़[14]) के कारण वर्ष 2023–24 के दौरान राजस्व व्यय/राजस्व घाटा उस सीमा तक कम बताया गया और भविष्य के लिए ब्याज देनदारियों का संचय हुआ।

2.5.2.3 प्रत्याभूति मोचन निधि

छत्तीसगढ़ शासन ने जुलाई 2022 में ₹5 करोड़ के प्रारंभिक योगदान के साथ प्रत्याभूति मोचन निधि के गठन और प्रशासन की योजना को अधिसूचित किया है। हालाँकि, छत्तीसगढ़ शासन ने मार्च 2023 में प्रत्याभूति मोचन निधि के लिए संशोधित योजना अधिसूचित की।

अधिसूचना के पैरा 5 के अनुसार, निधि की स्थापना पिछले वर्ष के अंत में बकाया गारंटी के न्यूनतम एक प्रतिशत के प्रारंभिक योगदान और उसके बाद अगले पांच वर्षों में 3 प्रतिशत के न्यूनतम स्तर को प्राप्त करने के लिए हर साल न्यूनतम 0.5 प्रतिशत के योगदान के साथ की जाएगी। निधि को धीरे–धीरे पांच प्रतिशत के वांछनीय स्तर तक बढ़ाया जाएगा। यदि गारंटी लागू कर दी गई है या लागू किए जाने की संभावना है, तो अतिरिक्त धनराशि (पांच प्रतिशत से अधिक) बनाए रखी जाएगी। इसके अलावा, शासन इस निधि में अपना योगदान भारतीय रिज़र्व बैंक से उधार लेकर नहीं देगी।

वर्ष 2023–24 के दौरान, छत्तीसगढ़ शासन ने शीर्ष 8235–117 के तहत प्रत्याभूति मोचन निधि में ₹10.00 करोड़ हस्तांतरित किए। प्रत्याभूति मोचन निधि योजना की अधिसूचना के अनुसार, राज्य शासन को ₹221.00 करोड़ (पिछले वर्ष के अंत में ₹22,099.71 करोड़ की कुल बकाया गारंटी का एक प्रतिशत) का योगदान करना आवश्यक था, जिसके विरुद्ध 31 मार्च 2024 तक ₹15.00 करोड़ का योगदान किया गया था।

[14] गैर–निवेश के लिए ₹15.32 करोड़ तथा अंशदान के हस्तांतरण में देरी के लिए ₹13.21 करोड़।

2.5.2.4 राज्य के लोक लेखों से बाहर की निधियाँ

भारत के संविधान के अनुच्छेद 266(1) में अनुच्छेद 267 के अधीन प्रावधान है कि किसी राज्य की सरकार द्वारा प्राप्त सभी राजस्व, उस सरकार द्वारा ट्रेजरी बिल के माध्यम से उठाए गए सभी ऋण, ऋण या अर्थोपाय अग्रिम, और ऋणों के पुनर्भुगतान में उस सरकार द्वारा प्राप्त सभी धनराशि से एक समेकित निधि बनेगी जो "राज्य की समेकित निधि" की हकदार होगी। अनुच्छेद 266(2) में प्रावधान है कि किसी राज्य की सरकार द्वारा या उसकी ओर से प्राप्त अन्य सभी सार्वजनिक धन, जैसा भी मामला हो, राज्य के लोक लेखों में जमा किया जाएगा।

भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण उपकर

छत्तीसगढ़ शासन द्वारा भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल का सितम्बर 2008 में गठन किया गया। मण्डल नियोक्ताओं से निर्माण की लागत के एक प्रतिशत की दर से उपकर एकत्र करता है और भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम 1996 के अनुसार अपनी योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए इसका उपयोग करता है।

श्रम उपकर की प्राप्ति और उपयोग

1 अप्रैल 2023 तक बोर्ड के पास उपलब्ध प्रारंभिक शेष राशि ₹674.74 करोड़ थी। बोर्ड द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, वर्ष 2023–24 के दौरान कुल ₹343.15 करोड़ (पंजीकरण शुल्क और अन्य प्राप्तियां – ₹2.03 करोड़, श्रम उपकर – ₹306.77 करोड़ और ब्याज – ₹34.35 करोड) प्राप्त हुए। इसके अलावा, श्रम उपकर के लिए प्राप्त 306.77 करोड़ में से, वर्ष के दौरान विभिन्न राज्य और केंद्र सरकार की संस्थाओं से ₹250.49 करोड़ और निजी संस्थाओं से ₹56.28 करोड़ प्राप्त हुए। कल्याणकारी योजनाओं और स्थापना पर बोर्ड ने 2023–24 के दौरान कुल ₹370.43 करोड़ खर्च किए। इस प्रकार, 31 मार्च 2024 तक बोर्ड के पास ₹647.46 करोड़ उपलब्ध थे।

बोर्ड द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, अन्य संस्थाओं द्वारा सीधे बोर्ड को धनराशि हस्तांतरित की गई थी और लोक लेखा के माध्यम से नहीं भेजी गई थी। और केवल चार[15] विभागों के संबंध में, धनराशि लोक लेखा के माध्यम से भेजी जा रही थी।

बीओसीडब्ल्यू उपकर नियम, 1998 के अनुसार एकत्रित उपकर राज्य की लेखा प्रक्रियाओं के अंतर्गत बोर्ड के लेखा शीर्ष में बोर्ड को हस्तांतरित किया जाएगा। सरकारी खातों के माध्यम से उपकर के लेखांकन के अभाव में, एकत्रित और बोर्ड को हस्तांतरित उपकर की वास्तविक राशि का पता नहीं लगाया जा सका। वित्त लेखे 2023–24 के अनुसार, मुख्य शीर्ष 8443–111/108 अन्य विभागीय/लोक निर्माण जमा के अंतर्गत वर्ष के दौरान श्रम उपकर के ₹59.99 करोड़ रुपये जमा किए गए। जिसमें से राज्य शासन ने बोर्ड को देय ₹63.19 करोड़ रुपये (₹59.99 करोड़ रुपये + पिछले वर्ष का ₹3.20 करोड़ रुपये का गैर–हस्तांतरित शेष) के मुकाबले केवल ₹58.01 करोड़ रुपये हस्तांतरित किए। ₹5.18 करोड़ रुपये का शेष गैर–हस्तांतरित रह गया है और इसे लोक लेखा मुख्य शीर्ष 8443 के अंतर्गत रखा गया है।

[15] लोक निर्माण विभाग, लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी, जल संसाधन विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग।

2.5.2.5 अन्य समर्पित निधियाँ

(अ) अधोसंरचना विकास निधि

छत्तीसगढ़ (अधोसंरचना विकास एवं पर्यावरण) उपकर अधिनियम 2005 के अनुसार, उन सभी भूमियों पर अधोसंरचना विकास उपकर (आईडी उपकर) लगाया और एकत्र किया जाएगा, जिन पर भू–राजस्व या किराया लगाया जाता है। इस प्रकार एकत्र किए गए आईडी उपकर को अधोसंरचना विकास निधि (आईडी फंड) में स्थानांतरित किया जाना चाहिए। इस निधि का उपयोग ऐसी अधोसंरचना विकास परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए किया जाएगा, जैसा कि निर्धारित किया जाए। अधोसंरचना विकास निधि का रखरखाव लोक लेखा (8229 विकास और कल्याण निधि–200–0026) में किया जाता है।

लेखापरीक्षा जांच से पता चला कि राज्य शासन ने वर्ष 2022–23 के दौरान ₹210.58 करोड़ और 2023–24 में ₹197.95 करोड़ का अधोसंरचना विकास उपकर एकत्र किया। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा पिछले वर्ष के दौरान एकत्रित ₹210.58 करोड़ की राशि के मुकाबले वर्ष 2023–24 के दौरान ₹122.75 करोड़ की राशि निधि में हस्तांतरित की गई। ₹87.83 करोड़ रुपये के कम हस्तांतरण के परिणामस्वरूप राजस्व व्यय/राजस्व घाटा कम दर्शाया गया। वर्ष 2023–24 के दौरान अधोसंरचना विकास निधि से ₹41.18 करोड़ रुपये का व्यय किया गया। 31 मार्च 2024 तक अधोसंरचना विकास निधि में अंतिम शेष ₹129.35 करोड़ रुपये था।

(ब) पर्यावरण निधि

छत्तीसगढ़ (अधोसंरचना विकास एवं पर्यावरण) उपकार अधिनियम, 2005 के तहत किए गए प्रावधान के अनुसार, छत्तीसगढ़ शासन में एक पर्यावरण कोष की स्थापना की जाएगी। इस प्रकार एकत्रित पर्यावरण उपकर को राज्य में पर्यावरण परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए पर्यावरण कोष में स्थानांतरित किया जाना चाहिए। पर्यावरण कोष का रखरखाव लोक लेखा (8229–200–0021) में किया जाता है।

संबंधित अभिलेखों की जांच से पता चला कि वर्ष 2022–23 और 2023–24 में पर्यावरण उपकर के रूप में क्रमशः ₹210.58 करोड़ और ₹197.95 करोड़ एकत्र किए गए थे। पिछले वर्ष के दौरान एकत्र 210.58 करोड़ के मुकाबले छत्तीसगढ़ शासन द्वारा वर्ष 2023–24 के दौरान ₹122.75 करोड़ की राशि पर्यावरण निधि में स्थानांतरित की गई थी। ₹87.83 करोड़ का कम हस्तांतरण के परिणामस्वरूप राजस्व व्यय/राजस्व घाटे को कम दर्शाया गया। 31 मार्च 2024 तक पर्यावरण कोष में शेष राशि ₹289.88 करोड़ थी।

(स) खनिज विकास निधि

छत्तीसगढ़ खनिज विकास निधि अधिनियम, 2003 की धारा 3(2) के अनुसार, प्रत्येक वर्ष पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान संग्रहित खनिज राजस्व के पांच प्रतिशत के बराबर राशि खनिज विकास निधि में निर्धारित और योगदान की जाएगी। खनिज विकास निधि का रखरखाव लोक लेखा (8229 विकास और कल्याण निधि–200–0089) में किया जाता है।

वर्ष 2023–24 के दौरान, राज्य शासन को छत्तीसगढ़ राज्य खनिज विकास निधि में ₹647.07 करोड़ (पिछले वर्ष यानी 2022–23 के दौरान संग्रहित ₹12,941.33 करोड़ के खनिज राजस्व का पांच प्रतिशत) हस्तांतरित करना आवश्यक था, जिसके विरुद्ध राज्य शासन ने केवल 400.00 करोड़ हस्तांतरित किए। ₹247.07 करोड़ के कम योगदान के परिणामस्वरूप उस सीमा तक राजस्व व्यय/राजस्व घाटा कम दिखाया गया। खनिज विकास निधि में 31 मार्च 2024 तक अंतिम शेष ₹1,048.89 करोड़ था।

(द) पेंशन निधि

छत्तीसगढ़ राज्य शासन ने 29 मार्च 2003 की अधिसूचना के तहत राज्य पेंशन निधि का प्रशासन शुरू किया था। छत्तीसगढ़ राज्य पेंशन निधि नियम, 2003 के नियम 6 में कहा गया है कि सरकार तत्काल पूर्ववर्ती वर्ष में पेंशन देयताओं के संबंध में मुख्य शीर्ष 2071 में कुल व्यय का कम से कम पांच प्रतिशत राशि निधि में स्थानांतरित करेगी, बशर्ते कि राज्य शासन उपलब्ध संसाधनों को ध्यान में रखते हुए निधि में बड़ी राशि स्थानांतरित कर सके।

पेंशन निधि का निर्माण 8229–200 अन्य विकास निधि के नीचे उप–शीर्ष स्तर पर किया गया है। 01.04. 2024 तक निधि का प्रारंभिक शेष ₹456.05 करोड़ था। वर्ष 2023–24 के दौरान, ₹383.07 करोड़ के आवश्यक योगदान के विरुद्ध ₹272.00 करोड़ (अर्थात ₹7,661.46 करोड़ का पांच प्रतिशत) की राशि निधि में स्थानांतरित की गई। ₹111.07 करोड़ रुपये के कम अंशदान के परिणामस्वरूप राजस्व व्यय/राजस्व घाटा उस सीमा तक कम दर्शाया गया। पेंशन फंड में 31 मार्च 2024 तक अंतिम शेष ₹737.08 करोड़ था, जिसमें से ₹267.43 करोड़ भारत सरकार की प्रतिभूतियों और ट्रेजरी बिलों में निवेश किए गए थे।

(य) केन्द्रीय सड़क एवं अधोसंरचना निधि

केन्द्रीय सड़क एवं अधोसंरचना निधि (सी.आर.आई.एफ) से संबंधित लेखांकन प्रक्रिया मुख्य और लघु शीर्षों की सूची निर्धारित करती है। वर्तमान लेखांकन प्रक्रिया के संदर्भ में अनुदानों को शुरू में मुख्य शीर्ष '1601 केंद्र सरकार से सहायता अनुदान' के तहत राजस्व प्राप्तियों के रूप में दर्ज किया जाता है, इन राशियों में से, रिज़र्व के अलावा अन्य आवंटन, कार्यात्मक मुख्य शीर्ष के अंतर्गत प्रासंगिक योजना लघु शीर्ष को विपरीत डेबिट द्वारा मुख्य शीर्ष '8449–अन्य जमा–103–केंद्रीय सड़क निधि से वित्तीय सहायता' में जमा किये जाते है।

वर्ष 2019–24 के दौरान भारत सरकार से प्राप्त और राज्य शासन द्वारा लोक लेखा में 8449–अन्य जमा–103 केंद्रीय सड़क और अवसंरचना निधि से अनुदान में स्थानांतरित किए गए निधि का विवरण **तालिका 2.32** में दिया गया है।

तलिका 2.32: 2019–24 के दौरान केंद्रीय सड़क एवं अधोसंरचना निधि का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	वर्ष	प्रारंभिक शेष (राज्य शासन द्वारा हस्तांतरण हेतु लंबित राशि)	भारत सरकार से प्राप्त अनुदान	राज्य सरकार द्वारा 8449–अन्य जमा–103 को हस्तांतरित की गई निधि	अंतिम शेष (राज्य शासन से हस्तांतरित नहीं की गई राशि)
1	2019–20	14.02	371.61	198.55	187.08
2	2020–21	187.08	234.92	296.54	125.46
3	2021–22	125.46	230.29	125.47	230.28
4	2022–23	230.28	86.92	160.65	156.55
5	2023–24	156.55	353.60	300.00	210.16

स्रोतः कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), *छ.ग.* द्वारा संकलित आकड़े

भारत सरकार ने वर्ष 2023–24 के दौरान केंद्रीय सड़क और अधोसंरचना निधि के लिए राज्य शासन को ₹353.60 करोड़ जारी किए। राज्य शासन ने वर्ष 2021–22 की अवधि से संबंधित ₹300.00 करोड़ (₹69.64 करोड़, ₹86.92 करोड़ और ₹143.44 करोड़) को लोक लेखा केंद्रीय सड़क और अधोसंरचना निधि में स्थानांतरित कर दिया। इस प्रकार, लोक लेखा में निधि में ₹210.16 करोड़ का हस्तांतरण न किए जाने के परिणामस्वरूप राजस्व व्यय/राजस्व घाटा ₹210.16 करोड़ कम दर्शाया गया।

2.6 ऋण प्रबंधन

ऋण प्रबंधन, शासन द्वारा आवश्यक धन जुटाने के लिए लिया गया ऋण, उसके जोखिम एवं लागत उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए और किसी अन्य संप्रभु ऋण प्रबंधन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए एक रणनीति स्थापित करने और निष्पादित करने की प्रक्रिया है, जिसे शासन ने अधिनियम के माध्यम या किसी वार्षिक बजट घोषणाओं से निर्धारित किया है।

वर्ष 2019–20 से 2023–24 के लिए सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के साथ राज्य की बकाया समग्र ऋण नीचे **चार्ट 2.17** में दर्शायी गई है:

चार्ट 2.17: बकाया समग्र ऋण और सकल राज्य घरेलू उत्पाद में इसका प्रतिशत

(₹ करोड़ में)

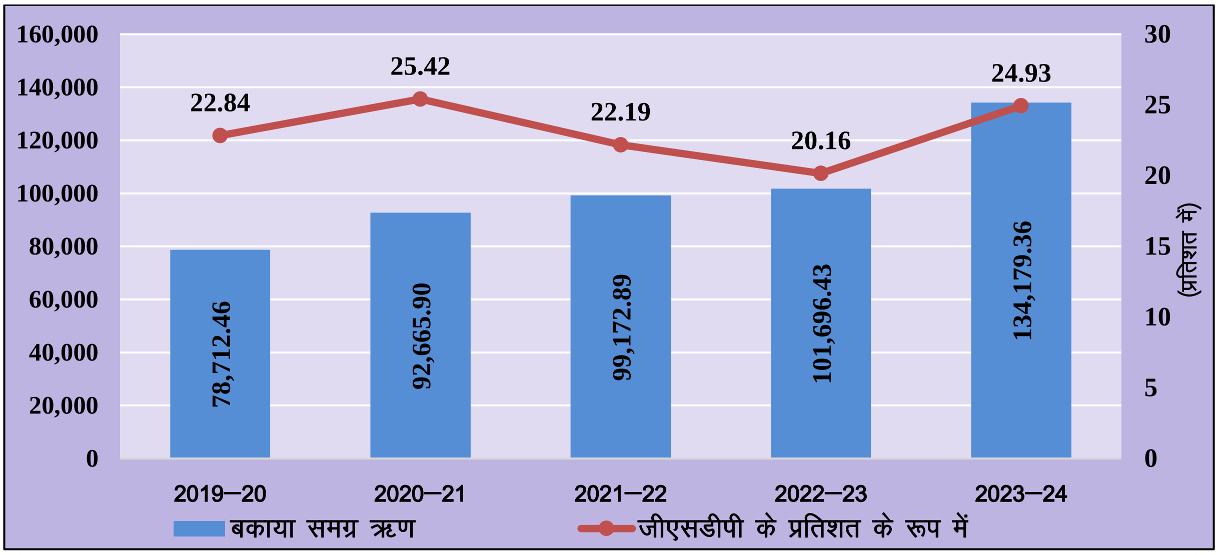

स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

* *बकाया समग्र ऋण में ₹8,074.15 करोड़ का बैक–टू–बैक ऋण (2020–21 के दौरान ₹3,109.00 करोड़ और 2021–22 में ₹4,965.15 करोड़) शामिल है, जो राज्य सरकार को ऋण प्राप्ति के रूप में जीएसटी मुआवजे में कमी के बदले बिना किसी पुनर्भुगतान दायित्व के प्रदान किया गया है।*

\# *वर्ष 2020–23 के लिए बकाया समग्र ऋण–जीएसडीपी अनुपात की गणना बैक–टू–बैक ऋण को छोड़कर की गई है।*

2.6.1 ऋण घटक की रूपरेखा

छत्तीसगढ़ राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम के अनुसार, लोक ऋण में राज्य शासन का आंतरिक ऋण और केंद्र सरकार से ऋण और अग्रिम शामिल हैं। आंतरिक ऋण में बाजार ऋण, भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपाय अग्रिम क्षतिपूर्ति और अन्य बॉन्ड, वित्तीय संस्थानों से ऋण और केंद्र सरकार के राष्ट्रीय लघु बचत कोष को जारी किए गए विशेष प्रतिभूतियाँ शामिल हैं।

पाँच साल की अवधि वर्ष 2019–24 के दौरान राज्य की घटक–वार देनदारी की प्रवृत्ति **तालिका 2.33** में दर्शाया गया है।

तालिका 2.33: ऋण की घटकवार प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)

क. सं.	विवरण	2019–20	2020–21	2021–22	2022–23	2023–24
1	**बकाया समग्र ऋण**	78,712.46	92,665.90	99,172.89	1,01,696.43	1,34,179.36
2	लोक ऋण	63,146.72	76,659.79	82,912.77	83,950.79	1,13,887.55
अ	*आंतरिक ऋण*	60,382.67	70,490.49	71,186.62	68,754.84	95,140.17
ब	*भारत सरकार से ऋण*	2,764.05	6,169.30	11,726.15	15,195.95	18,747.38
3	लोक लेखे की देयतायें	15,565.74	16,006.11	16,260.12	17,745.64	20,291.81
4	समग्र बकाया ऋण की वृद्धि दर (प्रतिशत)	*17.92*	*17.73*	*7.02*	*2.54*	*31.94*
5	सकल राज्य घरेलू उत्पाद	3,44,672	3,52,328	4,10,525	4,64,399	5,05,887
6	सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर (प्रतिशत)	*5.37*	*2.22*	*16.52*	*13.12*	*8.93*
7	ऋण/सकल राज्य घरेलू उत्पाद[16] (प्रतिशत)	*22.84*	*25.42*	*22.19*	*20.16*	*24.93*
8	समग्र देयता पर ब्याज भुगतान	4,970.33	5,633.11	6,144.24	6,382.08	6,798.34
9	ऑफ बजट देयता पर ब्याज भुगतान	129.79	212.20	229.10	462.02	742.15
उधार और अन्य देनदारियाँ (वित्त खातों के विवरण 6 के अनुसार)						
10	वर्ष के दौरान कुल प्राप्त ऋण	31,921.72	33,423.87	28,164.36	21,972.42	67,412.52
11	वर्ष के दौरान कुल ऋण का पुनर्भुगतान	19,958.77	19,470.43	21,657.37	19,448.88	34,929.59
12	वर्ष के दौरान कुल उपलब्ध ऋण#	6,992.59	8,320.33	362.75	निरंक	25,684.59
13	पुनर्भुगतान/प्राप्तियाँ (प्रतिशत)	*62.52*	*58.25*	*76.90*	*88.51*	*51.81*

स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

 # राज्य शासन के पास उपलब्ध शुद्ध निधि की गणना ऋण पुनर्भुगतान और ब्याज भुगतान पर कुल ऋण प्राप्तियों के आधिक्य के रूप में की जाती है।

मार्च 2024 तक बैक–टू–बैक ऋण को छोड़कर प्रभावी बकाया समग्र ऋण ₹1,26,105.21 करोड़ होगी। बकाया समग्र ऋण की वृद्धि दर वर्ष 2019–20 में 17.92 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2022–23 में 2.54 प्रतिशत हो गई। हालांकि, वर्ष 2023–24 में यह उल्लेखनीय रूप से बढ़कर 31.94 प्रतिशत हो गई। वर्ष 2023–24 के दौरान, कुल ऋण प्राप्तियों में पिछले वर्ष की तुलना में ₹45,440.10 करोड़ (206.81 प्रतिशत) की वृद्धि हुई और कुल ऋण पुनर्भुगतान में भी ₹15,480.71 करोड़ (79.60 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। वर्ष 2019–20 और 2020–21 में बकाया समग्र ऋण की वृद्धि दर सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर से काफी अधिक थी, जबकि सकल राज्य घरेलू उत्पाद वृद्धि दर वर्ष 2021–22 और 2022–23 के लिए बकाया समग्र ऋण की वृद्धि दर से अधिक थी। हालांकि, वर्ष 2023–24 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद वृद्धि दर की तुलना में बकाया समग्र ऋण की वृद्धि दर में तीव्र वृद्धि हुई है, जो आगे संभावित राजकोषीय चुनौतियां उत्पन्न कर सकती है।

वर्ष 2019–24 की अवधि के दौरान लोक ऋण में ₹50,740.83 करोड़ (80.35 प्रतिशत) की वृद्धि हुई, जिसमें आंतरिक ऋण में ₹34,757.50 करोड़ (57.56 प्रतिशत) की वृद्धि हुई और भारत सरकार से ऋण में

[16] वर्ष 2020–24 के लिए ऋण–जीएसडीपी अनुपात की गणना बैक–टू–बैक ऋण ₹8,074.15 करोड़ (2020–21 के दौरान ₹3,109.00 करोड़ और 2021–22 में ₹4,965.15 करोड़), जो राज्य सरकार को जीएसटी मुआवजे में कमी के बदले ऋण प्राप्ति के रूप में बिना किसी पुनर्भुगतान दायित्व के प्रदान किया गया है, की राशि को छोड़कर बकाया समग्र ऋण पर की गई है।

₹15,983.33 करोड़ (578.26 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। वर्ष 2019–24 की अवधि के दौरान लोक लेखा देयताओं में ₹4,726.07 करोड़ (30.36 प्रतिशत) की वृद्धि हुई।

31 मार्च 2024 तक राज्य शासन के पास ₹1,34,179.36 करोड़ की बजटीय देनदारियों के अतिरिक्त विभिन्न वित्तीय संस्थानों के प्रति ₹7,292.94 करोड़ की शुद्ध बकाया ऑफ–बजट देनदारियां/उधार हैं।

समग्र देनदारियों का घटक–वार विवरण नीचे **चार्ट 2.18** में दिखाया गया है:

चार्ट 2.18: वर्ष 2023–24 के अंत में बकाया समग्र ऋण का विवरण

(₹ करोड़ में)

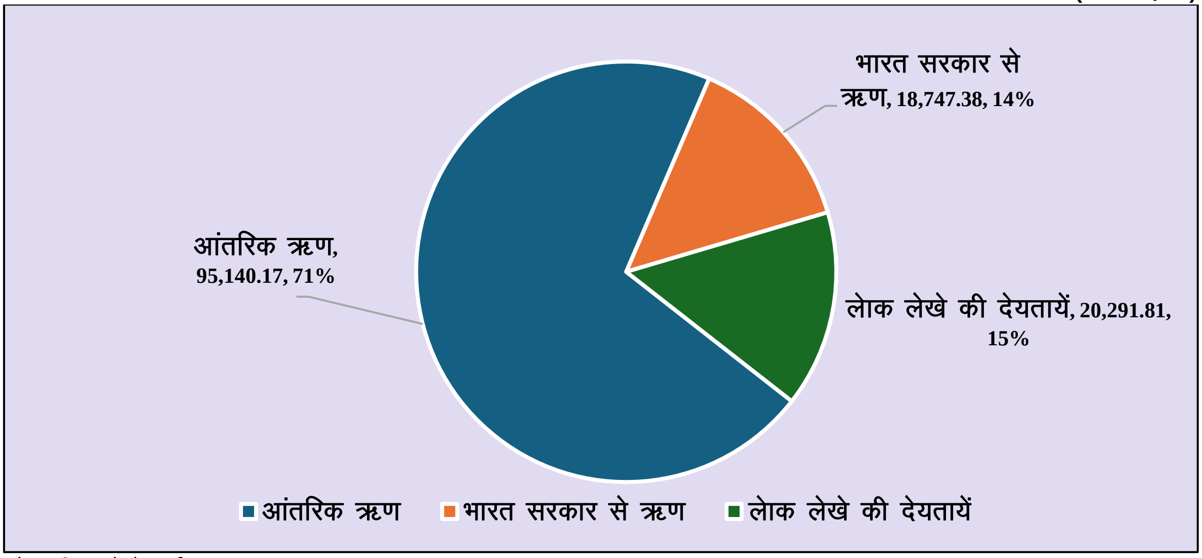

स्रोतः वित्त लेखे वर्ष 2023–24

आंतरिक ऋण (₹95,140.17 करोड़ रुपए), जो मुख्य रूप से राज्य विकास ऋण (एसडीएल) के माध्यम से बाजार उधार है, कुल बकाया ऋण का 71 प्रतिशत है।

चार्ट 2.19 राज्य शासन द्वारा लिया गया आंतरिक ऋण और उसी अवधि के लिए पुनर्भुगतान को चित्रित करता है।

चार्ट 2.19: लिये गये आंतरिक ऋण की तुलना में पुनर्भुगतान

(₹ करोड़ में)

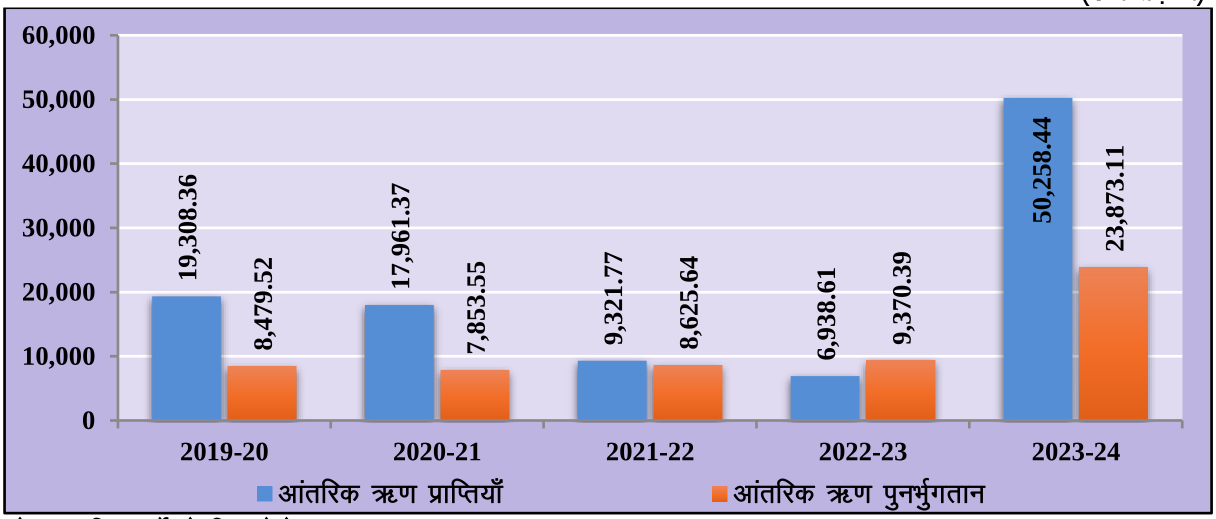

स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

आंतरिक ऋण प्राप्तियों में गिरावट का रुख दिखा और यह वर्ष 2019–20 में ₹19,308.36 करोड़ से घटकर वर्ष 2022–23 में ₹6,938.61 करोड़ हो गई तथा फिर वर्ष 2023–24 में तेजी से बढ़कर ₹50,258.44 करोड़ हो गई। वर्ष 2023–24 के दौरान आंतरिक ऋण के तहत पुनर्भुगतान (₹23,873.11 करोड़) आंतरिक ऋण प्राप्तियों (₹50,258.44 करोड़) का 48 प्रतिशत था।

2.6.2 राजकोषीय घाटे के घटक और इसका वित्तपोषण संरचना

राजकोषीय घाटा राजस्व और पूँजीगत व्यय (ऋण और अग्रिम सम्मिलित कर) की राजस्व और गैर–ऋण प्राप्तियों से अधिकता की पूर्ति के लिए राज्य को कुल वित्तीय पोषण की आवश्यकता (अधिकांशतः भारतीय रिजर्व बैंक से अपने रोकड़ एवं निवेश शेष से आहरण कर और ऋण लेकर) को प्रदर्शित करता है। राजकोषीय घाटे का वित्तपोषण की संरचना **तालिका 2.34** में प्रतिबिंबित है।

तालिका 2.34: राजकोषीय घाटे के घटक और उसके वित्तपोषण की संरचना

(₹ करोड़ में)

क. सं.	विवरण	2019–.20	2020–.21	2021–.22	2022–.23	2023–.24
राजकोषीय घाटे की संरचना						
1	राजस्व घाटा (–)/आधिक्य(+)	(–)9,608.61	(–)6,856.66	(+)4,642.02	(+)8,592.11	(–)11,232.76
2	शुद्ध पूँजीगत व्यय	(–)8,561.69	(–)9,019.34	(–)10,499.33	(–)13,314.70	(–)15,413.92
3	शुद्ध ऋण तथा आग्रिम[17]	200.75	53.62	(–)235.79	31.38	(–)286.35
	योग	**(–)17,969.55**	**(–)15,822.38**	**(–)6,093.10**	**(–)4,691.21**	**(–)26,933.03**
राजकोषीय घाटे के वित्तपोषण का स्वरूप (निवल)						
1	बाजार से लिए गए ऋण	10,980.00	10,500.00	999.99	(–)2,200.00	26,300.00
2	मुआवजा और अन्य बांड	0	0	(–)87.01	(–)87.01	(–)87.01
3	वित्तीय संस्थाओं से ऋण	304.72	112.02	239.03	311.11	628.21
4	एन.एस.एस.एफ. को जारी विशेष प्रतिभूति	(–)455.88	(–)455.88	(–)455.88	(–)455.88	(–)455.87
5	भारत सरकार से ऋण	63.66	3,405.25	5,556.85	3,469.80	3,551.43
6	लघु बचत, भविष्य निधि आदि	785.26	403.73	(–)0.90	1,306.48	1,521.73
7	आरक्षित निधियाँ	814.16	(–)465.18	453.53	(–)181.39	766.01
8	जमा तथा अग्रिम	(–)524.14	501.82	(–)204.13	360.77	258.33
9	उचंत तथा विविध	4,505.27	1,845.02	109.64	2,955.88	(–)5,504.71
10	प्रेषण	80.79	(–)51.08	(–)6.83	37.56	(–)52.85
11	आकस्मिकता निधि	0.00	0.00	0.00	0.00	(–)13.47
12	**कुल घाटा**	**16,553.84**	**15,795.70**	**6,604.29**	**5,517.32**	**26,911.80**
13	रोकड़ शेष में (–)वृद्धि/(+)कमी	(+)1,415.71	(+)26.68	(–)511.19	(–)826.11	(+)21.23
14	**सकल राजकोषीय घाटा**	**17,969.55**	**15,822.38**	**6,093.10**	**4,691.21**	**26,933.03**

स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

वर्ष 2023–24 के दौरान, राज्य शासन द्वारा जुटाए गए निवल बाजार ऋण (₹26,300.00 करोड़) ने राजकोषीय घाटे के एक बड़े हिस्से को वित्तपोषित करने में योगदान दिया और राजकोषीय घाटे के वित्तपोषण में इसकी हिस्सेदारी 98 प्रतिशत थी।

[17] अंतर्राज्यीय परिशोधन सहित निवल ऋण और अग्रिम

राजकोषीय घाटे के वित्तपोषण वाले विभिन्न घटकों के तहत प्राप्तियाँ और संवितरण **तालिका 2.35** में दिखाया गया है।

तालिका 2.35: राजकोषीय घाटे का वित्तपोषण वाले घटकों के तहत प्राप्तियाँ और संवितरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	प्राप्तियाँ	संवितरण	निवल
1	बाजार से लिए गए ऋण	32,000.00	5,700.00	26,300.00
2	मुआवजा और अन्य बांड	0.00	87.01	(–)87.01
3	वित्तीय संस्थाओं से ऋण	1,587.43	959.22	628.21
4	एन.एस.एस.एफ. को जारी विशेष प्रतिभूति	0.00	455.87	(–)455.87
5	भारत सरकार से ऋण	3,791.28	239.85	3,551.43
6	लघु बचत, भविष्य निधि आदि	3,222.13	1,700.40	1,521.73
7	जमा तथा अग्रिम	3,560.30	3,301.97	258.33
8	उचंत तथा विविध	2,00,606.38	2,06,111.09	(–)5,504.71
9	प्रेषण	5,309.36	5,362.21	(–)52.85
10	आरक्षित निधियाँ	7,292.47	6,526.46	766.01
11	आकस्मिकता निधि	63.49	76.96	(–)13.47
12	**कुल घाटा**	**2,57,432.84**	**2,30,521.04**	**26,911.80**
13	रोकड़ शेष में वृद्धि/कमी			21.23
14	**सकल राजकोषीय घाटा**	**2,57,432.84**	**2,30,521.04**	**26,933.03**

स्रोत: वित्त लेखे 2023–24

2.6.3 ऋण रूपरेखा: परिपक्वता और अदायगी

ऋण परिपक्वता और अदायगी रूपरेखा, ऋण अदायगी या ऋण सर्विसिंग के लिए शासन की प्रतिबद्धता को इंगित करता है। नीचे दी गई **तालिका 2.36** राज्य की ऋण परिपक्वता रूपरेखा को दर्शाती है।

तालिका 2.36: लोक ऋण के अदायगी के परिपक्वता की रूपरेखा

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	पुनर्भुगतान की अवधि (वर्ष)	आंतरिक ऋण	केन्द्र सरकार से ऋण तथा अग्रिम	योग	प्रतिशत (लोक ऋण के सापेक्ष में)
1	0 से 1	9,045.96	425.64	9,471.60	8.32
2	1 से 3	21,784.48	535.64	22,320.12	19.60
3	3 से 5	22,556.86	532.36	23,089.22	20.28
4	5 से 7	20,101.37	465.71	20,567.08	18.05
5	7 और उससे अधिक	21,480.46	8,712.45	30,192.91	26.51
6	अन्य[18]	171.04	8,075.58	8,246.62	7.24
योग		**95,140.17**	**18,747.38**	**1,13,887.55**	**100.00**

स्रोत: वित्त लेखे 2023–24

31 मार्च 2024 को राज्य ऋण की परिपक्वता की रूपरेखा इंगित करती है कि राज्य को अगले सात वर्षों के भीतर ऋण का 66.25 प्रतिशत भुगतान करना है।

[18] परिपक्वता वर्ष का विवरण उपलब्ध नहीं है। अन्य में जीएसटी मुआवजे में कमी के एवज में राज्य सरकार को ऋण प्राप्ति के रूप में 2020–21 (₹3,109.00 करोड़) और 2021–22 (₹4,965.15 करोड़) के दौरान प्रदान किया गया बैक–टू–बैक ऋण शामिल है, जिसकी कोई पुनर्भुगतान देयता राज्य के लिए नहीं है।

2.7 ऋण स्थिरता विश्लेषण

ऋण स्थिरता को राज्य की वर्तमान और भविष्य में अपने ऋण को चुकाने की क्षमता के रूप में परिभाषित किया जाता है। सरकार के ऋण की मात्रा के अलावा, राज्य की ऋण स्थिरता को निर्धारित करने वाले विभिन्न मापदंडों का विश्लेषण करना और राज्य की अपने ऋण दायित्वों को चुकाने की क्षमता को इंगित करना महत्वपूर्ण है। यह खंड विभिन्न स्थिरता संकेतकों और डोमर मानदंडों के संदर्भ में सरकार के ऋण की स्थिरता का आकलन करता है। **तालिका 2.37** ऋण स्थिरता संकेतकों के अनुसार 2019–20 से 2023–24 तक पाँच वर्षों की अवधि के लिए राज्य की ऋण स्थिरता का विश्लेषण करती है।

तालिका 2.37: ऋण स्थिरता संकेतकों में प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)

Sl. No	ऋण स्थिरता संकेतक	Y_1 (2019-20)	Y_2 (2020-21)	Y_3 (2021-22)	Y_4 (2022-23)	Y_5 (2023-24)
1	**बकाया समग्र ऋण**	78,712.46	92,665.90*	99,172.89*	1,01,696.43*	1,34,179.36*
2	समग्र बकाया ऋण की वृद्धि दर (प्रतिशत)	17.92	17.73	7.02	2.54	31.94
3	सकल राज्य घरेलू उत्पाद	3,44,672	3,52,328	4,10,525	4,64,399	5,05,887
4	सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर (प्रतिशत)	5.37	2.22	16.52	13.12	8.93
5	ऋण/सकल राज्य घरेलू उत्पाद& (प्रतिशत)	22.84	25.42	22.19	20.16	24.93
6	लोक ऋण की रूपरेखा (प्रतिशत)					
6a	0 से 2 वर्ष	13.97	14.56	18.09	22.32	19.67
6b	2 से 5 वर्ष	31.76	37.28	40.98	45.29	32.28
6c	5 से 10 वर्ष	51.81	46.37	38.28	25.74	39.27
6d	10 वर्ष से अधिक	2.47	1.80	2.65	6.64	8.78
7	पुनर्भुगतान / सकल उधारी (प्रतिशत)	62.52	58.25	76.90	88.51	51.81
8	सकल उधारी के प्रतिशत के रूप में उपलब्ध शुद्ध उधारी	37.48	41.75	23.10	11.49	48.19
9	समग्र बकाया ऋण पर ब्याज भुगतान[19]	4,970.33	5,633.11	6,144.24	6,382.08	6,798.34
10	समग्र बकाया ऋण पर प्रभावी ब्याज दर (प्रतिशत)	7.37	7.05	7.18	7.19	6.30
11	राजस्व प्राप्तियों पर ब्याज भुगतान (प्रतिशत)	7.78	8.92	7.71	6.80	6.57
12	राजस्व घाटा/अधिशेष	–9,608.61	–6,856.66	4,642.02	8,592.11	–11,232.76
13	प्राथमिक राजस्व शेष (पीआरबी)	–4,638.28	–1,223.55	10,786.26	14,974.19	–4,434.42
14	प्राथमिक शेष	–12,999.19	–10,189.27	51.14	1,690.87	–20,134.69
15	प्राथमिक शेष / जीएसडीपी (प्रतिशत)	–3.77	–2.89	0.01	0.36	–3.98
16	निवेश पर प्रतिफल[20] और समग्र बकाया ऋण पर प्रभावी ब्याज दर के बीच अंतर	–7.26	–6.55	–6.94	–4.53	–3.11
17	तरलता प्रबंधन (आरबीआई के पास उपलब्ध वित्तीय समायोजन उपकरणों का उपयोग) (दिनों की संख्या)	36	30	38	15	99
18	**ऋण स्थिरीकरण (क्वांटम स्प्रेड + प्राथमिक शेष)**	**–14,437.29**	**–14,146.69**	**7,798.46**	**6,543.16**	**–17,232.63**
19	**डोमर मानदंड**					
a	जीएसडीपी (स्थिर भाव में)	2,51,549	2,51,192	2,80,609	3,02,119	3,21,945
b	वास्तविक विकास (स्थिर भाव में)	2.85	–0.14	11.71	7.67	6.56
c	सीपीआई आधारित मुद्रास्फीति (प्रतिशत में)	2.48	7.43	4.83	4.69	3.43
d	प्रभावी ब्याज दर	7.37	7.05	7.18	7.19	6.30

[19] समग्र ऋण पर ब्याज भुगतान में ₹129.79 करोड़ (2019–20), ₹212.20 करोड़ (2020–21), ₹229.10 करोड़ (2021–22), ₹462.02 करोड़ (2022–23), ₹742.15 करोड़ (2023–24) की ऑफ बजट ऋणों पर ब्याज भुगतान शामिल हैं।

[20] निवेश पर प्रतिफल = ब्याज प्राप्तियां/पिछले और चालू वित्तीय वर्ष के बकाया ऋण और अग्रिम वितरित का औसत' * 100

e	वास्तविक प्रभावी ब्याज दर (प्रभावी ब्याज दर–मुद्रास्फीति)	4.89	–0.38	2.35	2.50	2.87
f	**विकास ब्याज अंतर (वास्तविक विकास–वास्तविक प्रभावी ब्याज दर)**	–2.04	–0.24	9.36	5.17	3.69

स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

** बकाया समग्र ऋण में राज्य सरकार को ऋण प्राप्ति के रूप में जीएसटी मुआवजे में कमी के एवज में 2020–21 (₹3,109.00 करोड़) और 2021–22 (₹4,965.15 करोड़) के दौरान प्रदान किए गए ₹8,074.15 करोड़ के बैक–टू–बैक ऋण शामिल हैं, जिनकी कोई पुनर्भुगतान देयता नहीं है।*

& वर्ष 2020–21 से 2023–24 के लिए ऋण–जीएसडीपी अनुपात की गणना ₹8,074.15 करोड़ (2020–21 के दौरान ₹3,109.00 करोड़ और 2021–22 में ₹4,965.15 करोड़) के बैक–टू–बैक ऋण की राशि को छोड़कर बकाया ऋण पर की गई है।

पीआरबीः राजस्व प्राप्तियां–राजस्व व्यय (ब्याज भुगतान के बाद शुद्ध), जहां (–) पीआरबी का तात्पर्य प्राथमिक घाटा और इसके विपरीत है।

पीबीः कुल प्राप्तियां (उधार के बाद शुद्ध) – कुल व्यय (ब्याज भुगतान के बाद शुद्ध), जहां (–) पीबी का तात्पर्य प्राथमिक घाटा और इसके विपरीत है।

प्रभावी ब्याज दरः {ओबीबी पर ब्याज भुगतान को छोड़कर ब्याज भुगतान / (गैर–ब्याज–असर वाली देनदारियों, बैक–टू–बैक ऋण और राज्यों को जारी ब्याज मुक्त ऋण को छोड़कर पिछले और चालू वित्तीय वर्ष की औसत बकाया देनदारी)}

तरलता प्रबंधनः विशेष आहरण सुविधा, अर्थोपाय अग्रिम और ओवरड्राफ्ट के विरुद्ध प्राप्त राशि।

*क्वांटम स्प्रेडः (ब्याज स्प्रेड *समग्र देयता) जहां ब्याज स्प्रेड = (जीएसडीपी विकास दर – समग्र ऋण पर प्रभावी ब्याज दर)। क्वांटम स्प्रेड की गणना के लिए, पूंजीगत व्यय/निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता योजना के तहत राज्यों को जारी किए गए बैक–टू–बैक ऋण, गैर–ब्याज वहन देयताएं और ब्याज मुक्त ऋण को छोड़कर समग्र ऋण ली गई है; आरओआईः निवेश पर प्रतिफल*

वर्ष 2019–20 से 2023–24 के दौरान छत्तीसगढ़ के ऋण स्थिरीकरण (क्वांटम स्प्रेड + प्राथमिक शेष), विकास ब्याज अंतर (जी–आर), प्राथमिक शेष और ऋण–जीएसडीपी अनुपात के प्रभाव के बारे में संक्षिप्त चर्चा नीचे दी गई है।

- जैसा कि **तालिका 2.37** से देखा जा सकता है, महामारी से प्रभावित वर्ष 2020–21 को छोड़कर, राज्य ऋण स्थिरता विश्लेषण के लिए विचार किए गए अधिकांश संकेतकों ने पिछले पाँच वर्षों में उतार–चढ़ाव की प्रवृत्ति प्रदर्शित की, जो यह निष्कर्ष निकालने के लिए पर्याप्त हो सकता है कि राज्य का ऋण–जीएसडीपी अनुपात अस्थिर रहा। यह देखा गया है कि वर्ष 2021–22 और 2022–23 को छोड़कर, समग्र देनदारियों/ऋण में वृद्धि नाममात्र वृद्धि से अधिक रही। इससे पता चलता है कि राज्य को ऋण में वृद्धि को रोकने के लिए मितव्ययिता उपाय करने की आवश्यकता है ताकि इसे नाममात्र वृद्धि के अनुरूप रखा जा सके।

- औसतन, 50 प्रतिशत से अधिक बकाया ऋण की शेष परिपक्वता अवधि पांच वर्ष तक थी, जो दर्शाता है कि 2020–21 से 2023–24 तक रोल–ओवर जोखिम उच्च बना रहा। पांच वर्ष तक के बकाया ऋण की शेष परिपक्वता अवधि 2019–20 में 45.73 प्रतिशत से बढ़कर 2022–23 में 67.61 प्रतिशत हो गई और 2023–24 में घटकर 51.95 प्रतिशत हो गई। अल्पकालिक और मध्यम अवधि की परिपक्वता वाले बकाया ऋण के अनुपात में वृद्धि के साथ, 2022–23 तक रोल–ओवर जोखिम बढ़ गया और 2023–24 में कम हो गया। इसलिए, राज्य को ऋण स्थिरता की भेद्यता को कम करने के लिए भविष्य की उधार आवश्यकताओं के लिए दीर्घकालिक ऋण पर स्विच करने की आवश्यकता है।

- वर्ष 2019–20 को छोड़कर, ऋण–जीएसडीपी अनुपात द्वारा मापा गया राज्य का ऋण भार, हालांकि वित्त आयोग द्वारा निर्धारित सांकेतिक ऋण पथ[21] के साथ बना रहा, लेकिन इसमें उतार–चढ़ाव की प्रवृत्ति देखी गई।

---

[21] ऋण स्थिरता विश्लेषण के लिए दो शर्तें आवश्यक हैं; ऋण स्थिरता संकेतक (विकास ब्याज अंतर और प्राथमिक शेष का संयोजन) और लक्ष्य सीमा से वास्तविक ऋण/जीएसडीपी अनुपात के विचलन में ऋण की स्थिरता का अनुमान लगाना। चूंकि यह इंगित करने के लिए कोई सिद्धांत नहीं है कि एक स्थायी ऋण सीमा क्या है, इसलिए ऋण के लक्ष्य मूल्य का चुनाव मनमाना है। इसलिए, वित्त आयोग द्वारा दिए गए राज्य के सांकेतिक ऋण पथ को ऋण/जीएसडीपी अनुपात की सीमा के रूप में माना जाता है।

- उपरोक्त तालिका में सकल उधारी के पुनर्भुगतान में ब्याज भुगतान शामिल नहीं है और यदि इसे ध्यान में रखा जाए तो यह 52 प्रतिशत से बढ़कर 62 प्रतिशत हो जाएगा और राजकोषीय नियोजन में सरकार के लचीलेपन को कम करेगा और गुणवत्ता व्यय पर खर्च में और कटौती करने की आवश्यकता हो सकती है। इसके अलावा, उत्पादक उद्देश्यों और विकास को बढ़ावा देने वाले निवेश के लिए उपलब्ध शुद्ध उधार ने न तो लगातार ऊपर की ओर रुझान दिखाया है और न ही इतना स्थिर रहा है कि व्यय की गुणवत्ता में निरंतर सुधार हो सके।

- इसके अलावा, तरलता प्रबंधन के लिए आरबीआई के पास उपलब्ध वित्तीय सुविधा का उपयोग पिछले पांच वर्षों में 2022–23 में सबसे कम 15 दिन और 2023–24 में सबसे अधिक 99 दिन रहा। राज्य ने तरलता प्रबंधन के लिए आरबीआई के पास उपलब्ध वित्तीय सुविधा का उपयोग सालाना औसतन 1.5 महीने तक किया, जो दर्शाता है कि राज्य तरलता के मुद्दों से जूझ रहा था।

- राज्य जीआईडी (विकास ब्याज अंतर), जो पांच में से तीन वर्षों में सहायक रहा और 2021–22 और 2022–23 में प्राथमिक अधिशेष रहा, की मदद से पांच में से चार वर्षों में अपने ऋण–जीएसडीपी अनुपात को वित्त आयोग द्वारा निर्धारित सांकेतिक सीमा से नीचे रखने में कामयाब रहा।

- जीआईडी (विकास ब्याज अंतर) और प्राथमिक शेष दोनों जो नकारात्मक क्षेत्र में रहे, 2019–20 और 2020–21 में ऋण–जीएसडीपी अनुपात में वृद्धि में योगदान दिया। जीआईडी और प्राथमिक शेष 2021–22 में सकारात्मक हो गए और अगले वर्ष में और बेहतर हुए, जिससे 2021–22 और 2022–23 में ऋण–सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात में सुधार हुआ। हालांकि, जीआईडी और प्राथमिक अधिशेष में गिरावट के साथ–साथ ऋण में वृद्धि जो कि नाममात्र वृद्धि से काफी अधिक थी, ने ऋण–सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात को 2022–23 में 20.16 प्रतिशत से 4.8 प्रतिशत अंकों की वृद्धि दर्ज कर 2023–24 में 24.93 प्रतिशत हो गयी। राज्य, वर्ष 2019–20 को छोड़कर, पिछले पांच वर्षों में वित्त आयोग द्वारा दिए गए सांकेतिक ऋण पथ के भीतर अपने ऋण–सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात को बनाए रखने में कामयाब रहा।

- डोमर मानदंड से पता चलता है कि महामारी से प्रभावित वर्ष (2020–21) को छोड़कर नाममात्र वृद्धि मुख्य रूप से मुद्रास्फीति के बजाय वास्तविक वृद्धि से प्रेरित थी। जबकि सीपीआई (संयुक्त) द्वारा मापी गई मुद्रास्फीति ने 2019–20 और 2020–21 को छोड़कर वास्तविक ब्याज दरों को सकारात्मक जीआईडी के अनुकूल बनाए रखा। औसतन, राज्य ने आरबीआई द्वारा निर्धारित 2–6 प्रतिशत बैंडविड्थ के भीतर सीपीआई मुद्रास्फीति का प्रबंधन किया है।

नीचे **चार्ट 2.20** ऋण/सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात के संदर्भ में राज्य शासन के ऋण की स्थिरता को दर्शाता है।

चार्ट 2.20: ऋण स्थिरता संकेतकों के प्रवृत्ति

(प्रतिशत में)

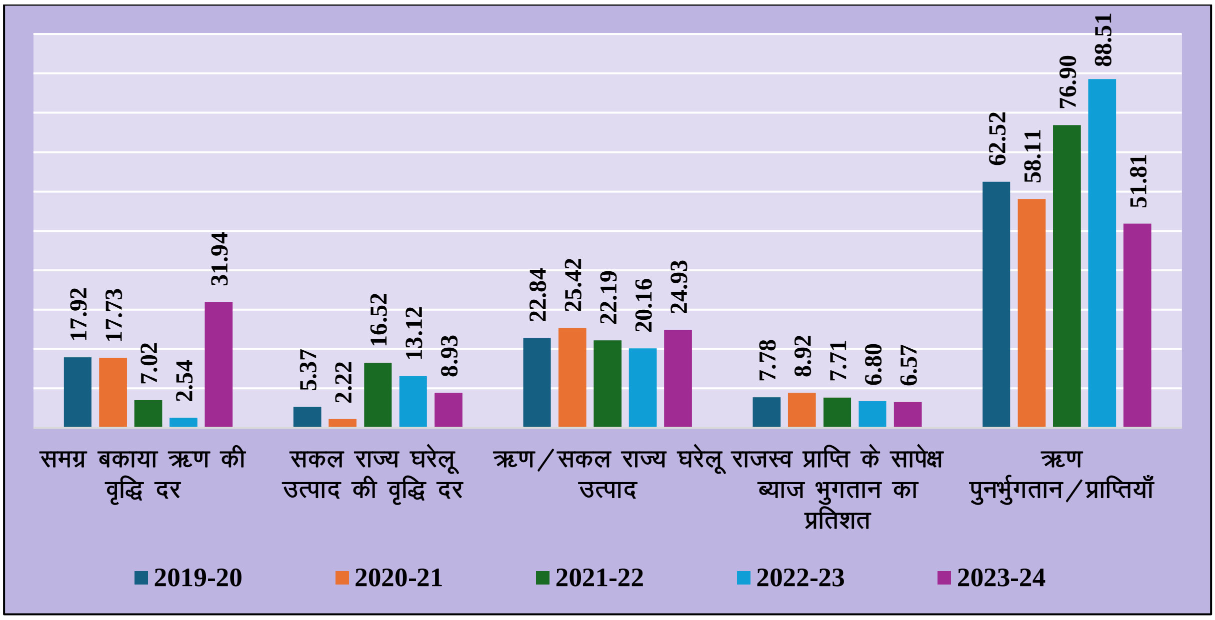

स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

नोटः वर्ष 2020–21 से 2023–24 के लिए सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात के लिए समग्र ऋण की गणना ₹8,074.15 करोड़ (2020–21 के दौरान ₹3,109.00 करोड़ और 2021–22 में ₹4,965.15 करोड़) के बैक–टू–बैक ऋण की राशि को छोड़ने के बाद बकाया समग्र ऋण पर की गई है।

2.7.1 उधार ली गई निधि का उपयोग

उधार ली गई निधि का उपयोग आदर्श रूप से पूँजी निर्माण और विकासात्मक गतिविधियों के लिए किया जाना चाहिए। मौजूदा खपत को पूरा करने और बकाया ऋण पर ब्याज की अदायगी के लिए उधार ली गई निधि का उपयोग करना धारणीय/स्थिर नहीं है। वर्ष 2019–20 से 2023–24 के दौरान उधार ली गई राशि के उपयोग का विवरण और प्रवृत्ति **तालिका 2.38** में दिया गया है।

तालिका 2.38: उधार ली गई निधियों के उपयोग

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	2019–20	2020–21	2021–22	2022–23	2023–24
1	कुल उधारियाँ[22]	31,921.72	33,423.87	28,164.36	21,972.42	67,412.52
2	पूर्व उधारियों का पूनर्भुगतान (मूलधन)	19,958.77	19,470.43	21,657.37	19,448.88	34,929.59
3	उधारियों के पुनर्भुगतान के बाद उपलब्ध शेष	11,962.95	13,953.44	6,506.99	2,523.54	32,482.93
4	निवल पूँजीगत व्यय	(–)8,561.69	(–)9,019.34	(–)10,499.33	(–)13,314.70	(–)15,413.92
5	निवल ऋण एवं अग्रिम	200.75	53.62	(–)235.79	31.38	(–)286.35
6	राजस्व व्यय का हिस्सा जो निवल उपलब्ध उधारियों से हुआ	3,602.01	4,987.72	निरंक	निरंक	11,232.76
7	रोकड़ शेष में अधिशेष उधार	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	5,549.90

स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

[22] लोक ऋण और अन्य लोक खाता देनदारियों सहित कुल उधारी

कुल उधारी में वर्ष 2019–20 में ₹31,921.72 करोड़ रुपये से बढ़कर वर्ष 2023–24 में ₹67,412.52 करोड़ रुपये तक की वृद्धि की प्रवृत्ति है, जिसमें 2023–24 में उल्लेखनीय उछाल है। वर्ष 2023–24 के दौरान, उधार ली गई धनराशि का 52 प्रतिशत (₹67,412.52 करोड़ रुपये) पहले के उधार (₹34,929.59 करोड़ रुपये) के पुनर्भुगतान के लिए उपयोग किया गया, जिससे विकास गतिविधियों के लिए उधार ली गई निधि का केवल 48 प्रतिशत ही बचा।

उधार पुनर्भुगतान के बाद उपलब्ध शेष राशि ₹32,482.93 करोड़ में से, पूंजी खाते पर ₹15,413.92 करोड़ और ऋण और अग्रिम पर ₹286.35 करोड़ खर्च किए गए। शेष ₹16,782.66 करोड़ की उधारी में से ₹11,232.76 करोड़ राजस्व व्यय के हिस्से के वित्तपोषण के लिए इस्तेमाल किए गए और ₹5,549.90 करोड़ रोकड़ शेष के रूप में उपलब्ध थे।

वर्ष 2023–24 के दौरान, कुल उधारी 2022–23 में ₹21,972.42 करोड़ से ₹45,440.10 करोड़ (₹206.81 प्रतिशत) बढ़कर 2023–24 में ₹67,412.52 करोड़ हो गई। इसी तरह, पिछले वर्ष की तुलना में 2023–24 में पहले के उधारों की अदायगी में ₹15,480.71 करोड़ (79.60 प्रतिशत) की वृद्धि हुई।

2.7.2 प्रत्याभूति (गारंटी) – आकस्मिक देयताएं

गारंटियां उधारकर्ता द्वारा चूक की स्थिति में राज्य की समेकित निधि पर देय आकस्मिक देनदारियां है जिनके लिए गारंटी को बढ़ाया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य शासन गारंटी नियम, 2020 (संशोधित) के अनुसार, एक वित्तीय वर्ष में दी गई कुल सरकारी गारंटी पिछले वर्ष में राज्य की अपनी राजस्व प्राप्तियों के 100 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। वर्ष 2019–20 से 2023–24 के लिए वित्तीय वर्ष के अंत में अधिकतम सीमा राशि, बकाया गारंटी और गारंटी के लिए दी गई अधिकतम राशि का विवरण **तालिका 2.39** में दिया गया है।

तालिका 2.39: छत्तीसगढ़ शासन द्वारा दी गई प्रत्याभूति

(₹ करोड़ में)

क. सं.	गारंटी	2019–20	2020–21	2021–22	2022–23	2023–24
1	गारंटियों की बकाया राशि पर लागू अधिकतम सीमा*	20,391.20	30,051.62	30,026.15	40,934.94	48,370.55
2	गारंटी की बकाया राशि	18,459.36	19,836.13	19,499.89	22,099.71	21,890.52
3	गारंटी के लिए दी गई अधिकतम राशि	27,994.79	26,694.79	29,947.50	30,022.50	31,662.88

स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

** छत्तीसगढ़ राज्य शासन गारंटियां नियमावली, 2003 के अनुसार किसी वित्तीय वर्ष में गारंटियों की कुल बकाया राशि गत वर्ष में राज्य की अपनी राजस्व प्राप्तियों के सत्तर प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए। तथापि, छत्तीसगढ़ राज्य शासन गारंटी नियम, 2020 (संशोधित) के माध्यम से इस सीमा को बढ़ाकर (जुलाई 2020) शत प्रतिशत कर दिया गया।*

छत्तीसगढ़ शासन द्वारा वर्ष 2020–21 से 2023–24 के दौरान दी गई गारंटी की अधिकतम राशि लागू सीमा के भीतर थी, हालांकि वर्ष 2019–20 के दौरान यह सीमा से अधिक हो गई। 31 मार्च 2024 तक ₹31,662.88 करोड़ की अधिकतम गारंटी, वर्ष 2022–23 के राज्य की स्वयं की राजस्व प्राप्तियों (₹48,370.55 करोड़) का 65.46 प्रतिशत है और लागू सीमाओं के भीतर है। वर्ष 2023–24 के दौरान, 76.08 करोड़ की प्राप्य गारंटी फीस के विरुद्ध कोई गारंटी फीस प्राप्त नहीं हुई।

2.7.3 रोकड़ शेष का प्रबंधन

राज्य शासन अपने अधिशेष रोकड़ शेष को अल्प एवं दीर्घ अवधि के भारत सरकार प्रतिभूतियों और ट्रेजरी बिलों में निवेश करता है। इस तरह के निवेश से प्राप्त लाभ को शीर्ष 0049–ब्याज प्राप्तियों के तहत प्राप्तियों के रूप में क्रेडिट कर दिया जाता हैं।

तालिका 2.40 वर्ष के दौरान राज्य शासन द्वारा रोकड़ शेष और इनमें से किए गए निवेश को दर्शाती है।

तालिका 2.40: रोकड़ शेष की स्थिति

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	01 अप्रैल 2023 की स्थिति में प्रारंभिक शेष	31 मार्च 2024 की स्थिति में अंतिम शेष
1	**(अ) सामान्य रोकड़ शेष**		
2	कोषालय में रोकड़	0.00	0
3	रिजर्व बैंक में जमा	215.63	194.40
4	"रोकड़ शेष निवेश लेखा" में किया गया निवेश	485.61	5,933.48
5	**योग (अ)**	**701.24**	**6,127.88**
6	**(ब) अन्य रोकड़ शेष और निवेश**		
7	विभागीय अधिकारियों जैसे वन तथा लोक निर्माण विभाग, राज्यपाल के सैनिक सचिव के पास रोकड़	12.09	12.07
8	विभागीय अधिकारियों के पास आकस्मिक व्यय के लिए स्थायी पेशगी राशियां	0.34	0.34
9	विशिष्ट उद्देश्य हेतु निधियों का निवेश	7,334.30	7,656.95
10	**योग (ब)**	**7,346.73**	**7,669.36**
11	**योग (अ) तथा (ब)**	**8,047.97**	**13,797.24**
12	**अर्जित ब्याज**	**41.70**	**26.41**

स्रोत : वित्त लेखे 2023–24

चालू वर्ष के अंत में राज्य शासन का सामान्य रोकड़ शेष वर्ष 2022–23 में ₹701.24 करोड़ से ₹5,426.64 करोड़ बढ़कर वर्ष 2023–24 में ₹6,127.88 करोड़ हो गया।

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के साथ एक समझौते के तहत, छत्तीसगढ़ शासन को आरबीआई के पास 0.72 करोड़ रुपये का आवश्यक न्यूनतम नकद शेष बनाए रखना है। यदि किसी दिन शेष राशि सहमत न्यूनतम शेष राशि से कम हो जाती है, तो साधारण और विशेष अर्थोपाय अग्रिम या साधारण अर्थोपाय अग्रिम लेकर कमी को पूरा किया जाता है। राज्य शासन 267 दिनों के लिए 0.72 करोड़ रुपये का न्यूनतम रोकड़ शेष बनाए रखने में सक्षम थी और उसे 99 दिनों के लिए विशेष आहरण सुविधा लेकर न्यूनतम शेष बनाया गया। राज्य शासन को वर्ष 2023–24 के दौरान एसडीएफ पर ब्याज के रूप में 22.11 करोड़ रुपये का भुगतान करना पड़ा।

वर्ष 2019–20 से वर्ष 2023–24 की पाँच वर्ष की अवधि के दौरान राज्य का रोकड़ शेष निवेश नीचे **तालिका 2.41** में दिया गया है।

तालिका 2.41: रोकड़ शेष निवेश लेखा (मुख्य शीर्ष–8673)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	वर्ष	रोकड़ शेष निवेश			
		प्रारंभिक शेष	अंतिम शेष	वृद्धि/कमी	अर्जित ब्याज
1	2019–20	9,759.02	5,246.81	(–)4,512.21	196.10
2	2020–21	5,246.81	3,389.68	(–)1,857.13	29.66
3	2021–22	3,389.68	3,345.39	(–)44.29	28.23
4	2022–23	3,345.39	485.61	(–)2,859.78	41.70
5	2023–24	485.61	5,933.48	5,447.87	26.41

स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

राज्य शासन के रोकड़ शेष निवेश के अंतिम शेष की स्थिति वर्ष 2019–20 में ₹5,246.81 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2023–24 में ₹5,933.48 करोड़ हो गई, जो अधिशेष रोकड़ शेष को दर्शाता है।

2.8 निष्कर्ष

राज्य शासन ने वर्ष 2023–24 के दौरान पिछले वर्ष की तुलना में अपने राजस्व प्राप्तियों में 10.26 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की। कर राजस्व में 18.00 प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि करेत्तर राजस्व में 0.66 प्रतिशत की कमी आई। वर्ष 2022–23 में ₹8,592.11 करोड़ का राजस्व अधिशेष वर्ष 2023–24 के दौरान ₹11,232.76 करोड़ के राजस्व घाटे में परिवर्तित हो गया।

राज्य शासन ने अपने स्वयं के कर राजस्व जुटाने में 15वां वित्त आयोग और बजट अनुमानों की अपेक्षाओं को क्रमशः 32.85 प्रतिशत और 2.07 प्रतिशत तक पार कर लिया। हालांकि, यह अपने स्वयं के बजट अनुमानों में निर्धारित करेत्तर राजस्व लक्ष्य को पूरा नहीं कर सका और 16.77 प्रतिशत कम रहा।

राजस्व व्यय, जो कुल व्यय का 87.94 प्रतिशत है, पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2023–24 के दौरान 34. 54 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि हुई। हालांकि पूँजीगत व्यय में पिछले वर्ष की तुलना में 15.76 प्रतिशत की वृद्धि हुई, लेकिन कुल व्यय में इसका हिस्सा मात्र 11.82 प्रतिशत था। जबकि राजस्व व्यय जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में 22.68 प्रतिशत था, पूँजीगत व्यय वर्ष 2023–24 में जीएसडीपी का 3.05 प्रतिशत था।

वर्ष 2023–24 के दौरान पूँजी पर वास्तविक व्यय बजट अनुमानों से कम था। पूँजीगत व्यय का बजट अनुमानों से कम होना दर्शाता है कि पूँजीगत परियोजनाओं में नियोजित निवेश नहीं किया गया।

राजस्व व्यय के प्रति प्रतिबद्ध व्यय वर्ष 2019–20 में 46.33 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2023–24 में 39.22 प्रतिशत हो गया।

राज्य शासन ने 31 मार्च 2024 तक सांविधिक निगमों, सरकारी कंपनियों और सहकारी समितियों में अपने कुल निवेश (₹7,533.61 करोड़) पर मात्र 0.05 प्रतिशत प्रतिफल अर्जित किया।

राज्य शासन ने राज्य आपदा राहत निधि और राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि को लोक लेखें में स्थानांतरित करने में देरी की। परिणामस्वरूप, समय पर धन हस्तांतरण न के लिए राज्य आपदा राहत निधि के लिए ₹0.75 करोड़ और राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि के लिए ₹13.21 करोड़ का ब्याज भुगतान देय था। साथ ही, राज्य शासन ने दिशानिर्देशों में निर्दिष्ट तरीके से राज्य आपदा राहत निधि और राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि के अ–निवेशित शेष पर वर्ष 2023–24 के लिए ₹45.39 करोड़ और ₹15.32 करोड़ का ब्याज जमा नहीं किया था।

31 मार्च 2024 तक लोक ऋण की परिपक्वता प्रोफ़ाइल इंगित करती है कि राज्य को अगले सात वर्षों के भीतर ऋण का 66.25 प्रतिशत चुकाना है।

कुल बकाया ऋण की वृद्धि दर 2019–20 में 17.92 प्रतिशत से घटकर 2022–23 में 2.54 प्रतिशत हो गई। हालांकि, यह 2023–24 में उल्लेखनीय रूप से बढ़कर 31.94 प्रतिशत हो गई।

राज्य शासन पर 31 मार्च 2024 तक ₹1,34,179.36 करोड़ की बजटीय देनदारियों के अतिरिक्त विभिन्न वित्तीय संस्थानों के प्रति ₹7,292.94 करोड़ की शुद्ध बकाया ऑफ–बजट देनदारियां/उधार भी हैं।

ऋण स्थिरता विश्लेषण के अनुसार, यह देखा गया है कि वर्ष 2021–22 और 2022–23 को छोड़कर, समग्र देनदारियों/ऋण में वृद्धि नाममात्र वृद्धि से अधिक रही। ऋण–जीएसडीपी अनुपात में 2022–23 में

20.16 प्रतिशत से 2023–24 में 24.93 प्रतिशत तक 4.8 प्रतिशत अंकों की वृद्धि दर्ज की गई। डोमर मानदंड के अनुसार, औसतन, राज्य ने आरबीआई द्वारा निर्धारित 2–6 प्रतिशत बैंडविड्थ के भीतर सीपीआई मुद्रास्फीति का प्रबंधन किया है। इसके अलावा, राज्य ने तरलता प्रबंधन के लिए आरबीआई के पास उपलब्ध वित्तीय सुविधा का सालाना औसतन 1.5 महीने तक उपयोग किया, जो दर्शाता है कि राज्य तरलता के मुद्दों से जूझ रहा था।

चालू वर्ष के अंत में राज्य शासन का सामान्य रोकड़ शेष वर्ष 2022–23 में ₹701.24 करोड़ से ₹5,426.64 करोड़ बढ़कर वर्ष 2023–24 में ₹6,127.88 करोड़ हो गया।

2.9 अनुशंसाएं

i. राज्य शासन बजट अनुमानों की तुलना में पूँजीगत व्यय में कमी के कारणों की समीक्षा कर सकता है, ताकि आर्थिक विकास को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए अधिक धनराशि उपलब्ध कराई जा सके।

ii. राज्य शासन को वैधानिक निगमों, सरकारी कंपनियों, संयुक्त स्टॉक कंपनियों, सहकारी संस्थाओं से निवेश पर अपर्याप्त प्रतिफल के कारणों का आकलन करना चाहिए और उपचारात्मक उपायों की तलाश करनी चाहिए।

iii. राज्य शासन को भारत सरकार से प्राप्त केंद्रीय हिस्से को राज्य के हिस्से के साथ–साथ राज्य आपदा राहत निधि और राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि में समय पर स्थानांतरित करना सुनिश्चित करना चाहिए और दिशानिर्देशों के अनुसार इस फंड के तहत शेष राशि का निवेश करना चाहिए।